



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
	परिचय	5
भाग I. स्कूल शिक्षा		
1.	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा: सीखने की नींव	11
2.	बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान: सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्वशर्त	13
3.	ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना	16
4.	स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण-शास्त्र: अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए	18
5.	शिक्षक	32
6.	समतामूलक और समावेशी शिक्षा: सभी के लिए अधिगम	40
7.	स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस	46
8.	स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन	50
भाग II. उच्चतर शिक्षा		
9.	गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय: भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण	54
10.	संस्थागत पुनर्गठन और समेकन	56
11.	समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर	59
12.	सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों को सहयोग	63
13.	प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय	66

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
14.	उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश	68
15.	शिक्षक शिक्षा	69
16.	व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन	72
17.	नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन (एनआरएफ) के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना	74
18.	उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन	77
19.	उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व	81
भाग III. अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे		
20.	व्यावसायिक शिक्षा	83
21.	प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखना	85
22.	भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन	88
23.	प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण	94
24.	ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा: प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना	97
भाग IV. क्रियान्वयन की रणनीति		
25.	केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तीकरण	101
26.	वित्त पोषण: सभी के लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	101
27.	कार्यान्वयन	103
	प्रयुक्त संकेताक्षरों की सूची	105

परिचय

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।

भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक “सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने” का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त किए जा सकें।

ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहु-विषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ-साथ दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है।

रोज़गार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे, जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत *सीखते रहने की कला* भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विषयवस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की ज़रूरत है कि बच्चे

समस्या-समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर्संबंधों को देख पायें, कुछ नया सोच पायें और नयी जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पायें। जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी-केन्द्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने-समझने में सक्षम बनाने वाली और, अवश्य ही, रुचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाये। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए।

सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है, उनके बीच की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, इकटिटी और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जाना चाहिए।

2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नहीं है, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो।

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी 4 शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के साथ-साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या-समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गयी है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्म-ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व-स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किये थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य,

ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरुवल्लुवर जैसे अनेकों महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों, जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान-निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किये। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए-नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए।

शिक्षा व्यवस्था में किये जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होने चाहिए। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर, हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं। इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाये जाने की आवश्यकता है जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। नयी शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने में सहायता करनी होगी जिसके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, मान-मर्यादा और स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी, साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रियाएं भी स्थापित करनी होंगी।

नयी शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक-आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए, परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद, हर संभव पहल की जानी चाहिए जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकें।

इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, और तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से और भारत के सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अतिआवश्यक है।

पिछली नीतियाँ

शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुँच के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 (एनपीई 1986/92) में संशोधित किया गया था, के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। 1986/92 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया।

इस नीति के आधार सिद्धांत

शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है - जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जोकि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित - समावेशी, और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें।

एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहाँ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहाँ सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढाँचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि, साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है।

मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, ये हैं:

- ❖ **हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना** – शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें।
- ❖ **बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना** – जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्याज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें।
- ❖ **लचीलापन**, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर-तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें;
- ❖ कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच **कोई स्पष्ट अलगाव न हों**, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊँच-नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके;

- ❖ सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु-विषयक (multi-disciplinary) और समग्र शिक्षा का विकास
- ❖ अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई;
- ❖ रचनात्मकता और तार्किक सोच तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए;
- ❖ नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे, सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय;
- ❖ बहु-भाषिकता और अध्ययन-अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन
- ❖ जीवन कौशल जैसे, आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य, और लचीलापन;
- ❖ सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो जिससे कि आज की 'कोचिंग संस्कृति' को ही बढ़ावा मिलता है;
- ❖ तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर – अध्ययन-अध्यापन कार्य में, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में;
- ❖ सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण-शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है;
- ❖ सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुँच और सामर्थ्य के दायरे में रखना – यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें;
- ❖ स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यवस्था देख-भाल तथा शिक्षा से;
- ❖ शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना - उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास, और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति;
- ❖ शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक 'हल्का, लेकिन प्रभावी' नियामक ढांचा – साथ ही साथ स्वायत्तता, सुशासन, और सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार और आउट-ऑफ-द-बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना;
- ❖ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध;
- ❖ शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा;
- ❖ भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, और जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना;

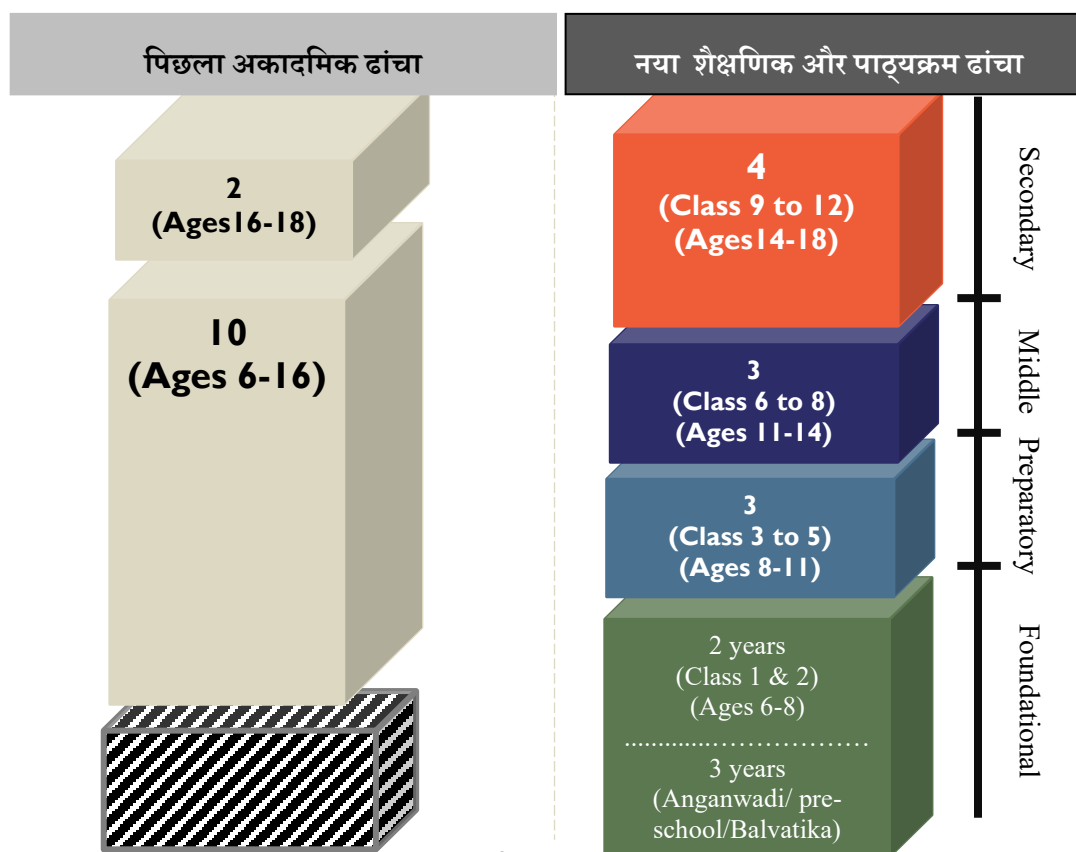
- ❖ शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है; गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए;
- ❖ एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश - साथ ही सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा।

इस नीति का विज़न

इस राष्ट्रीय शिक्षा का विज़न भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विज़न छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

भाग I. स्कूल शिक्षा

यह नीति वर्तमान की 10 + 2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण-शास्त्रीय आधार पर 5 + 3 + 3 + 4 की एक नयी व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है, जैसा कि यहाँ दी गयी आकृति में दिया गया है और अध्याय 4 में भी इस पर विस्तृत विवरण दिया गया है।



वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10 + 2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें और खुशहाल हों।

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा : सीखने की नींव

1.1 बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए ईसीसीई में निवेश करने से इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे। ईसीसीई संभवतया, समता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द, निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व, उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों।

1.2 ईसीसीई में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहु-स्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित, और खोज-आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहलियाँ और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ईसीसीई का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक-भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है।

1.3 एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा (एनसीपीएफईसीसीई) विकसित किया जाएगा, अर्थात् 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब-फ्रेमवर्क और 3-8 साल के लिए एक अन्य सब-फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, ईसीसीई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा। विशेष रूप से, उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध हैं और वे स्थानीय परंपराओं में विकसित हुई

हैं, जिनमें कला, कहानियां, कविता, खेल, गीत, और बहुत कुछ शामिल हैं, इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता-पिता दोनों के साथ-साथ आंगनवाड़ी के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा।

1.4 भारत में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ईसीसीई संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना वृहद लक्ष्य होगा। इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इसे सभी छात्र तक पहुँचाना होगा। पिछड़े जिलों और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। विस्तृत और सशक्त ईसीसीई संस्थानों द्वारा ईसीसीई प्रणाली को लागू किया जाएगा जिसमें (क) पहले से काफी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनवाड़ियों के माध्यम से (ख) प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ियों के माध्यम से (ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालयों, जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे, और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं, इनके माध्यम से (घ) अकेले चल रहे प्री-स्कूल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। ये सभी विद्यालय ईसीसीई के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों/ शिक्षकों को भर्ती करेंगे।

1.5 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की सार्वभौमिक पहुँच के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चतरगुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों / शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। प्रत्येक आंगनवाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार, बाल-सुलभ और निर्मित भवन होगा। आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे – और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे, ताकि आंगनवाड़ी केन्द्रों से प्राथमिक स्कूलों में संक्रमण को सुचारू बनाया जा सके। आंगनवाड़ियों को स्कूल परिसरों / समूहों, में पूरी तरह से एकीकृत किया जायेगा और आंगनवाड़ी बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों को स्कूल / स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर – भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

1.6 यह परिकल्पना की गई है की 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या "बालवाटिका" (जो कि कक्षा 1 से पहले है) में स्थानांतरित हो जायेगा जिसमे एक ईसीसीई योग्य शिक्षक हैं तैयारी कक्षा में सीखने को मुख्य रूप से खेल-आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या-ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोपहर के (मध्याह्न) भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ-साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जांच -परीक्षण जो आंगनवाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध हैं, उसे प्राथमिक स्कूलों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

1.7 ईसीसीई शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों / शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम/शिक्षण-शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10 + 2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री / शिक्षक को ईसीसीई में 6 महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम कराया जाएगा; और कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को एक वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा जिसमें प्रारंभिक साक्षरता, संख्या और ईसीसीई के अन्य

प्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को डिजिटल / दूरस्थ माध्यम से डीटीएच चैनलों के साथ-साथ स्मार्ट फोन के माध्यम से चलाया जा सकता है, जिससे शिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ ईसीसीई योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत मिल पाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों / शिक्षकों के ईसीसीई प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मॉडरेट किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम एक मासिक कक्षा भी चलाएगा। दीर्घावधि में, राज्य सरकारों को चरण-विशेष में व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की व्यवस्था और कैरियर मैपिंग के जरिये आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को तैयार करना चाहिए। इन शिक्षकों की प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और उसके सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।

1.8 ईसीसीई को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रमशालाओं में भी शुरू किया जाएगा। आश्रमशालाओं में ईसीसीई को एकीकृत करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया ऊपर दिए गए विवरण के जैसी ही होगी।

1.9 ईसीसीई पाठ्यक्रम और शिक्षण-विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व-प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफडब्ल्यू), और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारु एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्य बल (टास्क फोर्स) का गठन किया जाएगा।

2. बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान: सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्वशर्त

2.1 सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन-भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है और भविष्य में सीखने की एक पूर्वशर्त भी है। हालांकि, विभिन्न सरकारी, साथ ही गैर-सरकारी सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने - जिसकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है- बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान भी नहीं सीखा है; अर्थात् ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं है।

2.2 सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा जिसे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा (जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा-3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है)। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान प्राप्त करना होगा। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं (अर्थात्, मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित) को हासिल करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी। इसके लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। उसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान के लिए राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें, 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरण-वार चिन्हित कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगति को बारीकी से जांच और निगरानी करते हुए अविलंब एक क्रियान्वयन योजना तैयार करेंगी।

2.3 सर्वप्रथम, शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा – विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में, जहाँ शिक्षक-बच्चों का अनुपात दर ज्यादा हो या जहाँ साक्षरता की दर निम्न हो, वहाँ स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक-विद्यार्थियों का अनुपात (पीटीआर) 30:1 से कम हो और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक – विद्यार्थियों का अनुपात (पीटीआर) 25:1 से कम हो। कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के साथ संबलित, उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा।

2.4 पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल पाठ्यचर्या के दौरान, एक मजबूत सतत रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ विशेष रूप से प्रत्येक बच्चों का सीखना ट्रैक किया जाएगा और सामान्यतया पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, अंकगणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केन्द्रित होगा। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए उन पर प्रतिदिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और वर्ष भर विभिन्न मौकों पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान पर नए सिरे से जोर देने के लिए शिक्षक शिक्षा और प्रारंभिक ग्रेड पाठ्यचर्या को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा।

2.5 वर्तमान समय में ईसीसीई की सभी तक पहुँच नहीं होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। इसलिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा कक्षा -1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले-आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल' बनाया जाएगा जिसमें गतिविधियाँ और वर्कबुक होगी जिनमें अक्षर, ध्वनियाँ, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि शामिल होंगे। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में सहपाठियों और अभिभावकों का

भी योगदान लिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार है।

2.6 द डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान पर उच्चतर-गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा। इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भाषायी बाधाओं को भी दूर करने के उपाय शामिल हैं।

2.7 वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं। यह एक बड़ा संकट है, सभी के लिए साक्षरता और संख्या-ज्ञान प्राप्त करने के इस महत्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यावहारिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। दुनिया भर के अध्ययन से पता चलता है कि जब सहपाठी एक-दूसरे से सीखते-सिखाते हैं यह काफी प्रभावी होता है। इस प्रकार, प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में और सुरक्षा पहलुओं का उचित ध्यान रखकर साथी छात्रों के लिए पियर ट्यूटोरिंग को एक स्वैच्छिक और आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। स्थानीय और गैर-स्थानीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षित वोलेंटियर्स के लिए इस बड़े पैमाने के अभियान में भाग लेना बहुत आसान बनाया जायगा। यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य किसी एक छात्र को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए, तो इससे देश का परिदृश्य शीघ्र ही बदल जाएगा और इस मिशन को अत्यधिक प्रोत्साहित और समर्थन दिया जाएगा। राज्य इस तरह के शिक्षण संकट के दौरान मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस तत्काल राष्ट्रीय मिशन में, पियर ट्यूटोरिंग और वोलेंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए नवीन मॉडल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं, साथ ही साथ शिक्षकों को समर्थन देने के लिए अन्य कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं।

2.8 सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी जिसके लिए आवश्यकतानुसार उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद (आवश्यकतानुसार तकनीकी मदद से) भी करवाए जायेंगे। देश भर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किये जायेंगे। गांवों में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना से समुदाय को भी लाभ होगा जो स्कूली समय के पश्चात् उसका लाभ ले सकते हैं। बुक क्लब के सदस्य इन स्कूली/सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकते हैं जिससे पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी और सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुँच, गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी।

2.9 जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा, पुष्टिकर भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा। सभी

विद्यालय के बच्चे स्कूलों द्वारा आयोजित नियमित स्वास्थ्य जांच में भाग लेंगे और इसके लिए बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, कई सारे अध्ययन से यह पता चलता है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद के कुछ घंटों में कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होता है, इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ उठाया जा सकता है, यदि सुबह और दोपहर में बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए। जहाँ पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा, वहाँ सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प, जैसे गुड़ के साथ मूंगफली/गुड़ मिश्रित चना और/या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल उपलब्ध कराया जा सकता है। सभी स्कूली बच्चों की विशेष रूप से 100% टीकाकरण के लिए स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जाँच कराई जाएगी और इसकी निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाएँगे।

3. ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना

3.1 स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि, बाद के आंकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। कक्षा छठी से आठवीं का जीईआर 90.9 प्रतिशत है, जबकि कक्षा, 9-10 और 11-12 के लिए यह क्रमशः केवल 79.3% और 56.5% है। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017-18 में एनएसएसओ के 75वें राउंड हाउसहोल्ड सर्वे के अनुसार, 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है। इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और भविष्य के छात्रों का ड्रॉपआउट दर भी कम करना होगा। पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा - व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा।

3.2 कुल मिलाकर दो पहल की जाएँगी जिससे बच्चों का विद्यालय में वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉपआउट होने से रोका जा सके। पहला प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है ताकि सभी छात्रों को इसके माध्यम से प्री-प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी स्कूल में अवस्थापना की कमी न हो। सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी और ऐसा मौजूदा स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करके, जहाँ स्कूल नहीं हैं वहाँ अतिरिक्त गुणवत्ता स्कूल बनाकर और छात्रावासों विशेषकर

बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यावहारिक पहुँच प्रदान करके किया जा सकता है ताकि सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर मिले। प्रवासी मजदूरों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्यधारा शिक्षा में वापस लाने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

3.3 दूसरा यह है कि स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की ट्रेकिंग करनी होगी, साथ-साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नज़र रखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे (क) स्कूल में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं (ख) ड्रॉपआउट बच्चों के लौटने और यदि वे पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। फाउंडेशनल स्टेज से लेकर कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा के जरिये 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती विद्यालय में की जाएगी जिससे शिक्षक हमेशा छात्रों और उसके अभिभावक के साथ कार्य कर सकें। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं और सीख रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण से जुड़े सिविल सोसायटी संगठन/ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों के प्रशिक्षित और योग्य सामाजिक कार्यकर्ता राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न नवीन तंत्रों के माध्यम से इस आवश्यक कार्य को करने में स्कूलों से जुड़े हो सकते हैं।

3.4 जब एक बार विद्यालय का अवसंरचनात्मक ढांचा और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए, तो कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा और छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण काम होगा, ताकि छात्र (विशेष रूप से लड़कियां और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी) और उनके माता-पिता स्कूल में भागीदारी के प्रति अपनी रुचि न खोएं। इसके लिए एक मजबूत चैनल और स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली की आवश्यकता होगी, जो उन क्षेत्रों में तैनात किए जाएं जहाँ ड्रॉपआउट दरें विशेष रूप से अधिक हैं।

3.5 सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना होगा ताकि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अंदर सीखने के विभिन्न रास्ते उपलब्ध हो सकें। भारत के उन युवाओं के लिए जो किसी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, ताकि ऐसे युवाओं की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एनआईओएस अपने वर्तमान कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी ऑफर करेगा : ए, बी और सी स्तरों की शिक्षा जो औपचारिक स्कूल प्रणाली के कक्षा 3, 5 और 8 के बराबर हैं; माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जो कक्षा 10 और 12 के बराबर हैं; व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम / कार्यक्रम; और वयस्क साक्षरता और जीवन-संवर्धन कार्यक्रम। एनआईओएस की तर्ज पर राज्य सरकारों को

प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने राज्यों में पूर्व से स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एसआईओएस) को सशक्त करके और नए संस्थानों की स्थापना करें और क्षेत्रीय भाषाओं में उपरोक्त कार्यक्रम इन संस्थानों के जरिये चलाएं।

3.6. दोनों, सरकारों और गैर-सरकारी संस्थाओं, के लिए विद्यालय के निर्माण को सरल करने के लिए; संस्कृति, भूगोल और सामाजिक-संरचना के आधार पर स्थानीय विविधताओं को प्रोत्साहित करने, और शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल बनाने की अनुमति देने के लिए स्कूलों के निर्माण संबंधी नियमों को हल्का बनाया जाएगा। इसका फोकस इनपुट पर कम और वांछित सीखने के परिणामों से संबंधित आउटपुट क्षमता पर अधिक केन्द्रित होगा। इनपुट्स संबंधित विनियम कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित होंगे जिनका अध्याय 8 में उल्लेख किया गया है। स्कूलों के अन्य मॉडलों को भी पायलट किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक-फिलैंथ्रोपिक साझेदारियां शामिल हैं।

3.7 बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसमें शामिल हैं – स्कूलों में एक-एक बच्चे के लिए ट्यूटोरिंग, साक्षरता शिक्षण और अन्य मदद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना, शिक्षकों को शिक्षण में मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन देना, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में प्रौढ़ साक्षरता में सहयोग करना; आदि। इस दृष्टि से स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय के स्वस्थ वरिष्ठ नागरिकों से उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों/सरकारी / अर्ध सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों और शिक्षाविदों का एक डेटाबेस तैयार किया जायेगा।

4. स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण-शास्त्र : अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए

5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण-शास्त्र को पुनर्गठित करना

4.1 स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 की उम्र के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास की अलग-अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनकी रुचियों और विकास की ज़रूरतों पर समुचित ध्यान दिया जा सके। इसलिए स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम रूपरेखा एक 5+3+3+4 डिजाइन से मार्गदर्शित होगी, जिसके तहत क्रमशः फाउंडेशनल स्टेज(दो भागों में अर्थात् आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल के 3 साल+प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1-2 में 2 साल, 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित), प्रिपरेटरी स्टेज (कक्षा 3-5, 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित), मिडिल स्कूल स्टेज (कक्षा 6-8, 11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित), और सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9 से 12, दो फेज में, यानी पहले फेज में 9 और 10 और दूसरे में 11 और 12, 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित) शामिल होगी।

4.2 फाउंडेशनल स्टेज में पांच वर्षीय लचीली, बहु-स्तरीय खेल / गतिविधि आधारित अध्ययन और जैसा पहले जिक्र किया गया कि ईसीसीई के पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र शामिल होंगे। इसमें अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक साफ़-सफाई/स्वच्छता, टीम वर्क और सहयोग इत्यादि पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रीप्रेटरी स्टेज तीन वर्ष की होगी जो फाउंडेशनल स्टेज की खेल-खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण-शास्त्रीय शैली से आगे बढ़ेगी और कुछ हल्के-फुल्के पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जायेगा और इस प्रकार ज्यादा औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिये अध्ययन-अध्यापन की ओर बढ़ेगी, जिसमें पढ़ने, लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित भी शामिल होंगे। मिडिल स्टेज में भी तीन वर्ष की शिक्षा होगी और इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा जिसके लिए विद्यार्थियों की पर्याप्त तैयारी हो चुकी होगी। यह कार्य विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और व्यावसायिक विषयों में होंगे। हर विषय में अनुभव आधारित शिक्षण और विषय-विशेषज्ञों के आ जाने के बावजूद विषयों के बीच परस्पर सम्बन्ध देखने को प्रोत्साहित किया जायेगा। हाई स्कूल (या सेकेंडरी) स्टेज में चार साल के बहु-विषयक अध्ययन शामिल होंगे, जो इस स्टेज के विषय-उन्मुख शिक्षाक्रमीय और शिक्षण-शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे, लेकिन अधिक गहराई, अधिक आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान और विद्यार्थियों द्वारा विषयों के चुनाव को लेकर अधिक लचीलेपन के साथ होंगे। विशेष रूप से, यदि किसी की इच्छा हो तो ग्रेड 10 के बाद व्यवसायिक या किसी विशेषज्ञताप्राप्त स्कूल में ग्रेड 11-12 में अन्य कोर्स के चुनाव के विकल्प लगातार विद्यार्थियों के लिए बने रहेंगे।

4.3 उपरोक्त चरण विशुद्ध रूप से पाठ्यक्रमणीय और शैक्षणिक हैं, जिन्हें कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अनुरूप विद्यार्थियों का सीखना हो सके; ये चरण राष्ट्रीय और राज्य शिक्षाक्रमों और सीखने-सिखाने की रणनीतियों के विकास को मार्गदर्शन देने में मदद करेंगे, लेकिन इनका प्रभाव भौतिक अवसंरचना पर नहीं पड़ेगा।

विद्यार्थियों का समग्र विकास

4.4 सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि का समग्र केंद्रबिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझ न होकर चरित्र निर्माण और इक्कीसवीं शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है। वास्तव में ज्ञान एक छुपा हुआ खज़ाना है और शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ इसे प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः तैयार किया जाएगा। पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक प्रत्येक स्तर में एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल और मूल्यों की पहचान की जाएगी। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में इन कौशल और मूल्यों को आत्मसात किया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या ढाँचा और सम्पर्क तंत्र विकसित किया जाएगा। एनसीईआरटी इन अपेक्षित कौशल की

पहचान करेगा और आरंभिक बाल्यावस्था एवं स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचे में उनके व्यवहार के लिए तंत्र शामिल करेगा।

अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को कम करना

4.5 पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केन्द्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन और समग्र, खोज-आधारित, चर्चा-आधारित और विश्लेषण-आधारित अधिगम पर ज़रूरी ध्यान दिया जा सके। यह विषय-वस्तु अब मुख्य अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या-समाधान पर केन्द्रित होगी। शिक्षण और सीखना अधिक संवादात्मक तरीके से संचालित होगा; सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाएगा, और कक्षाओं में नियमित रूप से अधिक रुचिकर, रचनात्मक, सहयोगात्मक और खोजपूर्ण गतिविधियाँ होगी ताकि गहन और प्रायोगिक सीख सुनिश्चित किया जा सके।

प्रायोगिक अधिगम

4.6 सभी चरणों में, प्रायोगिक आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा, जिसमें अन्य चीज़ों के अलावा स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा, और कहानी-आधारित शिक्षण-शास्त्र को प्रत्येक विषय में एक मानक शिक्षण-शास्त्र के तौर पर देखा जाएगा। साथ ही विभिन्न विषयों के बीच संबंधों की खोज को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान अधिगम प्रतिमान (लर्निंग आउटकम) और वांछनीय अधिगम परिणामों के बीच खाई को पाटने के लिए कुछ विषयों में कक्षा-कक्षीय प्रक्रियाओं में परिवर्तन होंगे, जहाँ भी उचित होगा वहाँ इन्हें दक्षता-आधारित अधिगम और शिक्षा की ओर उन्मुख किया जाएगा। आकलन के उपकरणों (जिसमें सीखने "के रूप में", "का" "के लिए" आकलन शामिल है) को दिए गए वर्ग के हर विषय के अधिगम परिणामों, क्षमताओं और रुझानों के साथ भी संरेखित किया जाएगा।

4.7 कला-समन्वय (आर्ट-इंटीग्रेशन) एक क्रॉस-करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें विविध-विषयों की अवधारणाओं के अधिगम आधार के रूप में कला और संस्कृति के विभिन्न अवयवों का उपयोग किया जाता है। अनुभव आधारित अधिगम पर विशेष बल दिए जाने के अंतर्गत कला-समन्वित शिक्षण को कक्षा प्रक्रियाओं में स्थान दिया जायेगा जिससे न सिर्फ कक्षा ज्यादा आनंदपूर्ण बनेगी बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के शिक्षण में समावेश से भारतीयता से भी बच्चों का परिचय हो पायेगा। इस एप्रोच से शिक्षा और संस्कृति के परस्पर संबंधों को भी मजबूती मिलेगी।

4.8 खेल-समन्वय एक और क्रॉस-करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके तहत स्थानीय खेलों सहित विविध शारीरिक गतिविधियों का शिक्षण प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है, ताकि परस्पर सहयोग, स्वतः पहल करना, स्वयं निर्देशित होकर कार्य करना, स्व-अनुशासन, टीम भावना, जिम्मेदारी, नागरिकता, आदि जैसे कौशल विकसित करने में सहायता हो सके। खेल समन्वय अधिगम कक्षा के दौरान होगा ताकि छात्रों

को फिटनेस को एक आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने और फिट इंडिया मूवमेंट में परिकल्पित किए गए अनुसार फिटनेस के स्तर के साथ-साथ संबंधित जीवन कौशल प्राप्त करने में मदद मिल सके। शिक्षा में खेलों के समन्वय की आवश्यकता को पहले ही पहचाना जा चुका है क्योंकि इससे बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है और संज्ञानात्मक क्षमताएँ भी बढ़ती हैं।

कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना

4.9 विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे - इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे - ताकि विद्यार्थी अध्ययन और जीवन की योजना के अपने रास्ते तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो सकें। साल दर साल समग्र विकास और विषयों और पाठ्यक्रमों के विस्तृत चुनाव विकल्पों का होना माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई विशिष्ट विशेषता होगी। 'पाठ्यक्रम', 'अतिरिक्त-पाठ्यक्रम' या 'सह-पाठ्यक्रम', 'कला', 'मानविकी' और 'विज्ञान', अथवा 'व्यावसायिक' या 'अकादमिक' धारा जैसी कोई श्रेणियाँ नहीं होंगी। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला और शिल्प, और व्यावसायिक कौशल जैसे विषयों को, यह विचार करते हुए कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर विद्यार्थियों के लिए क्या रुचिपूर्ण और सुरक्षित है और क्या नहीं, स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

4.10 स्कूली शिक्षा के चार चरणों में से प्रत्येक, विभिन्न क्षेत्रों में जो संभव है उसके अनुसार, एक सेमेस्टर या अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार कर सकता है जो छोटे मॉड्यूल को शामिल करने की अनुमति देता है, या ऐसे कोर्स जिनमें वैकल्पिक दिनों पर शिक्षण होता है, ताकि अधिक विषयों का एक्सपोज़र मिले और अधिक लचीलेपन को सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को कला, विज्ञान, मानविकी, भाषा, खेल और व्यावसायिक विषयों सहित व्यापक श्रेणी के विषयों के अधिक से अधिक लचीलेपन और आनंद के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव तरीकों पर ध्यान देना चाहिए।

बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति

4.11 यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा / मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि, कई बार बहुभाषी परिवारों में, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, घर / स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को घरेलू भाषाओं/मातृ-भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्दी किए जाएंगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल मौजूद हो तो

उसे समाप्त किया जा सके। ऐसे मामलों में जहाँ घर की भाषा की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा भी जहाँ संभव हो, वहाँ घर की भाषा बनी रहेगी। शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनके घर की भाषा/मातृ-भाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न है, द्विभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी एप्रोच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी भाषाओं को सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा; एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है।

4.12 जैसा कि अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बच्चे 2 और 8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है, फाउंडेशनल स्टेज की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में (लेकिन मातृभाषा पर विशेष जोर देने के साथ) एक्सपोज़र दिए जाएंगे। सभी भाषाओं को एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा, जिसमें बहुत सारी संवादात्मक बातचीत होगी, और शुरुआती वर्षों में पढ़ने और बाद में मातृभाषा में लिखने के साथ - ग्रेड 3 और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकसित किये जाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देश भर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं, और विशेष रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश का एक बड़ा प्रयास होगा। राज्य, विशेष रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राज्य, अपने-अपने राज्यों में त्रि-भाषा फॉर्मूले को अपनाने के लिए, और साथ ही देश भर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए आपस में द्वि-पक्षीय समझौते कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए और भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीक का बृहद उपयोग किया जायेगा।

4.13 संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए त्रि-भाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालाँकि, तीन-भाषा के इस फॉर्मूले में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों, और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम से कम तीन में दो भाषाएँ भारतीय भाषाएँ हों। विशेष रूप से, जो छात्र तीन में से एक या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं, वे ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें तीनों भाषा में, जिसमें एक भारतीय भाषा को उसके साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल है, माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक बुनियादी दक्षता हासिल करके दिखाना होगा।

4.14 इस संबंध में, उच्चतर गुणवत्ता वाली विज्ञान और गणित में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण-अधिगम सामग्री को तैयार करने के सभी प्रयास किए जाएंगे ताकि विद्यार्थी दोनों विषयों पर सोचने और बोलने के लिए अपने घर की भाषा/मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में सक्षम हो सकें।

4.15 जैसा कि दुनिया भर के कई विकसित देशों में यह देखने को मिलता है कि अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है, बल्कि वास्तव में शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ ही होता है। भारत की भाषाएं दुनिया में सबसे समृद्ध, सबसे वैज्ञानिक, सबसे सुंदर और सबसे अधिक अभिव्यंजक भाषा में से हैं, जिनमें प्राचीन और आधुनिक साहित्य (गद्य और कविता दोनों) के विशाल भंडार हैं। इन भाषा में लिखी गयी फिल्म, संगीत और साहित्य भारत की राष्ट्रीय पहचान और धरोहर हैं। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से सभी युवा भारतीयों को अपने देश की भाषाओं के विशाल और समृद्ध भण्डार और इनके साहित्य के खज़ाने के बारे में जागरूक होना चाहिए।

4.16 इस प्रकार देश में प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान 'द लैंग्वेज ऑफ इंडिया' पर एक मजेदार प्रोजेक्ट / गतिविधि में भाग लेगा; उदाहरण के लिए, ग्रेड 6-8 में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल। इस प्रोजेक्ट / गतिविधि में, छात्र अधिकांशरूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे, जिसके तहत उनके सामान्य ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित वर्णमाला और लिपियों, उनकी सामान्य व्याकरणिक संरचनाओं, संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषा से इनकी शब्दावली के स्रोत और उद्भव को ढूँढ़ने से लेकर इन भाषा के समृद्ध अंतर-प्रभाव और अंतरों को समझना शामिल है। वे यह भी जानेंगे कि कौन से भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोलते हैं, आदिवासी भाषाओं की प्रकृति और संरचना को समझेंगे, और भारत की हर प्रमुख भाषा में कुछ पंक्तियाँ और प्रत्येक के समृद्ध और उभरते साहित्य के बारे में कुछ कहना सीखेंगे (आवश्यक अनुवाद के माध्यम से)। इस तरह की गतिविधि से उन्हें भारत की एकता और सुंदर सांस्कृतिक विरासत और विविधता दोनों का एहसास होगा और अपने पूरे जीवन भर वे भारत के अन्य हिस्सों के लोगों से मिलने और घुलने-मिलने में सहज महसूस करेंगे। यह प्रोजेक्ट / गतिविधि एक रुचिकर और आनंददायी गतिविधि होगी और इसमें किसी भी रूप में मूल्यांकन शामिल नहीं होगा।

4.17 भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्व, प्रासंगिकता और सुंदरता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संस्कृत, संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा होते हुए भी, इसका शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि सारे लैटिन और ग्रीक साहित्य को भी यदि मिलाकर इसकी तुलना की जाए तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी, और बहुत कुछ (जिन्हें "संस्कृत ज्ञान प्रणालियों" के रूप में जाना जाता है), के विशाल खजाने हैं। इन सबको विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ-साथ गैर-धार्मिक लोगों और जीवन के सभी क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा हजारों वर्षों में लिखा गया है। इस प्रकार संस्कृत को, त्रि-भाषा के मुख्यधारा विकल्प के साथ, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण, समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। यह उन तरीकों से पढ़ाया जाएगा जो दिलचस्प और अनुभवात्मक होने के साथ-साथ समकालीन रूप से प्रासंगिक हैं, जिसमें संस्कृत ज्ञान प्रणाली का उपयोग शामिल है, और विशेष रूप से ध्वनि और उच्चारण के माध्यम से। फाउंडेशनल और मिडिल स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को संस्कृत के

माध्यम से संस्कृत पढ़ाने (एसटीएस) और इसके अध्ययन को आनंददायी बनाने के लिए सरल मानक संस्कृत (एसएसएस) में लिखा जा सकता है।

4.18 भारत में शास्त्रीय तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और ओडिया सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं में एक अत्यंत समृद्ध साहित्य है; इन शास्त्रीय भाषाओं के अतिरिक्त, पालि, फारसी, प्राकृत और उनके साहित्य को भी उनकी समृद्धि के लिए और भावी पीढ़ी के सुख और समृद्धि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। जैसे ही भारत पूरी तरह से विकसित देश बनेगा, अगली पीढ़ी भारत के व्यापक और सुंदर शास्त्रीय साहित्य के अध्ययन में भाग लेना और इंसान के रूप में समृद्ध बनना चाहेगी। संस्कृत के अलावा, भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य, जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पालि, फारसी और प्राकृत शामिल हैं, स्कूलों में भी व्यापक रूप से छात्रों के लिए विकल्प के रूप में संभवतः ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में अनुभवात्मक और अभिनव एप्रोच के माध्यम से उपलब्ध होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये भाषा और साहित्य जीवित और जीवंत रहें। सभी भारतीय भाषाओं, जो समृद्ध मौखिक और लिखित साहित्य, सांस्कृतिक परंपराओं और ज्ञान को अपने में संजोए हुए हैं, के लिए भी इसी प्रकार के प्रयास किए जाएंगे।

4.19 देश के बच्चों के संवर्धन के लिए, और इन समृद्ध भाषाओं और उनके कलात्मक खजाने के संरक्षण के लिए, सार्वजनिक या निजी सभी स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के पास, भारत की शास्त्रीय भाषाओं और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम दो साल सीखने का विकल्प होगा। अनुभवात्मक और नवीन विधियों, जिनमें प्रौद्योगिकी के एकीकरण भी शामिल होंगे, के माध्यम से ग्रेड 6 से 12 तक के विद्यार्थी इन्हें सीख पाएंगे। मिडिल से सेकेंडरी स्तर तक और यहाँ तक कि इसके आगे भी इनका अध्ययन करते रहने का विकल्प उनके पास होगा।

4.20 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा, विदेशी भाषाएं, जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि विद्यार्थी विश्व-संस्कृतियों के बारे में जानें, और अपनी रुचियों और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान को और दुनिया भर में घूमने-फिरने को सहजता से बढ़ा सकें।

4.21 सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक विधियों के माध्यम से समृद्ध किया जाएगा, जिसमें सरलीकरण और ऐप्स के माध्यम से, भाषाओं के सांस्कृतिक पहलुओं - जैसे कि फिल्म, थिएटर, कथावाचन, काव्य और संगीत - को जोड़ते हुए, और विभिन्न प्रासंगिक विषयों के साथ और वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ संबंधों को दिखाते हुए इन्हें सिखाया जाएगा। इस प्रकार, भाषाओं का शिक्षण भी अनुभवात्मक-अधिगम शिक्षणशास्त्र पर आधारित होगा।

4.22 भारतीय साइन लैंग्वेज (आईएसएल) को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा, और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी, जो बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाएगी। जहाँ संभव और प्रासंगिक हो वहाँ स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें सिखाया जाएगा।

अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षाक्रमीय एकीकरण

4.23 हालांकि विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को चुनने में बड़ी मात्रा में लचीले विकल्प मिलने चाहिए, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को एक अच्छे, सफल, अभिनव, अनुकूलनीय और उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी ज़रूरी है। भाषाओं में प्रवीणता के अलावा, इन कौशलों में शामिल हैं: वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित सोच; रचनात्मकता और नवीनता; सौंदर्यशास्त्र और कला की भावना; मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद; स्वास्थ्य और पोषण; शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल; सहयोग और टीम वर्क; समस्या को हल करने और तार्किक चिंतन; व्यावसायिक एक्सपोज़र और कौशल; डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कम्प्यूटेशनल चिंतन; नैतिकता और नैतिक तर्क, मानव और संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास; लिंग संवेदनशीलता; मौलिक कर्तव्य; नागरिकता कौशल और मूल्य; भारत का ज्ञान; पर्यावरण संबंधी जागरूकता, जिसमें पानी और संसाधन संरक्षण, स्वच्छता और साफ-सफाई शामिल हैं; और समसामयिक मामलों और स्थानीय समुदायों, राज्यों, देश और दुनिया द्वारा जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना किया जा रहा है उनका ज्ञान।

4.24 प्रासंगिक चरणों में समसामयिक विषयों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी), आदि जैसे समसामयिक विषयों की शुरुआत सहित सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन्न महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने हेतु समुचित शिक्षाक्रमीय और शिक्षण-शास्त्रीय कदम उठाए जाएंगे।

4.25 यह माना जाता है कि गणित और गणितीय सोच भारत के भविष्य और कई आगामी क्षेत्रों और व्यवसायों में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इन उभरते हुए क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और डेटा साइंस शामिल हैं। इस प्रकार गणित और कम्प्यूटेशनल सोच को विभिन्न प्रकार के अभिनव तरीकों के माध्यम से फाउंडेशनल स्तर से शुरू करके स्कूल की पूरी अवधि के दौरान विभिन्न तरीकों, जिनमें पहेलियाँ और गेम का नियमित उपयोग शामिल है जो गणितीय सोच को अधिक आनंददायी और आकर्षक बनाते हैं, के माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाएगा। मिडिल स्कूल स्तर पर कोडिंग संबंधी गतिविधियाँ शुरू की जाएँगी।

4.26 प्रत्येक विद्यार्थी ग्रेड 6 और 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए और स्थानीय कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग के अनुसार एक आनंददायी कोर्स करेगा, जो कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प, जैसे कि बढ़ईगीरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों के

निर्माण, आदि का एक जायजा देगा और अपने हाथों से काम करने का अनुभव प्रदान करेगा। ग्रेड 6-8 के लिए एक अभ्यास-आधारित पाठ्यक्रम को एनसीएफएसई 2020-21 को तैयार करते हुए एनसीईआरटी द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी एक दस दिन के बस्ता-रहित पीरियड में भाग लेंगे जब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों, जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। इसी तर्ज पर कक्षा 6 से 12 तक, छुट्टियों के दौरान भी, विभिन्न व्यावसायिक विषय समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम में भी व्यावसायिक कोर्स उपलब्ध कराये जा सकते हैं। वर्ष भर में ऐसे बस्ता-रहित दिनों को विभिन्न प्रकार की समृद्ध करने वाली कला, क्रिज, खेल और व्यावसायिक हस्तकलाओं को प्रोत्साहन दिया जायेगा। बच्चों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटक महत्व के स्थानों/ स्मारकों का दौरा करने, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलने और अपने गांव / तहसील / जिला/ राज्य में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करने के माध्यम से स्कूल के बाहर की गतिविधियों के लिए आवधिक एक्सपोजर दिया जाएगा।

4.27 "भारत का ज्ञान" में आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान शामिल होगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आदि के संबंध में भारत की भविष्य की आकांक्षाओं की स्पष्ट भावना शामिल होगी। इन तत्वों को पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में जहाँ भी प्रासंगिक हो वहाँ वैज्ञानिक तरीके से और एक सटीक रूप से शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से भारतीय ज्ञान प्रणाली को आदिवासी ज्ञान एवं सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीकों सहित कवर किया जाएगा और गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल के साथ-साथ शासन, राजव्यवस्था, संरक्षण, आदि विषयों में शामिल किया जाएगा। जनजातीय एथनो-औषधीय प्रथाओं, वन प्रबंधन, पारंपरिक (जैविक) फसल की खेती, प्राकृतिक खेती, आदि में विशिष्ट पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर एक आकर्षक पाठ्यक्रम भी एक वैकल्पिक के रूप में माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के लिए उपलब्ध होगा। मस्ती और स्वदेशी खेलों के माध्यम से विभिन्न टॉपिक्स और विषयों को सीखने के लिए स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। पूरे स्कूल पाठ्यक्रम के दौरान विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों पर वीडियो वृत्तचित्र दिखाए जाएंगे। छात्रों को सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.28 विद्यार्थियों को कम उम्र में "सही को करने" के महत्व को सिखाया जाएगा, और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तार्किक ढांचा दिया जाएगा। बाद के वर्षों में, इन मुद्दों को विभिन्न थीम जैसे धोखाधड़ी, हिंसा, साहित्यिक चोरी, गंदगी फैलाना, सहिष्णुता, समानता, समानुभूति इत्यादि की मदद से विस्तार दिया जाएगा, जिसमें बच्चों को अपने जीवन का संचालन करने में नैतिक / नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए सक्षम बनाने; कई दृष्टिकोणों से एक नैतिक मुद्दे के बारे में तर्क गढ़ने और निर्णय लेने; और सभी कार्यों में नैतिक आचरण को अपनाने में सक्षम बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस तरह विकसित हुए नैतिक बोध के चलते पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सभी बुनियादी मानवीय और संवैधानिक मूल्यों (जैसे सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम-कर्म, शांति, त्याग, सहिष्णुता, विविधता, बहुलवाद, नैतिक-आचरण, लैंगिक संवेदनशीलता,

बुजुर्गों के लिए सम्मान, सभी लोगों और उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का सम्मान, पर्यावरण के प्रति सम्मान, मदद करना, शिष्टाचार, धैर्य, क्षमा, समानुभूति, करुणा, देशभक्ति, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, अखंडता, जिम्मेदारी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व) को विद्यार्थियों में विकसित किया जा सकेगा। बच्चों को पंचतंत्र की मूल कहानियों, जातक, हितोपदेश, और अन्य मजेदार दंतकथाओं और भारतीय परंपरा से प्रेरक कहानियों को पढ़ने और सीखने का अवसर मिलेगा और वैश्विक साहित्य पर उनके प्रभावों के बारे में भी वे जानेंगे। भारतीय संविधान के अंश भी सभी छात्रों के लिए पढ़ना आवश्यक माना जाएगा। स्वास्थ्य में बुनियादी प्रशिक्षण जिसमें निवारक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा पोषण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, आपदा प्रतिक्रिया और प्राथमिक चिकित्सा शामिल है के साथ ही साथ शराब, तम्बाकू और अन्य मादक पदार्थों के हानिकारक और विपरीत प्रभावों की वैज्ञानिक व्याख्या को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

4.29 फाउंडेशनल स्तर से शुरू करके बाकी सभी स्तरों तक, पाठ्यचर्या और शिक्षण-शास्त्र को एक मजबूत भारतीय और स्थानीय संदर्भ देने की दृष्टि से पुनर्गठित किया जायेगा। इसके अंतर्गत संस्कृति, परंपराएँ, विरासत, रीति-रिवाज, भाषा, दर्शन, भूगोल, प्राचीन और समकालीन ज्ञान, सामाजिक और वैज्ञानिक आवश्यकताएँ, सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके आदि सभी पक्ष शामिल होंगे जिससे शिक्षा यथासंभव रूप से हमारे छात्रों के लिए अधिकतम भरोसेमंद, प्रासंगिक, रोचक और प्रभावी बने। कहानियों, कला, खेलों, उदाहरणों और समस्याओं आदि का चयन जहाँ तक संभव हो भारतीय और स्थानीय भौगोलिक सन्दर्भों के आधार पर किया जायेगा। शिक्षा को इस तरह का आधार मिलने पर निश्चित रूप से अमूर्त चिंतन, नए विचारों और रचनात्मकता को निखरने का अवसर मिलेगा।

स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफएसई)

4.30 स्कूल शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफएसई 2020-21, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सिद्धांतों, अग्रणी पाठ्यचर्या आवश्यकताओं के आधार पर तथा राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाएगा और इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद एनसीएफएसई दस्तावेज की प्रत्येक 5-10 वर्ष में महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या को ध्यान में रखते हुए समीक्षा एवं अद्यतनीकरण किया जाएगा।

स्थानीय विषय-वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकें

4.31 स्कूली पाठ्यक्रम के बोझ में कमी, और बढ़े हुए लचीलेपन, और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी तरीके से सीखने पर नए सिरे से जोर के साथ-साथ स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में भी बदलाव होने चाहिए। सभी पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाने वाली आवश्यक मूल सामग्री (चर्चा, विश्लेषण, उदाहरण और अनुप्रयोग के साथ) को शामिल करना होगा, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय संदर्भों और

आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को भी शामिल करना चाहिए। जहाँ संभव हो, शिक्षकों के पास भी तय पाठ्यपुस्तकों में अनेक विकल्प होंगे। उनके पास अब ऐसी पाठ्यपुस्तकों के अनेक सेट होंगे जिसमें अपेक्षित राष्ट्रीय और स्थानीय सामग्री शामिल होगी। इसके चलते वे ऐसे तरीके से पढ़ा सकें जो उनकी अपनी शिक्षण-शास्त्रीय शैली और उनके छात्रों की एवं समुदायों की ज़रूरत के मुताबिक हो।

4.32 छात्रों को और शिक्षा व्यवस्था पर पाठ्यपुस्तक की कीमतों के बोझ को कम करने के लिए इस तरह की गुणवत्ता की पाठ्यपुस्तकों को न्यूनतम संभव लागत - उत्पादन / मुद्रण की लागत- पर मुहैया करवाया जाएगा। यह उद्देश्य एससीईआरटी के संयोजन में एनसीईआरटी द्वारा विकसित उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तक सामग्री का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है; अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक सामग्री को सार्वजनिक-परोपकारी भागीदारी और क्राउडसोर्सिंग द्वारा वित्तपोषित किया जा सकेगा जिसका इस्तेमाल विशेषज्ञों को ऐसी उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को लागत-मूल्य पर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। राज्य अपने स्वयं के पाठ्यक्रम (जो जहाँ तक संभव हो एनसीईआरटी द्वारा तैयार एनसीईएफएसई पर आधारित हो सकते हैं) तैयार करेंगे और पाठ्यपुस्तकों (जो जहाँ तक संभव हो एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक सामग्री पर आधारित हो सकते हैं) को तैयार करेंगे, जिसमें स्थानीय आस्वादों और सामग्री को ज़रूरत के अनुसार शामिल किया जा सकेगा। ऐसा करते समय, यह ध्यान में रखना चाहिए कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानदंड के रूप में लिया जाएगा। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसी पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, ताकि सभी छात्रों को उच्चतर-गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। पर्यावरण को संरक्षित करने और व्यवस्थात्मक बोझ को कम करने के उद्देश्य से सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों और एनसीईआरटी द्वारा सभी पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड और प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

4.33 पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र में उपयुक्त परिवर्तनों के जरिए स्कूल बैग और पाठ्यपुस्तकों के बोझ को पर्याप्त रूप से कम करने के लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, स्कूलों और शिक्षकों द्वारा ठोस प्रयास किए जाएंगे।

विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूल-चूल परिवर्तन

4.34 हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में आकलन के उद्देश्य को योगात्मक - जो मुख्य रूप से रटकर याद करने के कौशल को ही जांचता है- से हटाकर नियमित रचनात्मक आकलन की ओर ले जाना होगा - जो अधिक दक्षता-आधारित है, हमारे विद्यार्थियों में सीखने और उनके विकास को बढ़ावा देता है, और उनकी उच्चतर-स्तरीय दक्षताओं जैसे कि विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचता है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य वास्तव में सीखने के लिए होगा - यह शिक्षक और विद्यार्थी और पूरी स्कूली शिक्षा प्रणाली में मदद करेगा, सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने और विकास का अनुकूलन करने

के लिए, शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को लगातार संशोधित करने में मदद करेगा। यह शिक्षा के सभी स्तरों पर मूल्यांकन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत होगा।

4.35 प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सभी विद्यार्थियों के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर तैयार होने वाले और अभिभावकों को दिए जाने वाले प्रगति कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जायेगा। यह प्रगति कार्ड एक समग्र, 360-डिग्री, बहु-आयामी कार्ड होगा जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक, साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किये गए विश्लेषण का विस्तृत विवरण, विद्यार्थी की विशिष्टताओं समेत दिया जायेगा। इसमें स्व-मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य और खोज-आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि शिक्षक मूल्यांकन सहित शामिल होगा। यह समग्र प्रगति कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा और यह माता-पिता-शिक्षक बैठकों के साथ-साथ अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में माता-पिता को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए होगा। इस प्रगति कार्ड के द्वारा शिक्षकों और माता-पिता को बच्चे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी जिससे कक्षा में और कक्षा के बाहर विद्यार्थी को मदद उपलब्ध करायी जा सकेगी। छात्रों द्वारा एआई-आधारित सॉफ्टवेयर का विकास और उपयोग माता-पिता, छात्रों और शिक्षकों के लिए सीखने के डेटा और इंटरैक्टिव प्रश्नावली के आधार पर उनके स्कूल के वर्षों के दौरान उनके विकास को ट्रैक करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है ताकि छात्रों को उनके सामर्थ्य, रुचि के क्षेत्रों, फोकस के आवश्यक क्षेत्रों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की जा सके जिससे उन्हें इष्टतम कैरियर विकल्प बनाने में मदद मिल सके।

4.36 बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा सहित माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं की वर्तमान प्रकृति - और परिणामस्वरूप आज की कोचिंग संस्कृति - विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बहुत नुकसान कर रही है। इनके चलते विद्यार्थी अपना कीमती समय सार्थक अधिगम की बजाए परीक्षाओं की तैयारी और अत्यधिक परीक्षा कोचिंग करने में खर्च कर रहे हैं। ये परीक्षाएं विद्यार्थियों को चुनाव के विकल्पों में एक लचीलापन- जो कि भविष्य की व्यक्ति-केन्द्रित शिक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण होगा - देने के बजाय उन्हें किसी खास स्ट्रीम में बेहद संकुचित दायरे में ही तैयारी करने के लिए मजबूर करती हैं।

4.37 जबकि ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली के इन हानिकारक प्रभावों को उलटने के लिए, बोर्ड परीक्षाओं को समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए फिर से डिजाइन किया जाएगा; छात्र अपने व्यक्तिगत हितों के आधार पर उन विषयों में से कई विषय चुन सकते हैं जिनमें वे बोर्ड परीक्षा देते हैं। बोर्ड परीक्षाओं को भी 'आसान' बनाया जाएगा, इस मायने में कि वे कोचिंग और रटने के बजाय मुख्य रूप से क्षमताओं/योग्यताओं का ही आकलन करेंगी। कोई भी छात्र जो स्कूल की कक्षा में जाता है और अपनी ओर से एक बुनियादी प्रयास करता है, वह आसानी से बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के संबंधित विषय बोर्ड परीक्षा को पास कर सकेगा

और अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा। बोर्ड परीक्षाओं के 'उच्चतर जोखिम' पहलू को समाप्त करने के लिए सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, एक मुख्य परीक्षा और यदि वांछित हो तो एक सुधार के लिए।

4.38 अधिक लचीलेपन, विद्यार्थी के लिए चुनाव के विकल्प, और सर्वोत्तम-दो-प्रयास वाले आकलन जो मुख्य रूप से मुख्य क्षमताओं की ही जांच करते हैं- सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए तत्काल महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखे जाने चाहिए। इसी बीच बोर्ड अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अन्य समुचित मॉडल भी विकसित कर सकते हैं ताकि कोचिंग संस्कृति और परीक्षा दबावों को कम किया जा सके। ऐसी कुछ संभावनाओं में ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं: वार्षिक / सेमेस्टर / मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं की एक प्रणाली विकसित की जा सकती है - जिसमें काफी कम सामग्री से ही प्रत्येक टेस्ट लिया जाए, और स्कूल में संबंधित कोर्स के तुरंत बाद इसे लिया जाए ताकि माध्यमिक स्कूल स्तर में परीक्षा के दबाव बेहतर ढंग से वितरित हों, कम दबाव हो, और प्रत्येक परीक्षा पर बहुत कुछ दांव पर ना लगा हो, गणित से शुरू करके सभी विषय और संबंधित आकलन दो स्तरों पर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं- एक कक्षा के स्तर पर और कुछ उच्चतर स्तर पर; और कुछ विषयों में बोर्ड परीक्षा को दो भागों में तैयार किया जा सकता है - एक भाग में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और दूसरे में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे।

4.39 उपरोक्त सभी के संबंध में एनसीईआरटी द्वारा सभी प्रमुख हितधारकों, जैसे एससीईआरटी, बोर्ड ऑफ़ असेसमेंट(बीओए), प्रस्तावित नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र(एनएसीएसई) आदि और शिक्षकों के साथ परामर्श के जरिये दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे, ताकि 2022-23 शैक्षणिक सत्र तक एनसीएफ 2020-21 के समनुरूप आकलन प्रणाली को पूरी तरह बदला जा सके।

4.40 सभी विद्यालयी वर्षों के दौरान, न कि केवल ग्रेड 10 और 12 के अंत में- प्रगति को ट्रैक करने के लिए छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपलों के लाभ के लिए और स्कूलों और पूरी स्कूली शिक्षा प्रणाली में शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करने के उद्देश्य से - सभी विद्यार्थियों को, एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल की परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षाएँ रटकर याद करने की बजाए प्रासंगिक उच्चतर-क्रम के कौशलों और वास्तविक जीवन स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग के साथ-साथ राष्ट्रीय और स्थानीय पाठ्यक्रम से मूल अवधारणाओं और ज्ञान के मूल्यांकन के माध्यम से बुनियादी शिक्षण परिणामों की उपलब्धि का परीक्षण करेंगी। विशेष रूप से, ग्रेड 3 की परीक्षा बुनियादी साक्षरता, संख्या-ज्ञान और अन्य मूलभूत कौशलों का परीक्षण करेगी। स्कूल परीक्षाओं के परिणामों का उपयोग केवल स्कूल शिक्षा प्रणाली के विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा- जिसमें स्कूलों द्वारा उनके समग्र छात्र परिणामों को (बिना विद्यार्थियों के नाम लिए) सार्वजनिक किया जाना, साथ ही स्कूली प्रणाली की सतत निगरानी और सुधार के लिए किया जाना शामिल है।

4.41 एमएचआरडी के तहत एक मानक-निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) स्थापित किये जाने का प्रस्ताव

है जो भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए विद्यार्थी आकलन एवं मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश बनाने जैसे कुछ मूल उद्देश्यों को पूरा करेगा। साथ ही साथ यह, स्टेट अचीवमेंट सर्वे (एसएसएस) का मार्गदर्शन और नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एनएसएस) का संचालन भी करेगा। इसके अलावा देश में सीखने के परिणामों की निगरानी करना, इस नीति के घोषित उद्देश्यों के अनुरूप 21 वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अपने मूल्यांकन पैटर्न को बदलने के लिए स्कूल बोर्डों की मदद करना भी इसका उद्देश्य होगा। यह केंद्र नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोधों के बारे में स्कूल बोर्डों को भी सलाह देगा, स्कूल बोर्डों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। सभी स्कूल बोर्डों के बीच सर्वोत्तम प्रैक्टिस को साझा करने और शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूल बोर्डों के लिए एक उपकरण बनेगा।

4.42 विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए सिद्धांत समान होंगे; राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) उच्चतर गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा, साथ ही विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में हर साल कम से कम दो बार विशिष्ट सामान्य विषय की परीक्षा लेने का काम करेगी। इन परीक्षाओं में अवधारणात्मक समझ और ज्ञान को लागू करने की क्षमता की जांच की जाएगी, और इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेने की आवश्यकता को समाप्त करने पर जोर रहेगा। विद्यार्थी उन विषयों का चुनाव कर पाएंगे जिनमें वे परीक्षा देने में रुचि रखते हैं, और प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तिगत विषय पोर्टफोलियो को देख पाएगा और विद्यार्थियों की रुचि और प्रतिभाओं के मुताबिक उन्हें अपने कार्यक्रमों में प्रवेश दे पायेंगे। एनटीए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट में दाखिले और फैलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रमुख, विशेषज्ञ, स्वायत्त टेस्टिंग संगठन के रूप में काम करेगा। एनटीए टेस्टिंग सेवाओं की उच्चतर गुणवत्ता, रेंज, और लचीलेपन से अधिकांश विश्वविद्यालय इन सामान्य प्रवेश परीक्षाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे- बजाय इसके कि सैकड़ों विश्वविद्यालय अपनी-अपनी प्रवेश परीक्षाएं तैयार करें- इसके चलते विश्वविद्यालयों और कॉलेजों और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर बोझ को काफी कम किया जा सकेगा। यह निर्णय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर छोड़ दिया जाएगा कि क्या वे अपने प्रवेश के लिए एनटीए प्रवेश परीक्षाओं को अपनाएं या नहीं।

विशेष प्रतिभा वाले और मेधावी विद्यार्थियों के लिए सहायता

4.43 प्रत्येक विद्यार्थी में जन्मजात प्रतिभाएँ होती हैं, जिन्हें खोजा जाना चाहिए, उनका पोषण करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और उनका विकास करना चाहिए। ये प्रतिभाएँ अलग-अलग रुचियों, प्रस्तावों और क्षमताओं के रूप में खुद को व्यक्त कर सकती हैं। जो छात्र किसी दिए गए दायरे में विशेष रुचि और क्षमताओं को दिखाते हैं, उन्हें उस दायरे को सामान्य स्कूली पाठ्यक्रम से परे भी अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक शिक्षा में विद्यार्थियों की प्रतिभाओं और रुचियों की पहचान और इन्हें बढ़ावा देने के तरीके शामिल होंगे। एनसीईआरटी और एनसीटीई, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए दिशानिर्देश विकसित करेंगे। बी.एड. कार्यक्रमों में भी प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा में विशेषज्ञता अर्जित की जा सकेगी।

4.44 शिक्षकों का उद्देश्य छात्रों को पूरक संवर्धन सामग्री और मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देकर कक्षा में उनके एकल हितों और/या प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना होगा। विषय-केंद्रित और प्रोजेक्ट-आधारित क्लब और सर्कल, स्कूल कॉम्प्लेक्स, जिलों और उससे आगे के स्तरों पर अत्यधिक प्रोत्साहित और समर्थित किये जाएंगे। साइंस सर्कल, मैथ सर्कल, म्यूजिक परफॉरमेंस सर्कल, चेस सर्कल, पोएट्री सर्कल, लैंग्वेज सर्कल, ड्रामा सर्कल, डिबेट सर्कल, स्पोर्ट्स सर्कल, इको-क्लब, स्वास्थ्य और कल्याण क्लब / योग क्लब इत्यादि इस प्रकार के कुछ उदहारण हैं। इसी तर्ज पर, विभिन्न विषयों में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए उच्चतर गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय आवासीय ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनमें पूरे देश से बहुत अच्छे छात्रों और शिक्षकों, जिसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी और शिक्षक भी शामिल हैं, को आकर्षित करने के लिए गहन मेरिट-आधारित लेकिन समान प्रवेश प्रक्रिया होगी।

4.45 देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाएगा, जिनमें स्कूल से लेकर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी समन्वय के जरिये यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी छात्र सभी स्तरों पर जिनमें उन्होंने क्वालीफाई किया हो, उनमें भाग ले सकें। व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और क्षेत्रीय भाषाओं में ओलंपियाड उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय, जिनमें आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं, को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के परिणामों और अन्य संगत राष्ट्रीय कार्यक्रमों के परिणामों का उपयोग दाखिले संबंधी मानदंडों के भाग के रूप में उनके अवरस्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश देने में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.46 एक बार जब इंटरनेट से जुड़े स्मार्टफोन या टैबलेट सभी घरों और / या स्कूलों में उपलब्ध होंगे, तो किज़, प्रतियोगिताओं, आकलन, संवर्धन सामग्री वाले ऑनलाइन ऐप और साझा हितों के लिए ऑनलाइन समुदाय विकसित किए जाएंगे, और सभी उपरोक्त चीज़ों को समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे जैसे माता-पिता और शिक्षकों की उचित देखरेख में विद्यार्थियों के लिए समूह गतिविधियां। स्कूल चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट कक्षाकक्ष विकसित करेंगे ताकि डिजिटल शिक्षणशास्त्र का उपयोग हो सके और उसके द्वारा ऑनलाइन संसाधनों और सहयोग के साथ सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को समृद्ध किया जा सके।

5. शिक्षक

5.1 शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरुओं को उनके जरूरत की सभी चीज़ें प्रदान करता था। अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्तें, और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी

होनी चाहिए, और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों का प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तीकरण की आवश्यकता है।

भर्ती और पदस्थापन

5.2 उत्कृष्ट विद्यार्थी ही- विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से – शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाएं यह सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट 4-वर्षीय एकीकृत बी. एड. कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट-आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में, कुछ विशेष मेरिट आधारित छात्रवृत्ति को स्थापित किया जाएगा जिसके तहत चार वर्षीय बी. एड. डिग्री सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद स्थानीय इलाकों में निश्चित रोजगार भी शामिल होगा। इस प्रकार की छात्रवृत्ति स्थानीय विद्यार्थियों (विशेषकर छात्राओं) के लिए स्थानीय नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी जिससे कि ये विद्यार्थी स्थानीय क्षेत्र के रोल मॉडल के रूप में और उच्चतर-योग्य शिक्षकों के रूप में सेवा कर सकें जो स्थानीय भाषा बोलते हों। उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जो वर्तमान में सबसे ज्यादा शिक्षक की कमी का सामना कर रहे हैं और उत्कृष्ट शिक्षकों की सबसे बड़ी जरूरत है। ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन स्कूल परिसर में या उसके आस-पास स्थानीय आवास का प्रावधान होगा या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवास रखने में मदद करने के लिए आवास भत्ते में वृद्धि होगी।

5.3 शिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे जिससे विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिले सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक शिक्षक स्थानांतरण की हानिकारक प्रैक्टिस पर रोक लगायी जाएगी। राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित तरीके से स्थानान्तरण बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किए जाएंगे। इसके अलावा पारदर्शिता बनाये रखने के लिए स्थानांतरण एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था के द्वारा किये जायेंगे।

5.4 शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सामग्री और शिक्षाशास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों (बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक) के शिक्षकों को शामिल करते हुए भी टीईटी को विस्तृत किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबन्धित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंको को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जाँचने के लिए साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना, स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा। इन साक्षात्कारों का उपयोग स्थानीय भाषा में शिक्षण में सहजता और दक्षता का आकलन करने के लिए किया जाएगा, जिससे प्रत्येक स्कूल / स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम कुछ शिक्षक हों जो स्थानीय भाषा और छात्रों की अन्य

प्रचलित घरेलू भाषाओं में छात्रों के साथ बातचीत कर सकें। निजी स्कूलों में शिक्षकों को भी टीईटी, कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन / साक्षात्कार और स्थानीय भाषा के ज्ञान के माध्यम से समान रूप से योग्य होना चाहिए।

5.5 विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए - विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और भाषाओं जैसे विषयों में - शिक्षकों को एक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में भर्ती किया जा सकता है; स्कूलों में शिक्षकों की साझेदारी को राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपनाई गई ग्रुपिंग-ऑफ-स्कूल प्रारूप के अनुसार किया जा सकता है।

5.6 स्कूलों / स्कूल कॉम्प्लेक्स को छात्रों को लाभान्वित करने और स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न विषयों जैसे पारंपरिक स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमिता, कृषि, या कोई अन्य विषय जहाँ स्थानीय विशेषज्ञता मौजूद है, में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों या विशेषज्ञों को 'विशेष प्रशिक्षक' के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.7 अगले दो दशकों में अपेक्षित विषयवार शिक्षकों की रिक्तियों का आकलन करने के लिए एक तकनीक आधारित व्यापक शिक्षक-आवश्यकता आयोजना और भावी आवश्यकताओं के अनुमान का कार्य प्रत्येक राज्य द्वारा आयोजित किया जाएगा। भर्ती और पदस्थापन में ऊपर बताई गई सभी नयी पहलों को समय के साथ जरूरत के मुताबिक बढ़ाया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी रिक्त पदों पर स्थानीय शिक्षकों सहित योग्य शिक्षकों को नीचे वर्णित कैरियर प्रबंधन और प्रगति के लिए उपयुक्त गुणवत्ता प्रोत्साहन सहित भर्ती करना होगा। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम और ऑफरिंग्स इस प्रकार अनुमानित रिक्तियों के सामंजस्य में होंगे।

सेवाकाल के दौरान कार्य-संस्कृति और वातावरण

5.8 स्कूलों के काम के वातावरण और संस्कृतियों में आमूल-चूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना होगा ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के एक समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सकें; जिनका एक कॉमन लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे सीख रहे हैं।

5.9 इस दिशा में पहली आवश्यकता स्कूलों में सभ्य और सुखद कार्य-स्थिति सुनिश्चित करने की होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में पर्याप्त और सुरक्षित भौतिक संसाधन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए स्वच्छ और आकर्षक स्थान, बिजली, कंप्यूटिंग उपकरण, इंटरनेट, पुस्तकालय और खेल और मनोरंजन के साधन मुहैया करवाने होंगे ताकि स्कूलों के शिक्षक और छात्र, सभी जेंडर के छात्रों और दिव्यांग बच्चों सहित, एक सुरक्षित, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्राप्त कर सकें और उनके स्कूलों में पढ़ाने और सीखने के लिए सुविधाजनक और प्रेरित महसूस करें। सेवाकालीन प्रशिक्षण में स्कूलों

में कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इनपुट होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक इन आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों।

5.10 प्रभावशाली स्कूली प्रशासन, संसाधनों की साझेदारी और समुदाय के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूलों के वैज्ञानीकरण, स्कूलों तक पहुँच को कम किए बिना, जैसे उन्नतिशील प्रारूप अपना सकती हैं। उदाहरण के लिए, स्कूल कॉम्प्लेक्सों का निर्माण जीवंत शिक्षक समुदायों के निर्माण की दिशा में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। स्कूल परिसरों में शिक्षकों को काम पर रखने से विद्यालय परिसर में स्कूलों के बीच संबंध स्वतः बन सकते हैं; यह शिक्षकों के उत्कृष्ट विषय-वार वितरण को सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा, जिससे एक अधिक जीवंत शिक्षक-ज्ञान का आधार बनेगा। बहुत छोटे स्कूलों में शिक्षक अब अलग-थलग नहीं रहेंगे और बड़े स्कूल कॉम्प्लेक्स समुदायों के साथ काम कर सकते हैं और सर्वोत्तम व्यवहारों को एक-दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं और सामूहिक रूप से और सहयोगी रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि सभी बच्चे सीख रहे हैं। शिक्षकों को आगे बढ़ाने और सीखने के लिए प्रभावी सामुदायिक वातावरण बनाने में मदद करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स परामर्शदाताओं, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, तकनीकी और रखरखाव कर्मचारियों आदि को भी साझा कर सकते हैं।

5.11 अभिभावकों और अन्य प्रमुख स्थानीय हित-धारकों के साथ सहयोग से शिक्षक भी स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रशासन में स्कूल प्रबंधन समिति/स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में अधिक शामिल होंगे।

5.12 शिक्षकों का ज़्यादातर समय गैर-शिक्षण गतिविधियां करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षक को ऐसे कार्य जो शिक्षण से सीधे संबंधित नहीं हैं उनको करने की अनुमति नहीं होगी। विशेष रूप से शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य, मध्याह्न भोजन से संबंधित कार्य के लिए तर्कसंगत न्यूनतम समय से अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा जिससे वे पूरी तरह से शिक्षण अधिगम कार्य में ध्यान दे सकेंगे।

5.13 यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल में सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण हो, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की अपेक्षित भूमिका में यह स्पष्ट रूप से शामिल होगा कि वे अपने स्कूलों में प्रभावी अधिगम और सभी हितधारकों के लाभार्थ एक संवेदनशील और समावेशी संस्कृति का निर्माण करें।

5.14 शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के उन पहलुओं को चयनित करने के लिए ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी, जिससे वे उन तरीकों से पढ़ा सकें जो उनकी कक्षाओं और समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हों। शिक्षक सामाजिक-भावनात्मक पक्षों पर भी ध्यान देंगे जो कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से नितांत आवश्यक पक्ष है। शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा जिससे कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल में वृद्धि हो।

सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी)

5.15 शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर दिये जाएंगे। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों में पेश किया जाएगा। प्लेटफॉर्म (विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म) विकसित किए जाएंगे ताकि शिक्षक विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा लें। सीपीडी के अवसरों में विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के नवीनतम शिक्षणशास्त्र, अधिगम परिणामों के रचनात्मक और अनुकूल आकलन, योग्यता आधारित अधिगम और संबंधित शिक्षणशास्त्र जैसे अनुभववात्मक शिक्षण, कला-एकीकृत, खेल-एकीकृत, और कहानी-आधारित दृष्टिकोण, आदि को क्रमबद्ध रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

5.16. स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुखों के लिए अपने लीडरशिप और मैनेजमेंट कौशल को लगातार विकसित करने के लिए एक समान मॉड्यूलर लीडरशिप/मैनेजमेंट कार्यशालाएँ और ऑनलाइन विकास के अवसर होंगे ताकि वे अपनी सर्वोत्तम प्रैक्टिस को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। इन संस्था प्रमुखों से भी यह अपेक्षित है कि वे भी प्रति वर्ष 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें योग्यता और परिणाम-आधारित शिक्षा के आधार पर शैक्षणिक योजनाओं को तैयार करने और लागू करने को केंद्रित करते हुए लीडरशिप और मैनेजमेंट के साथ-साथ विषयवस्तु और शिक्षण शास्त्र संबंधी कार्यक्रम शामिल होंगे।

कॅरियर मैनेजमेंट और प्रगति (सीएमपी)

5.17 उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए जिससे कि सभी शिक्षकों को अपना बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। अतः एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति, और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिसमें शिक्षकों का प्रत्येक स्तर बहुस्तरीय होगा जिससे बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन और पहचान मिलेगी। शिक्षकों के प्रदर्शन के सही आकलन के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा मल्टीपल पैरामीटर्स की एक व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा जो सहकर्मियों द्वारा की गयी समीक्षा, उपस्थिति, समर्पण, सीपीडी के घंटे और स्कूल और समुदाय में की गयी अन्य सेवा या पैरा 5.20 में दिए गए एनपीएसटी पर आधारित है। इस नीति में, कॅरियर के संदर्भ में 'कार्यकाल' से आशय प्रदर्शन और योगदान के आकलन के बाद स्थायी रोजगार से है जबकि 'कार्यकाल ट्रेक' से आशय स्थायी होने से पूर्व परिवीक्षा अवधि से है।

5.18 इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कॅरियर की वृद्धि (कार्यकाल, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आदि के संदर्भ में) एक एकल स्कूल चरण (यानी, मूलभूत, प्रारंभिक, मिडिल या माध्यमिक) के भीतर

शिक्षकों के लिए उपलब्ध है, और प्रारंभिक अवस्था से बाद के चरणों में शिक्षकों के लिए या इसके विपरीत (हालांकि चरणों में इस तरह के कैरियर संबंधी कदम उठाने की अनुमति होगी, बशर्ते शिक्षक के पास इस तरह के कदम उठाने की इच्छा और योग्यता हो) कैरियर की प्रगति से संबंधित कोई प्रोत्साहन नहीं है। यह इस तथ्य का समर्थन करने के लिए है कि स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में उच्चतम-गुणवत्ता वाले शिक्षकों की आवश्यकता होगी, और किसी भी चरण को किसी अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा।

5.19. योग्यता के आधार पर शिक्षकों की वर्टिकल मोबिलिटी भी सर्वश्रेष्ठ होगी; उत्कृष्ट शिक्षक जिन्होंने लीडरशिप और मैनेजमेंट के कौशलों को दर्शाया होगा, उनको समय के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वे आगे चलकर स्कूल, स्कूल कॉम्प्लेक्स, बीआरसी, सीआरसी, बीआईटीई, डीआईटीई के साथ-साथ संबंधित सरकारी विभाग और मंत्रालय में अकादमिक नेतृत्व कर सकेंगे।

शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक

5.20 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सभी स्तर और क्षेत्रों के शिक्षक, शिक्षक की तैयारी और विकास हेतु संस्थानों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ परामर्श से सामान्य मानक परिषद (जीईसी) के तहत व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी (पीएसएसबी) के रूप में पुनर्गठित अपने नए स्वरूप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित किया जाएगा। मानकों में विशेषज्ञता / रैंक के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका और उस रैंक के लिए आवश्यक दक्षताओं की अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रत्येक रैंक में किये गए प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानक भी शामिल होंगे, जो कि समय-समय पर किए जायेंगे। एनपीएसटी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के डिजाइन को भी सूचित करेगा। तब जाकर इसे राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है और इन मानकों के आधार पर शिक्षकों का कैरियर मैनेजमेंट होगा जिसमें कार्यकाल, व्यावसायिक विकास के प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, और अन्य पहचान शामिल होंगे। कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय सिर्फ निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतन में वृद्धि होगी। 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा और उसके बाद हर दस वर्षों में व्यवस्था की गुणवत्ता का सख्त आनुभविक विश्लेषण किया जाएगा।

विशिष्ट शिक्षक

5.21 स्कूल शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की अति आवश्यकता है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं के कुछ उदाहरणों में मिडिल और माध्यमिक स्तर में विकलांग/दिव्यांग बच्चों, ऐसे छात्रों सहित जिन्हें सीखने में कठिनाई (लर्निंग डिसेबिलिटी) होती है, के शिक्षण हेतु विषयों का शिक्षण शामिल हैं। इन शिक्षकों को सिर्फ विषय-शिक्षण ज्ञान और विषय संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की समझ ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए उपयुक्त कौशल भी होने चाहिए। इसलिए इन

क्षेत्रों में विषय शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों को उनके शुरूआती दौर में या फिर सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी होने के बाद द्वितीयक विशेषज्ञता विकसित की जा सकती है। इसके लिए शिक्षकों को सेवाकालीन और पूर्व-सेवाकालीन मोड में, पूर्णकालिक या अंशकालिक / मिश्रित कोर्स बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराये जायेंगे। योग्य विशेष शिक्षकों, जो विषय शिक्षण को भी संभाल सकते हों, की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनसीटीई और आरसीआई के पाठ्यक्रम के बीच व्यापक तालमेल को सक्षम किया जाएगा।

शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण

5.22 यह मानते हुए कि शिक्षकों को उच्चतर-गुणवत्ता की सामग्री के साथ-साथ शिक्षणशास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, शिक्षक-शिक्षा को धीरे-धीरे वर्ष 2030 तक बहु-विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। जैसे-जैसे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय बहु-विषयक बनने की दिशा में बढ़ेंगे और उनका लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में बीएड, एमएड और पीएचडी की डिग्री प्रदान करेंगे।

5.23 वर्ष 2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होगी जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा इसमें स्थानीय स्कूलों में छात्र-शिक्षण के रूप में व्यावहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा। 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं बहु-विषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे और यह केवल उनके लिए ही आवश्यक होगा जो पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। इन बी.एड. कार्यक्रमों को एक वर्षीय बी. एड. कार्यक्रमों के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है जो केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने चार वर्षीय बहु-विषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में परा-स्नातक डिग्री प्राप्त की हो और उस विशिष्ट विषय में विषय शिक्षक बनना चाहते हो। इस प्रकार की सभी बी.एड. डिग्रियाँ केवल चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं। चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम प्रदान करने वाले वे बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान, जिनके पास मुक्त दूरस्थ शिक्षण (ओडीएल) की मान्यता भी है, दूर-दराज और दुर्गम भौगोलिक स्थानों के विद्यार्थियों और अपनी अर्हता को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए मिश्रित या ओडीएल मोड से भी उच्चतर गुणवत्ता वाले बी. एड. कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं जिसके लिए वे कार्यक्रम के व्यावहारिक प्रशिक्षण और छात्र-शिक्षण घटक तथा मेंटरिंग हेतु उपयुक्त और ठोस व्यवस्था करेंगे।

5.24 सभी बी.एड. कार्यक्रमों में शिक्षण-शास्त्र की जाँची-परखी तकनीकों के साथ साथ हाल ही में सबसे नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान के संबंध में शिक्षण-शास्त्र, बहुस्तरीय शिक्षण और मूल्यांकन, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, विशेष रूचि या प्रतिभा वाले बच्चों को पढ़ाना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग और शिक्षार्थी केंद्रित एवं सहयोगात्मक शिक्षण शामिल है।

सभी बी.एड. कार्यक्रमों में स्थानीय स्कूलों में जाकर कक्षा में शिक्षण कराने को व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में शामिल किया जाएगा। सभी बी.एड. कार्यक्रम किसी भी विषय को पढ़ाने या किसी भी गतिविधि को करने के दौरान भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51 A) और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने पर बल दिया जाएगा। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उसके संरक्षण तथा सतत विकास के प्रति संवेदनशीलता को भी उचित रूप से एकीकृत किया जाएगा, ताकि पर्यावरण शिक्षा स्कूल पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग बन सके।

5.25 कुछ विशेष अल्प-अवधि के स्थानीय शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम बीआईटीई, डीआईटीई या स्वयं स्कूल परिसरों में भी उपलब्ध होंगे, जिससे कि स्थानीय व्यवसाय, ज्ञान और कौशलों जैसे; स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल, बढ़ईगरी और अन्य व्यावसायिक शिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रख्यात स्थानीय व्यक्तियों को स्कूलों या स्कूल परिसरों में 'मास्टर प्रशिक्षक' के रूप में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

5.26 बहु-विषयक कालेजों और विश्वविद्यालयों में उन शिक्षकों को बी.एड. के बाद कुछ अल्प-अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से उपलब्ध करवाए जायेंगे जो शिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि विशेष-जरूरत वाले विद्यार्थियों के शिक्षण, या स्कूली शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व और प्रबंधन के पदों पर, या बुनियादी, प्रारम्भिक, उच्चतर प्राथमिक और मध्यमिक स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना चाहते हैं।

5.27 यह मान्य है कि विशेष विषयों के शिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक शिक्षा विधियाँ हो सकती हैं; एनसीईआरटी विभिन्न विषयों के शिक्षण की विविध विधियों का अध्ययन, शोध, प्रलेखन और समेकन करेगा और सिफ़ारिशें करेगा कि इनमें से क्या सीखकर भारत में व्यवहार में लायी जा रही विधियों में शामिल किया जा सकता है।

5.28 वर्ष 2021 तक एनसीटीई द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीएफटीई 2021 तैयार की जाएगी। यह रूपरेखा राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों से चर्चा के बाद तैयार की जाएगी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। एनसीएफटीई 2021 में व्यवसायिक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। तत्पश्चात, संशोधित एनसीएफ में परिवर्तन और अध्यापक शिक्षा की उभरती हुई अपेक्षाओं को दर्शाते हुए एनसीएफटीई में प्रत्येक 5-10 वर्षों में संशोधन किया जाएगा।

5.29 अंततः, अध्यापक शिक्षा प्रणाली की प्रामाणिकता को पूर्णतया बनाए रखने के लिए देश में चलाए जा रहे अवमानक स्टैंड अलोन अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसमें यदि ज़रूरी हो तो उन्हें बंद किया जाना शामिल है।

6. समतामूलक और समावेशी शिक्षा: सभी के लिए अधिगम

6.1 शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हों। यह शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक न बन पायें। यह नीति इस बात की पुनः पुष्टि करती है कि स्कूल शिक्षा में पहुँच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य होगा। इस अध्याय को अध्याय 14 के साथ पढ़ा जाए जिसमें उच्चतर शिक्षा में समता और समावेशन के मुद्दों पर चर्चा की गई है।

6.2 यद्यपि, भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है किन्तु असमानता आज भी देखी जा सकती है - विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, हम सामाजिक - आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूहों को देख सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतकाल से ही पीछे रहे हैं। सामाजिक - आर्थिक रूप से वंचित (एसईडीजी) इन समूहों को लिंग (विशेष रूप से महिला व ट्रांस जेंडर व्यक्ति), सामाजिक - सांस्कृतिक पहचान (जैसे - अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक), भौगोलिक पहचान (जैसे - गाँव, कस्बे व आकांक्षी जिले के विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता (सीखने से संबंधित अक्षमता सहित) और सामाजिक - आर्थिक स्थिति (जैसे कि प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल-तस्करी के शिकार बच्चे या बाल-तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे, अनाथ बच्चे जिनमें शहरों में भीख मांगने वाले व शहरी गरीब भी शामिल हैं) के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जबकि स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है, नामांकन में यह गिरावट सामाजिक - आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) में अधिक है और विशेषकर इन एसईडीजी की महिला विद्यार्थियों के सन्दर्भ में यह और अधिक स्पष्ट है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एसईडीजी के नामांकन में यह गिरावट और अधिक है। सामाजिक आर्थिक पहचान में आने वाले एसईडीजी की संक्षिप्त स्थिति अनुवर्ती उपखंडों में दी गई है।

6.2.1 यू-डीआईएसई 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के हैं, किन्तु उच्चतर माध्यमिक स्तर यह प्रतिशत कम होकर 17.3% हो गया है। नामांकनों में ये गिरावट अनुसूचित जनजाति के छात्रों (10.6% से 6.8%), और दिव्यांग बच्चों (1.1% से 0.25%) के लिए अधिक गंभीर हैं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में महिला छात्रों के लिए इन नामांकनों में और भी अधिक गिरावट आई है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन में गिरावट और भी अधिक है।

6.2.2 गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुँच पाने में कमी, गरीबी, सामाजिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं और भाषा सहित अनेक विभिन्न कारकों से अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन और प्रतिधारण की दरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुँच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में इन अंतरालों को पूरा करना प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहेगा। साथ ही, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जिन्हें पहले से ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर पहचाना जाता है, पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

6.2.3 विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के कारण जनजातीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे भी कई स्तरों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। आदिवासी समुदायों के बच्चे अक्सर अपने स्कूली शिक्षा को सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अप्रासंगिक और विदेशी पाते हैं। हालांकि वर्तमान में आदिवासी समुदायों के बच्चों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है कि जनजातीय समुदायों के बच्चों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिले।

6.2.4 स्कूल और उच्चतर शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी अपेक्षाकृत कम है। यह नीति सभी अल्पसंख्यक समुदायों और विशेष रूप से उन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेपों के महत्व को स्वीकार करती है, जिनका शैक्षिक रूप से प्रतिनिधित्व कम है।

6.2.5 यह नीति विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडबल्यूएसएन) या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को भी पहचानती है।

6.2.6 स्कूल शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग रणनीति तैयार की जाएगी, जैसा कि निम्नलिखित उप-भागों में उल्लेख किया गया है।

6.3 ईसीसीई, मूलभूत साक्षरता / संख्या ज्ञान और विद्यालय तक पहुँच / नामांकन / उपस्थिति आदि से संबंधित समस्याएं व सिफारिशें जिनकी चर्चा अध्याय 1 से 3 में की गयी है विशेष रूप से अल्प प्रतिनिधित्व वाले और लाभवञ्चित समूहों के लिए महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है। अतः एसईडीजी के सन्दर्भ में अध्याय 1-3 में दिए गए उपायों को दृढ़ता पूर्वक लागू किया जाएगा।

6.4 इसके अतिरिक्त, लक्षित छात्रवृत्ति, माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण, परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करना, आदि जैसी विभिन्न सफल नीतियाँ और योजनाएँ चलाई गई हैं जिससे कुछ क्षेत्रों में एसईडीजी की भागीदारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में काफी बढ़ी है। इन सफल नीतियों और योजनाओं को पूरे देश में और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

6.5 यह भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह पता लगाए कि कौन से उपाय विशेष रूप से कुछ एसईडीजी के लिए प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए, साइकिल प्रदान करना और स्कूल तक पहुँचने के लिए साइकिल व पैदल चलने वाले समूहों का आयोजन करना महिला छात्रों की बढ़ती भागीदारी के सन्दर्भ में यह विशेष रूप से शक्तिशाली तरीके के रूप में उभरा है - यहाँ तक कि कम दूरी वाले स्थानों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से और माता-पिता को मिलने वाले सुरक्षा-भाव के कारण यह काफी प्रभावी तरीका रहा है। दिव्यांग बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक बच्चे के साथ एक शिक्षक, सहपाठी शिक्षण, मुक्त विद्यालयी शिक्षा, उचित बुनियादी ढांचा और उपयुक्त तकनीक का प्रयोग विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। जो विद्यालय गुणवत्तापूर्ण ढंग से बचपन की देखभाल व शिक्षा प्रदान करते हैं वे आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। इस बीच यह भी देखा गया है कि शहरी गरीब क्षेत्रों में काउंसलर अथवा प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो कि छात्रों, अभिवावकों, स्कूलों व शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं, को काम पर रखना उपस्थिति, सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने की दृष्टि से विशेष रूप से प्रभावी है।

6.6 आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में एसईडीजी का काफी बड़ा अनुपात है। इसके अलावा, ऐसे भौगोलिक स्थान भी हैं जिनकी पहचान महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में की गई है और जिन्हें अपने शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि देश के शैक्षिक रूप से वंचित एसईडीजी की बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र (एसईजेड) घोषित किया जाना चाहिए, जहाँ केंद्र व राज्यों के द्वारा सही मायने में इन क्षेत्रों के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से उपरोक्त सभी योजनाओं और नीतियों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

6.7 हम देख सकते हैं कि अल्पप्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों में आधी संख्या महिलाओं की है। दुर्भाग्यवश, एसईडीजी के साथ होने वाले अन्याय का सामना औरों से ज्यादा इन समूहों की महिलाओं को करना पड़ता है। यह नीति समाज में महिलाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका, वर्तमान व भावी पीढ़ियों के आचार – विचार को आकार देने में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए मानती है कि एसईडीजी की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था उनकी वर्तमान व आने वाली पीढ़ियों के शैक्षिक स्तर को उपर उठाने का सर्वोत्तम तरीका होगा। अतः नीति इस बात की सिफारिश करती है एसईडीजी विद्यार्थियों के उत्थान के लिए बनायीं जा रही नीतियों और योजनाओं को विशेष रूप से इन समूहों की बालिकाओं पर केन्द्रित होना चाहिए।

6.8 इसके अलावा, भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक 'जेंडर-समावेशी निधि' का गठन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्यों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक कोष उपलब्ध होगा। महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है (जैसे स्वच्छता व शौचालय से संबंधित सुविधाएं,

साइकिल व सशर्त नकद हस्तांतरण, आदि); यह कोष राज्यों को समुदाय आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने व और उसे बड़े स्तर तक ले जाने में सक्षम बनाएगा जो महिला व ट्रांस जेंडर बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में परिस्थितिजन्य समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा। अन्य एसईडीजी की शिक्षा तक पहुँच से सम्बंधित समान समस्याओं के समाधान हेतु इसी प्रकार की 'समावेशी निधि' की व्यवस्था की जायेगी। संक्षेप में, इस नीति का उद्देश्य किसी भी लिंग या अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के लिए शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा समेत) तक पहुँच में शेष असमानता को समाप्त करना है।

6.9 ऐसे स्थान जहाँ विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर निशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। विशेषकर ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक – आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। इन छात्रावासों में सभी बच्चों विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों को और मजबूत बनाया जाएगा तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों (ग्रेड 12 तक) में प्रतिभागिता बढ़ाने की दृष्टि से इन्हें और अधिक विस्तारित किया जाएगा। भारत के हर कोने में उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से विशेषकर आकंक्षात्मक जिलों, विशेष शिक्षा क्षेत्रों व वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय खोले जायेंगे। कम से कम एक वर्ष की प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को समाहित करते हुए केंद्रीय विद्यालयों में व देश के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में विशेषकर वंचित क्षेत्रों में प्री-स्कूल वर्ग को जोड़ा जाएगा।

6.10 ईसीसीई में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। दिव्यांग बच्चों को प्रारम्भिक स्तर से उच्चतर स्तर तक की शिक्षण प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (आरपीडबल्यूडी अधिनियम) समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहाँ सामान्य व दिव्यांग, सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो। यह नीति आरपीडबल्यूडी अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशों को पूरा करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करते समय एनसीईआरटी द्वारा दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ परामर्श सुनिश्चित किया जाएगा।

6.11 इसके लिए, दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय व विद्यालय परिसरों की वित्तीय मदद की दृष्टि से सुस्पष्ट व कुशल प्रावधानों की व्यवस्था की जायेगी। इसके साथ यह भी ध्यान दिया जाएगा कि विद्यालय व विद्यालय परिसरों में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। साथ ही, गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के

लिए गाँव / ब्लॉक स्तर, जहाँ भी आवश्यकता हो पर एक संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। आरपीडबल्यूडी अधिनियम के अनुरूप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भौतिक पहुँच बाधा-मुक्त संरचनाओं (भवन इत्यादि) के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप विद्यालय अथवा विद्यालय परिसर कार्य करेंगे जिससे प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप मदद सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित की जायेगी ताकि कक्षा कक्ष में उनकी पूर्ण प्रतिभागिता व समावेशन सुनिश्चित किया जाए। कक्षा में शिक्षकों व अन्य सहपाठियों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कुछ सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीक आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री (जैसे – बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूपों में सुलभ पाठ्य पुस्तकें) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जायेंगे। यह कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी स्कूली गतिविधियों पर भी लागू होगा। एनआईओएस भारतीय संकेत भाषा सिखाने के लिए और भारतीय संकेत भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्चतर-गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करेगा। साथ ही दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।

6.12 आरपीडबल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार, मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा। विशेष शिक्षकों के माध्यम से स्थापित संसाधन केंद्र, गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुर्नवास व शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं में मदद करेंगे एवं साथ ही उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने (होम स्कूलिंग) व कौशल विकसित करने की दिशा में उनके माता-पिता / अभिवावकों को भी मदद करेंगे। स्कूलों में जाने में असमर्थ गंभीर और गहन दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए गृह-आधारित शिक्षा के रूप में एक विकल्प उपलब्ध रहेगा। गृह-आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा ले रहे बच्चों को अन्य सामान्य प्रणाली में शिक्षा ले रहे किसी भी अन्य बच्चे के समतुल्य माना जायेगा। गृह-आधारित शिक्षा की दक्षता व प्रभावशीलता की जांच हेतु समता व अवसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित ऑडिट कराया जाएगा। आरपीडबल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुरूप इस ऑडिट के आधार पर गृह-आधारित स्कूली शिक्षा के लिए दिशानिर्देश और मानक विकसित किए जाएंगे। हालांकि यह स्पष्ट है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है इसके लिए माता – पिता / देखरेख करने वालों के उन्मुखीकरण से लेकर बड़े स्तर पर प्राथमिकता के साथ अधिगम सामग्री के व्यापक प्रचार-प्रसार के प्रौद्योगिकी आधारित समाधान किये जायेंगे, जिनके माध्यम से माता – पिता / देखरेख करने वाले अपने बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप मदद कर पायें।

6.13 अधिकांश कक्षाओं में ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमता होती है जिन्हें निरंतर मदद की आवश्यकता होती है। शोध स्पष्ट करते हैं कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी मदद शुरू की जाती है आगे प्रगति की सम्भावना उतनी ही बेहतर नजर आती है। शिक्षकों को सीखने से संबंधित इस प्रकार की अक्षमताओं की पहचान करने और उनके निवारण के लिए योजना बनाने में विशेष रूप से मदद मिलनी चाहिए। इसके लिए किये जाने वाले विशिष्ट कार्यों जिनमें उपयुक्त तकनीकी की मदद से किये जाने वाले प्रयास सहित शामिल होंगे – बच्चों को अपनी गति के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता देना, प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं का लाभ लेने की दृष्टि से पाठ्यक्रम को प्रत्येक के लिए सक्षम व लचीला बनाना

तथा साथ ही उपयुक्त आकलन और प्रमाणन के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाना। परख नामक प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र सहित मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसियां दिशानिर्देश बनाएंगी और बुनियादी स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा (प्रवेश परीक्षाओं सहित) के स्तर तक इस तरह के मूल्यांकन के संचालन के लिए उपयुक्त तरीकों की सिफारिश करेगी, जिससे सीखने की अक्षमता वाले सभी छात्रों के लिए समान पहुँच और अवसरों सुनिश्चित किए जा सकें।

6.14 विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों (सीखने से सम्बंधित अक्षमताओं के साथ) को कैसे पढ़ाया जाए, इससे संबंधित जागरूकता और ज्ञान को सभी शिक्षक प्रशिक्षणों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता व अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए जिससे उनकी प्रतिभागिता की स्थिति को बेहतर किया जा सके।

6.15 स्कूलों के वैकल्पिक रूपों को अपनी परंपराओं और वैकल्पिक शिक्षण-शास्त्रीय अभ्यासों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ-साथ उन्हें अपने विषयों, शिक्षण क्षेत्रों व पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुरूप एकीकृत करने में सहायता प्रदान की जायेगी ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्रों में उनके विद्यार्थियों की कम प्रतिभागिता को धीरे-धीरे बढ़ाया जा सके। ऐसे विद्यालयों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, राज्य भाषाओं अथवा अन्य प्रासंगिक विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जैसा कि शायद इन स्कूलों द्वारा वांछित हो सकता है। यह पारंपरिक सांस्कृतिक या धार्मिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ग्रेड 1-12 के लिए परिभाषित किये गए अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम करेगा। इसके अलावा, ऐसे स्कूलों में छात्रों को एनटीए द्वारा राज्य या अन्य बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और इस प्रकार उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दाखिला लिया जाएगा। विज्ञान, गणित, भाषा, और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में शिक्षकों की क्षमताओं को नए शैक्षणिक अभ्यासों के लिए उन्मुखीकरण सहित विकसित किया जाएगा। पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जाएगा और पुस्तकों, पत्रिकाओं, आदि जैसे पर्याप्त पठन सामग्री और अन्य शिक्षण-शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

6.16 एसईडीजी के अंतर्गत और ऊपर वर्णित नीतिगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षणिक विकास में असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। स्कूल शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों के तहत, सभी एसईडीजी से प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर समर्पित क्षेत्रों में विशेष छात्रावास, ब्रिज पाठ्यक्रम और फीस माफ़ करने तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता विशेषकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाएगी ताकि उच्चतर शिक्षा में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके।

6.17. रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राज्य सरकारों को जनजाति बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी विंग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे छात्रों की

प्राकृतिक प्रतिभा और अद्वितीय क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा जिससे वे रक्षा सेनाओं में सफल करियर के लिए प्रेरित होंगे।

6.18 एसईडीजी छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति, अवसर और योजनाओं में प्रतिभाग करने की दृष्टि से और समता को बढ़ाने के लिए कुछ सरलीकृत तरीके स्थापित किये जायेंगे जैसे – किसी ऐसी एकल एजेंसी या वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लेना जो सभी विद्यार्थियों तक इन योजनाओं, छात्रवृत्ति अथवा अवसरों की पहुँच सुनिश्चित करे और सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से उनका आवेदन सुनिश्चित करे।

6.19 उपरोक्त सभी नीतियां और उपाय सभी एसईडीजी के लिए पूर्ण समावेश और समता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तो हैं किन्तु पर्याप्त नहीं। इसके लिए विद्यालय की संस्कृति में बदलाव भी जरूरी है। स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी प्रतिभागी, जिनमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक, काउंसलर और छात्र भी शामिल हैं, सभी छात्रों की आवश्यकताओं, समावेशन और समता की धारणाओं और सभी व्यक्तियों के सम्मान, प्रतिष्ठा और निजता के प्रति संवेदनशील होंगे। इस तरह की शैक्षिक संस्कृति छात्रों को सशक्त व्यक्ति बनने में मदद करने के लिए सबसे अच्छा साधन होगी, जो बदले में एक ऐसा समाज बनाने में सक्षम होंगे जो अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए जिम्मेदार है। समावेशन और समता शिक्षक शिक्षा का एक प्रमुख पहलू बन जाएगा (और स्कूलों में सभी नेतृत्व, प्रशासनिक और अन्य पदों के लिए प्रशिक्षण में भी); साथ ही सभी छात्रों के लिए उत्कृष्ट रोल मॉडल लाने की दिशा में यह प्रयास किया जाएगा कि एसईडीजी में से उच्चतर गुणवत्ता के शिक्षक व नेतृत्वकर्ताओं का अधिक से अधिक चयन किया जाए।

6.20 छात्रों को शिक्षकों और अन्य विद्यालय कर्मियों (जैसे प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता) इत्यादि द्वारा लायी गयी इस नई स्कूली संस्कृति व पाठ्यक्रम में आये परिवर्तनों के माध्यम से संवेदनशील बनाया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा, मानवीय मूल्यों पर सामग्री, जैसे सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान, सहानुभूति, सहिष्णुता, मानव अधिकार, लैंगिक समानता, अहिंसा, वैश्विक नागरिकता, समावेशन और समता शामिल होंगे। इसमें विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, लिंग आधारित पहचान इत्यादि के बारे में अधिक विस्तृत ज्ञान शामिल होगा, जो विविधता के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता विकसित करेगा। स्कूल के पाठ्यक्रम में किसी भी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को हटा दिया जाएगा, और ऐसी सामग्री को अधिकता में शामिल किया जाएगा जो सभी समुदायों के लिए प्रासंगिक और संबंधित है।

7. स्कूल कॉम्प्लेक्स/कलस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस

7.1 अब समग्र शिक्षा योजना के तहत समाहित सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए) और देशभर के राज्यों में होने वाले अन्य प्रयासों द्वारा देश के हर बसाहट में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना ने प्राथमिक स्कूलों में लगभग सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करने में तो मदद की है लेकिन इससे कई कम छात्र संख्या वाले स्कूल भी वजूद में आए हैं। यू-डाइज, 2016-17 के आंकड़े के अनुसार, भारत के 28% सरकारी प्राथमिक

स्कूलों और 14.8% उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में 30 से भी कम छात्र पढ़ते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में प्रति कक्षा औसतन 14 छात्र हैं जबकि बहुत से स्कूलों में तो यह औसत मात्र 6 से कम है। वर्ष 2016-17 में 1,08,017 स्कूल एकल शिक्षक स्कूल थे। इनमें से अधिकांश (85743) कक्षा 1 से 5 वाले प्राथमिक स्कूल थे।

7.2 इन कम संख्या वाले स्कूलों के चलते शिक्षकों के नियोजन के साथ-साथ महत्वपूर्ण भौतिक संसाधनों के उपलब्धता की दृष्टि से अच्छे स्कूलों का संचालन जटिल होने के साथ-साथ व्यवहारिक नहीं है। शिक्षकों को अक्सर एक साथ कई कक्षाएं पढ़ानी पड़ती है, और कई विषयों को भी जिसमें वह विषय भी शामिल हो सकते हैं जिनमें उनकी पहले से कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है; जैसे संगीत, कला, खेल जैसे प्रमुख क्षेत्र बहुत बार सिखाए नहीं जाते हैं और भौतिक संसाधन जैसे प्रयोगशाला और खेल उपकरण और पुस्तकालय की किताबें स्कूलों में कम ही उपलब्ध हैं।

7.3 छोटे स्कूलों के अलगाव का भी शिक्षा और शिक्षण-शिक्षण प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक समुदायों और टीमों में सबसे अच्छा काम करते हैं, और इसी प्रकार छात्र भी करते हैं। छोटे स्कूल भी शासन और प्रबंधन के लिए एक प्रणालीगत चुनौती पेश करते हैं। भौगोलिक फैलाव, चुनौतीपूर्ण पहुंच की स्थिति और स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या सभी स्कूलों तक समान रूप से पहुंचना मुश्किल बना देती है। प्रशासनिक संरचनाओं को स्कूल की संख्या में वृद्धि या समग्र शिक्षा योजना के एकीकृत ढांचे में नहीं जोड़ा गया है।

7.4 हालांकि स्कूलों का समेकन एक ऐसा विकल्प है जिस पर हमेशा चर्चा की जाती है, इसे बहुत ही सोच समझकर किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इसकी पहुँच पर कोई प्रभाव न पड़े। इस तरह के उपायों के परिणामस्वरूप केवल छोटे पैमाने पर समेकन की संभावना दिखती है, और बड़ी संख्या में छोटे स्कूलों द्वारा उपजी संरचनात्मक समस्या और चुनौतियों का समाधान नहीं होगा।

7.5 इन चुनौतियों को राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा 2025 तक स्कूलों के समूह बनाने या उनकी संख्या को समुचित रूप देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाकर समाधान किया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि: (क) हर स्कूल में कला, संगीत विज्ञान, खेल, भाषा, व्यावसायिक विषय, आदि सहित सभी विषयों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में परामर्शदाता (काउंसलर)/प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक (साझा या अन्यथा) मौजूद हों; (ख) हर स्कूल में पर्याप्त संसाधन (साझा या अन्यथा) हों, जैसे कि एक पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल के मैदान, खेल उपकरण जैसी सुविधाएं, आदि; (ग) शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों के अलगाव को दूर करने के लिए समुदाय के साथ एक समझ बनाकर संयुक्त व्यवसायिक विकास कार्यक्रमों, शिक्षण-अधिगम सामग्री के साझाकरण, संयुक्त सामग्री निर्माण, कला और विज्ञान प्रदर्शनियां, खेल गतिविधियां, क्विज और डिबेट, और मेले जैसे संयुक्त गतिविधियों का आयोजन करना; और (घ) विकलांग

बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों में सहयोग और संबलन; (ड.) स्कूली व्यवस्था की गवर्नेंस में सुधार के लिए क्रियान्वयन संबंधी बारीकियों के निर्णय स्कूली समूह के स्तर पर छोड़ दिए जाएँ जहाँ उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य हितधारकों द्वारा ही लिया जाये – और फाउंडेशनल स्तर से सेकेंडरी स्तर के ऐसे स्कूलों के समूह को एक एकीकृत अर्ध-स्वायत्त इकाई के रूप में देखा जाये।

7.6 उपरोक्त को पूरा करने के लिए एक संभावित तंत्र स्कूल परिसर नामक एक समूहन संरचना की स्थापना होगी, जिसमें एक माध्यमिक विद्यालय होगा जिसमें पांच से दस किलोमीटर के दायरे में आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित अपने पड़ोस में निचले ग्रेड की पेशकश करने वाले अन्य सभी विद्यालय होंगे। यह सुझाव सर्वप्रथम शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा दिया गया था लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। यह नीति जहाँ भी संभव हो, स्कूल परिसर / क्लस्टर के विचार का दृढ़ता से समर्थन करती है। स्कूल परिसर / क्लस्टर का उद्देश्य अधिक संसाधन दक्षता और क्लस्टर में स्कूलों के अधिक प्रभावी कामकाज, समन्वय, नेतृत्व, शासन और प्रबंधन होगा।

7.7 स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर बनने से और कॉम्प्लेक्स में संसाधन के साझे उपयोग से दूसरे भी बहुत से लाभ होंगे, जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर सहयोग; ज्यादा विविध विषय पर आधारित विद्यार्थी क्लब और स्कूल परिसर में अकादमिक/खेल/कला/शिल्प आधारित कार्यक्रमों का आयोजन; कला, संगीत, भाषा और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के साझे उपयोग से कक्षा में वर्चुअल कक्षाएं आयोजित करने के लिए आईसीटी टूल्स के उपयोग सहित इन गतिविधियों का ज्यादा समावेश; सामाजिक कार्यकर्ता और सलाहकारों (काउंसलर) की मदद से विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहयोग की उपलब्धता और बेहतर नामांकन, उपस्थिति और उपलब्धियों में सुधार, और स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समितियों (केवल स्कूल प्रबंधन समितियों के बजाए) के माध्यम से बेहतर और मजबूत गवर्नेंस, निरीक्षण, निगरानी, नवाचार और स्थानीय हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले कदम। स्कूलों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, सहयोगी स्टाफ, माता-पिता और स्थानीय नागरिकों के बड़े और जीवंत समूहों के आधार पर संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए पूरी शिक्षा व्यवस्था उर्जावान और समर्थ बनेगी।

7.8 स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर व्यवस्था से विद्यालयों का गवर्नेंस भी सुधरेगा और अधिक कुशल बनेगा। पहले, डीएसई स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर के स्तर पर अधिकार देगा जो एक अर्ध-स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) हर स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर को एक इकाई मानकर उसके साथ कार्य करेंगे। कॉम्प्लेक्स डीएसई द्वारा सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभायेंगे और उसके तहत आने वाले प्रत्येक स्कूल समन्वय करेंगे। डीएसई द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर को काफी स्वायत्तता प्रदान की जाएगी जिसके बल पर वे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफ) और स्टेट पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एससीएफ) का अनुपालन करते हुए, समन्वित शिक्षा प्रदान करने की दिशा में जरूरी रचनात्मक कदम उठा सकें और पाठ्यचर्या, शिक्षण-शास्त्र के स्तर पर प्रयोगधर्मी हो पायें। इस संगठन के तहत, स्कूल मजबूत होंगे, ज्यादा स्वायत्तता पूर्वक कार्य कर पाएंगे और

इससे कॉम्प्लेक्स अधिक नवाचारी और जिम्मेदार बनेंगे। इस दौरान, डीएसई बड़े स्तर के लक्ष्यों पर ध्यान दे पायेगा जिससे पूरी शिक्षा व्यवस्था की प्रभाविता में सुधार हो ।

7.9 इन कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर द्वारा दोनों दीर्घकालिक और अल्पकालिक सन्दर्भ में एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की संस्कृति का विकास होगा। स्कूल एसएमसी की मदद से अपनी योजनायें (एसडीपी) बनायेंगे। स्कूलों के प्लान के आधार पर स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर विकास योजना (एससीडीपी) बनाये जायेंगे। एससीडीपी में कॉम्प्लेक्स से सम्बंधित अन्य सभी संस्थानों, जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, के प्लान शामिल होंगे और इसे कॉम्प्लेक्स के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक एससीएमसी की मदद से तैयार करेंगे और इस योजना को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी किया जायेगा। इस योजना में शामिल होंगे – मानव संसाधन, शिक्षण-अधिगम संसाधन, भौतिक संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर, सुधार के लिए ली जाने वाली पहलें, वित्तीय संसाधन, स्कूल संस्कृति सम्बन्धी पहलें, शिक्षक क्षमता संवर्धन योजना और शैक्षणिक परिणामों सम्बन्धी लक्ष्य। उसमें कॉम्प्लेक्स भर के शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह को एक जीवंत अधिगम केन्द्रित समुदाय के रूप में विकसित करने के प्रयासों का ब्यौरा भी होगा। एसडीपी और एससीडीपी वे माध्यम होंगे जिनसे डीएसई समेत सभी हितधारक परस्पर जुड़ाव बनाये रखेंगे। एसएमसी और एससीएमसी, एसडीपी और एससीडीपी का उपयोग स्कूलों की कार्य प्रणाली और दिशा पर नज़र रखने के लिए करेंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। डीएसई, बीईओ जैसे उपयुक्त अधिकारी द्वारा हर स्कूल कॉम्प्लेक्स के एससीडीपी को स्वीकृति देंगे। इसके उपरांत, डीएसई इन योजनाओं की सफलता के लिए, अल्पावधि (एक वर्ष) और दीर्घावधि (3 से 5 वर्ष) के लिए संसाधन (वित्तीय, मानव और भौतिक आदि) उपलब्ध कराएंगे। शैक्षणिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए अन्य प्रासंगिक सहयोग भी उनके द्वारा प्रदान किया जायेगा। डीएसई और एससीईआरटी सभी स्कूलों के साथ एसडीपी और एससीडीपी के विकास के लिए विशेष मानक (उदाहरण के लिए वित्तीय, स्टाफ और प्रक्रिया सम्बन्धी) और फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगी जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जायेगा।

7.10 निजी और सार्वजनिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों के बीच परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल बढ़ाने के लिए देश भर में एक निजी और एक सार्वजनिक विद्यालय को परस्पर सम्बद्ध किया जायेगा जिससे ऐसे सम्बद्ध स्कूल एक-दूसरे से मिल/ सीख सकें और संभव हो तो एक-दूसरे के संसाधनों से भी लाभान्वित हो सकें। जहाँ संभव हो, इन दोनों प्रकार के स्कूलों की अच्छी प्रैक्टिस का दस्तावेजीकरण किया जायेगा, वितरण किया जायेगा और उन्हें पब्लिक स्कूलों की स्थापित प्रक्रियाओं में शामिल किया जायेगा।

7.11 हर राज्य/जिले को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वह 'बाल भवन' स्थापित करे जहाँ हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार (उदाहरण के लिए सप्ताहांत में) जा सकें और कला, खेल और करियर संबंधी गतिविधियों में भागीदारी कर सकें। ऐसे बाल भवन जहाँ संभव हो स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर के हिस्से भी हो सकते हैं।

7.12 स्कूल पूरे समुदाय के लिए सम्मान का और उत्सव का स्थान होना चाहिए। एक संस्थान के रूप में स्कूल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहिए और स्कूल स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवस समुदाय के साथ मिलकर मनाये जाने चाहिए। इस दिन स्कूल के विशिष्ट भूतपूर्व विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित की जानी चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। इस्तेमाल में न आने वाले समय अथवा दिनों में स्कूल की भौतिक सुविधाओं का उपयोग समुदाय के लिए बौद्धिक, सामाजिक और स्वयंसेवी गतिविधियों के आयोजन के लिए और सामाजिक मेलजोल के लिए किया जाना चाहिए जिससे स्कूल एक 'सामाजिक चेतना केंद्र' के रूप में भी भूमिका निभाये।

8. स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन

8.1 स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य शैक्षिक परिणामों में लगातार सुधार करना होगा; यह स्कूलों, नवाचारों को सीमित दायरे में नहीं रखेगा, या शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, और विद्यार्थियों के उत्साह और हिम्मत में बाधा नहीं पहुंचाएगा। कुल मिलाकर, विनियमन को स्कूलों और शिक्षकों को विश्वास के साथ सशक्त बनाने का लक्ष्य रखना होगा, जिससे वे उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर सकें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें और सभी वित्त, प्रक्रियाओं, और शैक्षिक परिणामों को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किये जाने के माध्यम से प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करेंगे।

8.2 वर्तमान में स्कूली शिक्षण प्रणाली में, सार्वजनिक शिक्षा के प्रावधान, समस्त शैक्षणिक संस्थानों के नियमन, और नीतियों के निर्माण से संबंधित कार्यों को एकल निकाय अर्थात् स्कूल शिक्षा विभाग या इसके अंगों द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसका परिणाम शक्ति के सशक्त केन्द्रीकरण और हितों के टकराव के रूप में सामने आता है। इसका एक और परिणाम स्कूल प्रणाली के अप्रभावी प्रबंधन के रूप में भी सामने आता है क्योंकि शिक्षा प्रावधानों से संबंधित प्रयास, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक रूप से निभाई जाने वाली विनियमन और इस जैसी अन्य भूमिकाओं के कारण अक्सर अपनी दिशा भटक जाते हैं।

8.3 वर्तमान नियामक व्यवस्था जहाँ एक तरफ लाभ के लिए खोले गए अधिकतर फॉर-प्रोफिट निजी स्कूलों द्वारा बड़े पैमाने पर हो रहे शिक्षा के व्यावसायीकरण और अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर नियंत्रण नहीं कर सका है, वहीं, दूसरी तरफ ये अक्सर ही अनजाने में सार्वजनिक हितों के लिए समर्पित निजी/परोपकारी स्कूलों को हतोत्साहित करता है। सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए आवश्यक नियामक दृष्टिकोण के बीच बहुत अधिक विषमता रही है, जबकि दोनों प्रकार के स्कूलों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

8.4 सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक जीवंत लोकतान्त्रिक समाज का आधार है, और देश के लिए उच्चतम स्तर के शैक्षणिक परिणामों को हासिल करने के लिए इसके संचालन के तरीके को परिवर्तित और सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही निजी/ परोपकारी स्कूलों को भी एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम किया जाना चाहिए।

8.5 स्कूल शिक्षा प्रणाली से संबंधित ज़िम्मेदारियाँ, और इसके विनियमन से संबंधित दृष्टिकोण के बारे में इस नीति के प्रमुख सिद्धांत और खास सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं:

क) स्कूल शिक्षा विभाग, जो स्कूल शिक्षा में सर्वोच्च राज्य-स्तरीय निकाय है, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा; यह सार्वजनिक स्कूलों के सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और हितों के टकराव को कम करने के लिए स्कूलों के प्रावधान और संचालन के साथ या स्कूलों के विनियमन में शामिल नहीं होगा।

ख) संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालयी प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की ज़िम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी (जिसमें डीईओ, बीईओ आदि भी शामिल हैं)। यह शैक्षिक संचालन और प्रावधान से संबंधित नीतियों को लागू करने का काम स्वतंत्र रूप से करेगा।

ग) प्री-स्कूल शिक्षा - निजी, सार्वजनिक और परोपकारी - सहित आवश्यक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्ता विनियमन या मान्यता प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्कूल कुछ न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्तापूर्ण मानकों का पालन करते हैं, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) नामक एक स्वतंत्र, राज्य-व्यापी निकाय की स्थापना करेंगे। एसएसएसए कुछ बुनियादी मानकों (जैसे बचाव, सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, कक्षाओं और विषयों के आधार पर शिक्षकों की संख्या, वित्तीय इमानदारी, और शासन की उपयुक्त प्रक्रिया) पर न्यूनतम मानकों की स्थापना करेगा, जिसका पालन सभी स्कूलों द्वारा करना होगा। एससीईआरटी द्वारा विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से शिक्षकों और स्कूलों से परामर्श के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए इन मापदंडों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही के लिए एसएसएसए द्वारा निर्धारित सभी बुनियादी विनियामक सूचनाओं का पारदर्शी सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। जिन आयामों पर जानकारी का स्व-प्रकटीकरण किया जाना है, और प्रकटीकरण का प्रारूप एसएसएसए द्वारा स्कूलों के लिए मानक-तय करने की दुनियाँ भर में की जा रही बेहतरीन पहलों के अनुसार तय किया जाएगा। यह जानकारी सभी स्कूलों द्वारा अपडेट की जाएगी और अपनी और सार्वजनिक वेबसाइटों जिन्हें एसएसएसए द्वारा संचालित किया जाता है, पर मुहैया करवानी होगी। सार्वजनिक डोमेन में उठायी गयी या फिर सार्वजनिक जीवन से जुड़े हितधारकों या अन्य लोगों की किसी भी शिकायत को एसएसएसए द्वारा हल किया जाएगा। एक नियमित अंतराल पर, कुछ चयनित छात्रों से ऑनलाइन फीडबैक मंगाए जाएंगे ताकि नियमित अंतराल पर महत्वपूर्ण सुझाव मिल सके। एसएसएसए के सभी कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी को उपयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। इससे स्कूलों द्वारा वर्तमान में वहन किए जाने वाले नियामक जनादेशों में भारी कमी आएगी।

घ) राज्य में अकादमिक मानकों और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले, एससीईआरटी (जो एनसीईआरटी के साथ परामर्श और सहयोग के लिए नज़दीक से जुड़ा होगा) के नेतृत्व में होंगे, जो कि एक संस्थान के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा। एससीईआरटी सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन फ्रेमवर्क (एसक्यूएएफ) तैयार करेगा। सीआरसी, बीआरसी और डीआईटी जैसे संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए एससीईआरटी एक “परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया” के तहत काम करेगा, जो कि 3 वर्षों के अन्दर निश्चित रूप से इनकी क्षमताओं और कार्य-संस्कृति को बदल कर इन्हें उत्कृष्टता के जीवंत संस्थान के रूप में स्थापित करेगा। इस बीच, स्कूल छोड़ने वाले स्तर पर छात्रों की दक्षताओं के प्रमाणन को प्रत्येक राज्य में प्रमाणन / परीक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

8.6 स्कूलों, संस्थानों, शिक्षकों, अधिकारियों, समुदायों और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाने और इन्हें संसाधनों से परिपूर्ण बनाने का काम करने वाली संस्कृति, संरचनाएं, और व्यवस्थाएं इन सबकी जवाबदेही को भी सुनिश्चित करेंगी। प्रत्येक हितधारक और शिक्षा प्रणाली में भागीदार लोग उच्चतमस्तर की ईमानदारी, पूर्ण प्रतिबद्धता और अनुकरणीय कार्य नीति के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए जवाबदेह होंगे। व्यवस्था की प्रत्येक भूमिका से क्या अपेक्षाएं हैं यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाएगा और इन अपेक्षाओं के बरक्स हितधारकों के काम का मूल्यांकन गहन तरीके से होगा। जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए मूल्यांकन प्रणाली खुद को एक उद्देश्यपूर्ण और विकासोन्मुख प्रक्रिया के रूप में विकसित करेगी। इसमें प्रतिक्रिया और मूल्यांकन के कई स्रोत होंगे, प्रदर्शन के बारे में पूरी जानकारी सुनिश्चित करने के लिए (और उदाहरण के लिए छात्रों के अंकों के साथ, केवल सरलीकृत रूप से नहीं जोड़ा जाएगा)। मूल्यांकन से यह पता चलेगा कि छात्रों की शैक्षिक प्राप्ति जैसे परिणामों में कई हस्तक्षेप करने वाले चर और बाहरी प्रभाव होते हैं। यह भी मान्यता देगा कि शिक्षा के लिए विशेषकर स्कूल के स्तर पर टीमवर्क की आवश्यकता होती है। सभी व्यक्तियों की पदोन्नति, मान्यता और जवाबदेही ऐसे प्रदर्शन मूल्यांकन पर आधारित होगी। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि यह ‘विकास, प्रदर्शन और जवाबदेही प्रणाली’ उच्चतर अखंडता के साथ, और व्यवस्थित रूप से, उनके नियंत्रण में रहते हुए समुचित रूप से अपना काम करती रहे।

8.7 सार्वजनिक और निजी स्कूल (केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित / सहायता प्राप्त / नियंत्रित किए जाने वाले स्कूलों को छोड़कर) का मूल्यांकन और प्रमाणन समान मापदंड, बेंचमार्कों और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता पर जोर देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक हित वाले निजी स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा – जिससे कि शिक्षा जो सार्वजनिक सेवा है सभी को मुहैया हो सके एवं माता-पिता और समुदायों को ट्यूशन फीस में मनमानी वृद्धि से सुरक्षित करने के प्रयास भी किये जायेंगे। स्कूल की वेबसाइट और एसएसएसए वेबसाइट पर - सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों की सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाएगा – जिसमें (कम से कम) कक्षाओं, छात्रों, और शिक्षकों की संख्या की जानकारी, पढ़ाए जाने वाले विषय, कोई शुल्क, और एनएस और एसएस जैसे मानकीकृत मूल्यांकन के आधार पर

विद्यार्थियों के समग्र परिणाम शामिल किये जाएँगे। केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित / प्रबंधित / सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए, सीबीएसई एमएचआरडी के परामर्श से एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा। सभी शैक्षणिक संस्थानों को 'नॉट फॉर प्रोफिट' एंटीटी के रूप में लेखापरीक्षा और समान प्रकटीकरण मानकों के अनुसार माना जाएगा। अधिशेष, यदि कोई हो, तो शैक्षिक क्षेत्र में उसका पुनर्निवेश किया जाएगा।

8.8 स्कूल विनियमन, प्रमाणन और गवर्नेंस के लिए तय मानक / विनियामक ढाँचे और सुगम प्रणाली की समीक्षा की जाएगी ताकि पिछले दशक में प्राप्त की गई सीख और अनुभवों के आधार पर सुधार किया जा सके। इस समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्र, विशेष रूप से सुविधाओं से वंचित तबकों के छात्रों को उच्चतर- गुणवत्ता और समतापूर्ण स्कूली शिक्षा आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (3 वर्ष की आयु) से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (अर्थात, ग्रेड 12 तक) निशुल्क और अनिवार्य हो। इनपुट्स पर जोर देना, और उनके विनिर्देशों की यांत्रिकी प्रकृति - भौतिक और अवसंरचनात्मक - को बदल दिया जाएगा और आवश्यकताओं को जमीन पर वास्तविकताओं के लिए अधिक संवेदनशील बनाया गया है, उदाहरण के लिए, भूमि क्षेत्रों और कमरे के आकार, शहरी क्षेत्रों में खेल के मैदानों की व्यावहारिकता आदि के बारे में। जनादेश को समायोजित और शिथिल किया जाएगा, जिससे संरक्षा, सुरक्षा और एक सुखद और उत्पादक अधिगम स्थल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल को स्थानीय आवश्यकताओं और बाधाओं के आधार पर अपने निर्णय लेने के लिए उपयुक्त लचीलापन मिलेगा। शैक्षिक परिणाम और सभी वित्तीय, शैक्षणिक और परिचालन मामलों के पारदर्शी प्रकटीकरण को उचित महत्व दिया जाएगा और स्कूलों के मूल्यांकन में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा। इससे सभी बच्चों के लिए निः शुल्क, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति में और सुधार होगा।

8.9 पब्लिक-स्कूल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना होगा ताकि यह अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से माता-पिता के लिए सबसे आकर्षक विकल्प बन जाए।

8.10 समय-समय पर समग्र प्रणाली की आवधिक जांच-पड़ताल के लिए, छात्रों के सीखने के स्तरों का एक नमूना-आधारित नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एनएसएस) प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख द्वारा अन्य सरकारी निकायों जैसे कि एनसीईआरटी के साथ उपयुक्त सहयोग के साथ किया जाएगा जो अनेकों कार्यों जैसे डेटा विश्लेषण के साथ-साथ मूल्यांकन प्रक्रियाओं में भी सहायता कर सकता है। मूल्यांकन में सरकारी के साथ-साथ निजी स्कूलों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। राज्यों को अपने स्वयं के जनगणना-आधारित 'राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण' (एसएसएस) का संचालन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके परिणामों का उपयोग केवल विकास के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, स्कूल शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए उनके समग्र और विद्यार्थियों की पहचान उजागर किये बिना उनके परिणामों को स्कूलों द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। प्रस्तावित नए मूल्यांकन केंद्र, परख की स्थापना तक एनसीईआरटी एनएसएस को जारी रख सकता है।

8.11 अंत में, स्कूलों में नामांकित बच्चों और किशोरों को इस पूरी प्रक्रिया में नहीं भूलना चाहिए; आखिरकार, स्कूल प्रणाली उनके लिए डिज़ाइन की गई है। उनकी सुरक्षा और अधिकारों पर ध्यान देना - विशेष रूप से बालिकाओं - और किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न गंभीर मुद्दों, जैसे कि मादक द्रव्यों के सेवन और कई प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न की रिपोर्टिंग, बच्चों / किशोरों के अधिकारों या सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के उल्लंघन पर प्रक्रिया के लिए स्पष्ट, सुरक्षित और कुशल तंत्र के साथ प्रणाली द्वारा सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसे तंत्रों का विकास जो सभी छात्रों के लिए प्रभावी, सामयिक और सर्वविदित हों, उच्चतर प्राथमिकता वाले होंगे।

भाग II. उच्चतर शिक्षा

9. गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय: भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण

9.1 उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक कल्याण के विकास में अति आवश्यक भूमिका निभाती है। जैसा कि हमारे संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, सांस्कृतिक और मानवीय राष्ट्र जहाँ सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और भाईचारे का भाव हो, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थायित्व देने में भी उच्चतर शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे-जैसे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की ओर बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे और अधिक भारतीय युवा उच्चतर-शिक्षा की ओर बढ़ेंगे।

9.1.1 इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए, गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का ज़रूरी उद्देश्य, अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। यह एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में गहन स्तर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाती है, और साथ ही चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा की भावना और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, साथ ही व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित विभिन्न विषयों में 21 वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करती है। उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत उपलब्धि और ज्ञान, रचनात्मक सार्वजनिक सहभागिता और समाज में उत्पादक योगदान को सक्षम करना चाहिए। इसे छात्रों को अधिक सार्थक और संतोषजनक जीवन और कार्य भूमिकाओं के लिए तैयार करना चाहिए और आर्थिक स्वतंत्रता को सक्षम करना चाहिए।

9.1.2 व्यक्तियों के समग्र विकास के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व-विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक, सीखने के प्रत्येक चरण में कौशल और मूल्यों का एक निर्धारित सेट शामिल किया जाएगा।

9.1.3 सामाजिक स्तर पर, उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और सक्षम बनाना है जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सके, और अपनी समस्याओं के लिए सशक्त समाधानों को ढूँढकर लागू कर सके। उच्चतर शिक्षा देश में ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार भी बनाती है और इसके चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत रोज़गार के अवसरों का सृजन करना ही नहीं बल्कि अधिक जीवंत और सामाजिक रूप से जुड़े हुए सहकारी समुदायों के साथ मिलकर एक अधिक खुशनुमा, सामंजस्यपूर्ण, सुसंस्कृत, उत्पादक, अभिनव, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है।

9.2 वर्तमान में, भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की कुछेक प्रमुख समस्याओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- क. गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र;
- ख. संज्ञानात्मक कौशल के विकास और सीखने के परिणामों पर कम बल;
- ग. विषयों का एक कठोर विभाजन, विद्यार्थियों को बहुत पहले ही विशेषज्ञ और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों की ओर ढकेल देना;
- घ. सीमित पहुँच, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में जहाँ कुछ एक ही ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं;
- ङ. सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता;
- च. योग्यता आधारित करियर प्रबंधन और संकाय और संस्थागत लीडरों की प्रगति के लिए अपर्याप्त तंत्र;
- छ. अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पर कम बल और विषयक अनुशासनों में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी-समीक्षा शोध निधियों की कमी;
- ज. उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता का अभाव;
- झ. एक अप्रभावी विनियामक प्रणाली; और
- ञ. बहुत सारे संबद्ध विश्वविद्यालय, जिनके परिणामस्वरूप अवर स्नातक शिक्षा के निम्न मानक।

9.3 यह नीति उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव और नए जोश के संचार के लिए उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए कहती है। जिससे सभी युवा लोगों को उनकी आकांक्षा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, समान अवसर देने वाली एवं समावेशी उच्चतर शिक्षा मिले। इस नीति की दृष्टि में वर्तमान उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं:

- क. ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहु-विषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों, जहाँ प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक और पूरे भारत में अधिकतर एचईआई ऐसे ही हो, जो स्थानीय / भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम प्रदान करते हों;
- ख. और अधिक बहु-विषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना;
- ग. संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ना;

- घ. विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि के लिए पाठ्यचर्या, शिक्षण-शास्त्र , मूल्यांकन और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सहयोग में आमूल-चूल परिवर्तन करना;
- ङ. शिक्षण, अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यता-नियुक्तियों और करियर की प्रगति के माध्यम से संकाय और संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की अखंडता की पुष्टि करना;
- च. सहकर्मी द्वारा समीक्षा की गई उत्तम अनुसंधान और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सक्रिय रूप से अनुसंधान की नींव रखने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना;
- छ. शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता वाले उच्चतर-योग्य स्वतंत्र बोर्डों द्वारा एचईआई का गवर्नेंस;
- ज. व्यावसायिक (प्रोफेशनल) शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के सभी एकल नियामक द्वारा "लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाला विनियमन";
- झ. उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से पहुँच, समता और समावेशन में वृद्धि: इसके साथ ही उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसर; वंचित और निर्धन छात्रों के लिए निजी / परोपकारी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति में पर्याप्त वृद्धि; ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा, और मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल); और दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए सभी बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और उस तक उनकी पहुँच।

10. संस्थागत पुनर्गठन और समेकन

10.1 उच्चतर शिक्षा के बारे में इस नीति का मुख्य जोर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहु-विषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और एचईआई क्लस्टरों/ नॉलेज हबों में स्थानांतरित करके उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है। जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य 3,000 या उससे भी अधिक छात्रों का उत्थान करना होगा। यह पूरी उच्चतर शिक्षा में छात्रों के सीखने के लिए विद्वानों और साथियों के जीवंत समुदाय निर्माण, विषयों की बीच उपजी खाईयों को पाटने, छात्रों को उनके सम्पूर्ण मानसिक और चहुमुखी (कलात्मक, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक और खेल) विकास करने में सक्षम, सक्रिय अनुसंधान समुदायों अन्तर-अनुशासनिक अनुसंधान सहित को विकसित करने, और संसाधनों, सामग्री और मनुष्य, की कार्य कुशलता की बढ़ोत्तरी में मदद करेगी।

10.2 उच्चतर शिक्षा के ढाँचे के बारे में, यह नीति सबसे बड़ी अनुशांसा बड़े एवं बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) क्लस्टरों के संबंध में करती है। भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों तक्षशिला, नालन्दा, वल्लभी और विक्रमशिला जिनमें भारत और अन्य देशों के हजारों छात्र जीवंत एवं बहु-विषयक परिवेश में शिक्षा ले रहे थे, ने बड़ी सफलता का प्रदर्शन किया जो इस तरह के बड़े एवं बहु-विषयक अनुसंधान और शिक्षण विश्वविद्यालय ही कर सकते थे। भारत को बहुमुखी प्रतिभा वाले योग्य और अभिनव व्यक्तियों को बनाने के लिए इस परम्परा को वापस लाने की आवश्यकता है, जिससे कई देश पहले से ही शैक्षिक और आर्थिक रूप से इस दिशा में परिणत हो रहे हैं।

10.3 उच्चतर शिक्षा के इस विज्ञान के लिए खासकर एक नई वैचारिक धारणा / समझ की ज़रूरत होगी जिसमें एक उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) अर्थात एक विश्वविद्यालय या एक कॉलेज गठन शामिल है। विश्वविद्यालय से अभिप्राय एक ऐसा बहु-विषयक संस्थान, जो उच्चतर स्तरीय अधिगम (लर्निंग) के लिए उच्चतर श्रेणी के शिक्षण, शोध और समुदायिक भागीदारी के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाता है। इसलिए अगर विश्वविद्यालय को परिभाषित करें तो कई तरह के संस्थान होंगे जो शिक्षण और शोध को बराबर महत्व देने वाले होंगे जैसे शोध गहन विश्वविद्यालय और ऐसे संस्थान जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर अधिक बल देने वाले होंगे परंतु महत्वपूर्ण अनुसंधान का संचालन करने वाले होंगे जैसे शिक्षक गहन विश्वविद्यालय। प्राथमिक तौर पर, एक स्वायत्त डिग्री देने वाला कॉलेज (एसी) उच्चतर शिक्षा के एक बड़े बहु-विषयक संस्थान को संदर्भित करेगा जो स्नातक की डिग्री प्रदान करता है और मुख्य रूप से स्नातक शिक्षण पर केंद्रित है, हालांकि यह उस तक ही सीमित नहीं होगा और इसे उस तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है और यह आमतौर पर एक विशिष्ट विश्वविद्यालय से छोटा होगा।

10.4 श्रेणीबद्ध मान्यता की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से, कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली स्थापित की जाएगी। मान्यता प्राप्त करने के लिए हर स्तर पर ज़रूरी न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए महाविद्यालयों को प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, सहायता, और प्रेरित किया जाएगा। कालांतर में धीरे-धीरे सभी महाविद्यालय या तो डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त महाविद्यालय बन जाएंगे, या किसी विश्वविद्यालय के अंग के रूप में विकसित होंगे; विश्वविद्यालय के अंग के रूप में वे पूर्ण रूप से उसका हिस्सा होंगे। अगर वो चाहें तो उपयुक्त मान्यता के साथ, स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज अनुसंधान-गहन या शिक्षण-गहन विश्वविद्यालयों में विकसित हो सकते हैं।

10.5 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन तीन प्रकारों के संस्थानों का वर्गीकरण एक स्पष्ट, और अलग-अलग श्रेणियां नहीं है, बल्कि एक निरंतरता के साथ है। एचईआई को अपनी योजनाओं, कार्यों और प्रभावशीलता के आधार पर एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने की स्वायत्तता और स्वतंत्रता होगी। इन संस्थाओं को चिह्नित करने के लिए सबसे प्रमुख कार्य उनके लक्ष्यों तथा काम का फोकस होगा। प्रत्यायन प्रणाली इस प्रकार के संस्थानों (एचईआई) के लिए उचित रूप से भिन्न और प्रासंगिक मापदंडों का विकास और उपयोग करेगी। हालांकि, सभी प्रकार के संस्थानों (एचईआई) में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण-अधिगम अपेक्षाएं समान होंगी।

10.6 शिक्षण और शोध के अलावा, उच्चतर शिक्षा संस्थाएं (एचईआई) अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, जैसे- अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) को विकसित और स्थापित करने में सहयोग, सामुदायिक सहभागिता और सेवा, कार्यप्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए प्रध्यापकों की योग्यता का विकास और स्कूली शिक्षा में योगदान, जिन्हें वे उपयुक्त संसाधनों, प्रोत्साहनों और संरचनाओं को मुहैया कराने के माध्यम से निर्वहन करेंगे।

10.7 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) का उद्देश्य अपने आपको बहु-विषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। बुनियादी ढांचे और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए, और जीवंत बहु-विषयक समुदायों के निर्माण के लिए हजारों की संख्या में छात्र नामांकन होंगे। चूंकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान सबसे पहले 2030 तक बहु-विषयक संस्थान बनने की योजना बनायेंगे, और फिर धीरे-धीरे छात्रों की नामांकन संख्या वांछित स्तर तक बढ़ायेंगे।

10.8 वंचित क्षेत्रों में पूर्ण उपलब्धता, न्यायसंगतता और समावेश के लिए उचित संख्या में उच्चतर शिक्षा संस्था स्थापित और विकसित किए जायेंगे। 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) होगा। श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जायेंगे, जिनके निर्देश का माध्यम स्थानीय/भारतीय भाषाओं या द्विभाषिक होगा। इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना होगा। हालांकि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई नए संस्थानों का विकास किया जा सकता है, लेकिन क्षमता निर्माण का एक बड़ा भाग मौजूदा एचईआई को समेकित, महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित और बेहतर बनाने के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

10.9 बड़ी संख्या में उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्थानों के विकास में जोर देने के साथ, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों का विकास होगा। सार्वजनिक उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण सहायता के स्तर को बढ़ाने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली होगी। यह प्रणाली सभी सार्वजनिक संस्थानों के विकास के लिए समान अवसर देगी। यह प्रत्यायन प्रणाली, प्रत्यायन नियमों जैसे पारदर्शिता और पूर्व-प्रचारित मानदंडों पर आधारित होगी। इस नीति के नियमों के अनुसार जो उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) श्रेष्ठतम प्रदर्शन करेंगे, उन्हें अपनी क्षमताओं का विस्तार करके प्रोत्साहित किया जाएगा।

10.10 संस्थानों को अपने कार्यक्रमों की सीटें, पहुँच और सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने एवं जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों को मुहैया कराने (एसडीजी4) हेतु मुक्त दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कोर्स को संचालित करने का अवसर होगा, बशर्ते उन्हें ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हो। सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों (और उनके घटक) के किसी भी डिप्लोमा या डिग्री के मानक और गुणवत्ता, एचईआई के परिसर में संचालित उच्चतम गुणवत्ता कार्यक्रमों के समतुल्य होंगे। ओडीएल के लिए मान्यता प्राप्त बेहतरीन संस्थानों को उच्चतर-गुणवत्ता वाले ऑनलाइन कोर्स विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी सहायता की जाएगी। ऐसे गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन कोर्सों को एचईआई के पाठ्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाएगा और इस प्रकार पाठ्यक्रमों के मिश्रित स्वरूपों को वरीयता दी जाएगी।

10.11 एक ही स्ट्रीम वाले संस्थानों (एचईआई) को समय के साथ जीवंत बहु-विषयक संस्थानों या बहु-विषयक एचईआई क्लस्टर का अंग के रूप में चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित किया जाएगा। जिन्हें उच्चतर गुणवत्ता बहु-विषयक और अंतर-विषयक शिक्षण और अनुसंधान के लिए सक्षम और प्रोत्साहित किया

जायेगा। एक स्ट्रीम वाले एचईआई में विभिन्न विषयों के संकायों को जोड़ा जायेगा जिससे वे मजबूत होंगे। उपयुक्त प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) उपलब्धि के माध्यम से, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) धीरे-धीरे पूर्ण अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्ता की तरफ बढ़ेंगे ताकि ऐसी जीवंत संस्कृति का निर्माण हो। सार्वजनिक संस्थानों की स्वायत्ता को पर्याप्त सार्वजनिक वित्त सहायता से स्थायित्व और मजबूती मिलेगी। निजी संस्थान जो सार्वजनिक हित के लिए उच्चतर गुणवत्ता, समतापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

10.12 इस नीति द्वारा कल्पित नई विनियामक प्रणाली ग्रेडेड ऑटोनोमी के जरिये और इसे एक चुनौती की तरह लेते हुए समग्र रूप से इस संस्कृति को सशक्तिकरण और स्वायत्तता की ओर नवाचार के लिए बढ़ावा देगी। और 15 वर्षों के अंतराल में धीरे-धीरे संबद्ध (एफिलिएटेड) कॉलेज की प्रणाली समाप्त होगी। प्रत्येक संबद्ध विश्वविद्यालय अपने संबद्ध कॉलेज के मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी होगा ताकि वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें तथा अकादमिक और पाठ्यक्रम संबंधी मामलों में न्यूनतम मानदंड; शिक्षण और मूल्यांकन; गवर्नेंस सुधार; वित्तीय मजबूती; और प्रशासनिक दक्षता को प्राप्त कर सकें। वर्तमान में विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेज प्रत्यायन प्राप्त करने और स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज बनने के लिए निर्धारित बेंचमार्क एक समय-अवधि में प्राप्त करेंगे; इसे उचित मेंटरिंग और सरकार के सहयोग सहित एक संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

10.13 समूचे उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का लक्ष्य एक एकीकृत उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बनना होगा - जिसमें व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा शामिल है। यह नीति और इसका दृष्टिकोण वर्तमान में एचईआई के सभी स्ट्रीम्स पर समान रूप से लागू होंगे जो अंततः उच्चतर शिक्षा के एक अनुकूल पारिस्थितिकी में विलय हो जाएंगे।

10.14 व्यापक तौर पर विश्वविद्यालय का अर्थ है, उच्चतर शिक्षा का एक बहु-विषयक संस्थान जो स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच-डी कार्यक्रम चलाता है, और उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान करता है। अभी देश में एचईआई का जटिल नामकरण 'समवत विश्वविद्यालय', 'संबद्ध विश्वविद्यालय', 'संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय', 'एकात्मक विश्वविद्यालय' है जिसे मानकों के अनुसार मानदंड को पूरा करने पर केवल 'विश्वविद्यालय' के नाम से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

11. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर

11.1 भारत में समग्र एवं बहु-विषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परंपरा है, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे बाणभट्ट की *कादंबरी* शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित / वर्णित करती है; और इन 64 कलाओं में न केवल गायन और चित्रकला जैसे विषय शामिल हैं, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायनशास्त्र और गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम और कपड़े

सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि तथा अभियांत्रिकी और साथ ही साथ सम्प्रेषण, चर्चा और वाद-संवाद करने के व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) भी शामिल हैं। यह विचार कि इंसानी सृजन के सभी क्षेत्र (जिसमें गणित, विज्ञान, पेशेवर और व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं) को 'कलाओं' के रूप में देखा जाना चाहिए, भारतीय चिंतन की देन है। विभिन्न 'कलाओं के ज्ञान के इस विचार, या जैसा कि आधुनिक युग में जिसे 'लिबरल आर्ट्स (कलाओं का एक उदार नजरिया)' कहा जाता है, को भारतीय शिक्षा में पुनः शामिल करना ही होगा, चूँकि यह वही शिक्षा है जिसकी 21वीं शताब्दी में आवश्यकता होगी।

11.2 आकलन से पता चलता है की, स्नातक शिक्षा के दौरान, ऐसी शैक्षणिक पद्धतियाँ जो एसटीईएम (विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित) के साथ मानविकी और कला शिक्षा को समाहित करती हैं, तो रचनात्मकता और नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन एवं उच्चतर स्तरीय चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, समूह कार्य में दक्षता, सम्प्रेषण कौशल, सीखने में गहराई और पाठ्यक्रम के सभी विषयों पर पकड़, सामाजिक और नैतिकता के प्रति जागरूकता आदि जैसे सकारात्मक शैक्षणिक परिणाम प्राप्त हुए हैं और साथ ही, समग्र और बहु-विषयक शिक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान में भी सुधार और बढ़ोत्तरी हुई है।

11.3 एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की सभी क्षमताओं- बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक तथा नैतिक- को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा। ऐसी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास: कला, मानविकी, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 21 वीं सदी की क्षमता; सामाजिक जुड़ाव की नैतिकता; व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स), जैसे सम्प्रेषण, चर्चा, वाद-विवाद; और एक चुने हुए क्षेत्र या क्षेत्रों में अच्छी विशेषज्ञता में मदद करेगी। इस तरह की एक समग्र शिक्षा, लंबे समय तक व्यावसायिक, तकनीकी और पेशेवर विषयों सहित सभी स्नातक कार्यक्रमों का दृष्टिकोण होगा।

11.4 एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा, जो कि भारत के इतिहास में सुन्दर ढंग से वर्णित की गई है - वास्तव में आज के स्कूलों की जरूरत है, ताकि हम इक्कीसवीं शताब्दी और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकें। यहाँ तक कि अभियांत्रिकी संस्थान जैसे आई. आई. टी, कला और मानविकी के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कला एवं मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे, कोशिश यही होगी की सभी व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशलों (सॉफ्ट स्किल्स) को हासिल करें। कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भारत की खास विरासत इस तरह की शिक्षा की ओर बढ़ने में सहायक होगी।

11.5 कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाएं अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेगी, और कई प्रवेश और निकास बिन्दुओं के विकल्प होंगे। इस तरह से आज की कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को हटाकर आजीवन सीखने की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर (मास्टर और डॉक्टरेट) की शिक्षा, कठोर अनुसंधान-आधारित

विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ-साथ अकादमिक (शिक्षा जगत), सरकार और उद्योग सहित, बहु-विषयक कार्यों के अवसर भी प्रदान करेगा।

11.6 बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्चतर-गुणवत्ता की समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। विषयों में कठोर विशेषज्ञता के अलावा, छात्रों को पाठ्यचर्या में लचीलापन, नए और रोचक कोर्सेस के विकल्प दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम निर्धारित करने में संकाय और संस्थागत स्वायत्तता द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षाशास्त्र में संचार, चर्चा, बहस, अनुसंधान और क्रॉस-डिसिप्लिनरी और अंतःविषयक सोच के अवसरों पर अधिक जोर होगा।

11.7 देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, भारत-विद्या, कला, नृत्य, नाट्यकला, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद एवं व्याख्या और अन्य ऐसे विषयों के विभागों को बहु-विषयक, भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित और मज़बूत किया जाएगा। इन विषयों में सभी स्नातक उपाधि कार्यक्रमों में क्रेडिट दिया जाएगा यदि वे ऐसे विभागों से या ओडीएल मोड के माध्यम से किए जाते हैं, जब उन्हें एचईआई की कक्षाओं में उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

11.8 ऐसी समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के लिए, सभी एचईआई के लचीले और नवीन पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा, और मूल्य-आधारित शिक्षा के क्षेत्र शामिल होंगे। पर्यावरण शिक्षा में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का प्रबंधन और जैव विविधता, वन और वन्यजीव संरक्षण, और सतत विकास तथा रहने जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। मूल्य आधारित शिक्षा में निम्न शामिल हैं: मानवीय, नैतिक, संवैधानिक तथा सार्वभौमिक मानवीय मूल्य जैसे सत्य, नेक आचरण (dharma), शांति, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नागरिक मूल्य और जीवन- कौशल; सेवा तथा सामुदायिक कार्यक्रमों में सहभागिता समग्र शिक्षा का अभिन्न अंग होगा। जैसे-जैसे दुनिया तेजी से आपस में जुड़ती जा रही है, वैश्विक नागरिक शिक्षा (जीसीईडी), समकालीन वैश्विक चुनौतियों की प्रतिक्रिया, शिक्षार्थियों को वैश्विक मुद्दों को समझने और अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी, सुरक्षित और सतत समाज के सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए प्रदान की जाएगी। अंततः समग्र शिक्षा के अंतर्गत, उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने ही संस्थानों में या अन्य उच्चतर शिक्षा / शोध संस्थानों में इंटरनशिप के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जैसे- स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकार, शिल्पकार आदि के साथ इंटरनशिप और अध्यापकों और शोधार्थियों के साथ, शोध इंटरनशिप ताकि छात्र सक्रिय रूप से अपने सीखने के व्यावहारिक पक्ष के साथ जुड़ें और साथ ही साथ, स्वयं के रोज़गार की संभावनाओं को भी बढ़ा सकें।

11.9 डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाणपत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरण के तौर पर, व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 साल पूरा करने पर

सर्टिफिकेट या 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम, जिसमें बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इस दौरान यह विद्यार्थी की रुचि के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र तथा बहु-विषयक शिक्षा का अनुभव लेने के अवसर प्रदान करता है। एक अकादेमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) स्थापित किया जाएगा जो अलग-अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। यदि छात्र एचईआई द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र (क्षेत्रों) में एक कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में 'शोध सहित' डिग्री भी दी जा सकती है।

11.10 उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को मुहैया कराने की छूट होगी (क) ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 3 साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो, उन्हें 2 वर्षीय कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं जिसमें द्वितीय वर्ष पूरी तरह से शोध पर केन्द्रित हो; (ख) वे विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम शोध के साथ पूरा किया है, उनके लिए एक वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है; और (ग) 5 वर्षों का एक एकीकृत स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। पीएच-डी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। एम.फिल कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा।

11.11 समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए आई.आई.टी., आई.आई.एम. आदि की तर्ज पर, मेरू (बहु-विषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय) नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा। ये देश भर में बहु-विषयक शिक्षा के उच्चतम मानक भी स्थापित करेंगे।

11.12 उच्चतर शिक्षण संस्थान स्टार्ट-अप, इन्क्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों के केंद्र, अधिकतम उद्योग-अकादेमिक जुड़ाव, और मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर-विषय अनुसंधान की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर फोकस करेंगे। संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों के परिदृश्य को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, संक्रामक रोगों, महामारी विज्ञान, वायरोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन, वैक्सीनोलॉजी और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने की अगुवाई करे। छात्र समुदाय के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थान विशिष्ट हैंडहोलिंग तंत्र विकसित करेगा। एनआरएफ, उच्चतर शिक्षण संस्थानों अनुसंधान प्रयोगशालाओं, और अन्य अनुसंधान संगठनों में इस तरह के एक जीवंत अनुसंधान और नवाचार संस्कृति को सक्षम करने और समर्थन करने में मदद करने के लिए कार्य करेगा।

12. सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण व छात्रों को सहयोग

12.1 प्रभावी ढंग से सीखने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें उपयुक्त पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन और छात्रों का पर्याप्त सहयोग शामिल होता है। पाठ्यक्रम रोचक और प्रासंगिक होना चाहिए जिसे समय-समय पर अद्यतन करते रहना चाहिए जिससे ज्ञान की नवीन आवश्यकताओं व सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त किया जा सके। उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षण विधा छात्रों तक पाठ्यक्रम सामग्री को सफलतापूर्वक ले जाने के लिए आवश्यक है। शिक्षण के इन तरीकों से छात्रों के सीखने के अनुभव निर्धारित होते हैं जो कि सीधे ही सीखने के प्रतिफलों पर प्रभाव डालते हैं। आकलन के तरीके वैज्ञानिक होने चाहिए जो कि सीखने में लगातार सुधार व ज्ञान के प्रयोग के परीक्षण के लिए बने होने चाहिए। अंत में कुछ ऐसी क्षमताएं जो छात्रों की बेहतरी के लिए आवश्यक हैं जैसे – फिटनेस, अच्छा स्वास्थ्य, मनो-सामाजिक कल्याण, बेहतर नैतिक मूल्यों का आधार आदि का भी विकास गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है।

अतः पाठ्यक्रम, अध्यापन, निरंतर मूल्यांकन और छात्रों की मदद गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने के लिए आधारशिला हैं। इन आवश्यक बिन्दुओं को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढाँचा, संसाधन (जैसे बेहतर पुस्तकालय, कक्षा-कक्ष, प्रयोगशालाएँ, प्रौद्योगिकी, खेल/मनोरंजन के स्थान, छात्रों के संवाद हेतु स्थान, और भोजन के लिए स्थान) आदि प्रदान करने के साथ-साथ, इन मामलों पर कई पहल करने की आवश्यकता होगी जिससे सीखने का वातावरण आकर्षक और सहायक बनाया जा सके और सभी छात्रों को सफल होने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

12.2 पहला, उच्चतर शिक्षा के व्यापक ढाँचे में रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संकायों को पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और आकलन आदि पर नवाचार करने की स्वायत्ता देनी होगी, जो कि सभी संस्थानों, कार्यक्रमों, सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल), ऑनलाइन और पारम्परिक कक्षा-कक्ष शिक्षण में समान रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। छात्रों को एक बेहतर और आकर्षक शिक्षण अनुभव देने के लिए संस्थानों और प्रेरित संकायों द्वारा इसके अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण विधा को रचा जाएगा और प्रत्येक कार्यक्रम को उसके लक्ष्यों तक पहुँचाने के लिए रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाएगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा सभी मूल्यांकन प्रणालियाँ भी तय की जाएंगी, जिनमें अंतिम रूप से प्रमाणन भी शामिल है। नवाचार और लचीलापन लाने के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) को संशोधित किया जाएगा। उच्चतर शिक्षण संस्थान एक मानदंड-आधारित ग्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करेंगे, जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर छात्र की उपलब्धि का आकलन करेगा, जिससे प्रणाली निष्पक्ष बनेगी और परिणाम अधिक तुलनीय होंगे। उच्चतर शिक्षण संस्थान भी हाई-स्टेक परीक्षाओं से और अधिक सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर बढ़ेंगे।

12.3 दूसरा, प्रत्येक संस्थान अपनी वृहद संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) में शैक्षणिक योजनाओं को पाठ्यक्रम सुधार से लेकर कक्षा-कक्ष के गुणवत्तापूर्ण आदान-प्रदान को एकीकृत करेगा। प्रत्येक संस्थान

छात्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होगा, इसके लिए एक ऐसी आंतरिक प्रणाली बनाएगा जो कि विविध प्रकार के छात्र समूहों को शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग करेगा। इसके लिए कक्षा के भीतर और बाहर औपचारिक अकादेमिक बातचीत को सुनिश्चित किया जायेगा। उदाहरण के लिए सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा संकाय व अन्य विशेषज्ञों की मदद से विषय आधारित क्लब और गतिविधियों जैसे कि विज्ञान, गणित, कविता, भाषा, साहित्य, वाद-विवाद, संगीत, खेल आदि के लिए समर्पित क्लब व कार्यक्रम के आयोजन के लिए अवसर व वित्त की व्यवस्था होगी। समय के साथ – साथ जब इन गतिविधियों के लिए छात्रों की मांग व संकाय की दक्षता हासिल हो जाए तो इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। संकाय में इस स्तर का प्रशिक्षण व क्षमता होनी चाहिए कि वे न केवल शिक्षक के रूप में अपितु संरक्षक व मार्गदर्शक के रूप में छात्रों से जुड़ सकें।

12.4 तीसरा, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्चतर शिक्षा तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी और इसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन और शैक्षणिक संसाधन दिए जाएंगे। सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक अकादमिक और करियर परामर्श उपलब्ध होगा, साथ ही साथ उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी परामर्शदाता होंगे।

12.5 चौथा, ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। इसकी पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए ओडीएल को विस्तार की दिशा में ठोस, साक्ष्य आधारित प्रयासों के माध्यम से नवीनीकृत किया जाएगा, साथ ही इसके लिए निर्धारित स्पष्ट मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ओडीएल कार्यक्रम उच्चतम गुणवत्ता वाले इन-क्लास कार्यक्रमों के बराबर होने का लक्ष्य रखेंगे। ओडीएल के प्रणालीगत विकास, विनियमन और मान्यता के लिए मानदंड, मानक, और दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे, और ओडीएल की गुणवत्ता के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, जो कि सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुशंसित की जाएगी।

12.6 अंत में सभी कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, विषयों में शिक्षण विधि, इन-क्लास, ऑनलाइन, ओडीएल और छात्रों को समर्थन जैसे सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य होगा कि वे गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को प्राप्त कर पाएँ।

अंतर्राष्ट्रीयकरण

12.7 उपरोक्त वर्णित विभिन्न पहलों से भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी और यह भारत में रह रहे उन छात्रों को ऐसे और अवसर दिलाएगी जो विदेश के संस्थानों में शोध करने, क्रेडिट स्थानांतरित करने, या इसके बाहर शोध करने की इच्छा रखते हैं। और यही सब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत में भी संभव है। इंडोलॉजी, भारतीय भाषाओं, आयुष चिकित्सा पद्धति, योग, कला, संगीत, इतिहास,

संस्कृति, और आधुनिक भारत जैसे विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इससे परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सामाजिक जुड़ाव, गुणवत्ता आधारित आवासीय सुविधाएँ, कैम्पस में सीखने के लिए सार्थक अवसर आदि को वैश्विक गुणवत्ता मानकों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विकसित किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अधिक संख्या को आकर्षित करने और 'देश में अंतर्राष्ट्रीयकरण' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।

12.8 भारत को वहनीय लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इसे विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी। विदेश से आने वाले छात्रों के स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने के लिए, विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा। उच्चतर गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान / शिक्षण सहयोग और संकाय / छात्र आदान-प्रदान की सुविधा को बढ़ाया जाएगा साथ ही विदेशों के साथ प्रासंगिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उच्चतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और इसी तरह, चुनिंदा विश्वविद्यालयों (जैसे, दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से) को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा तथा ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों की तुलना में नियमों, शासन और मानदंडों के स्तर पर कुछ उदारता बरती जाएगी। इसके अलावा, भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग और छात्र आदान-प्रदान को विशेष प्रयासों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित किये गए क्रेडिट यहाँ मान्य होंगे, और यदि वह उस उच्चतर शिक्षण संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार हैं तो इन्हें डिग्री प्रदान करने के लिए भी स्वीकार किया जाएगा।

छात्र गतिविधि और भागीदारी

12.9 छात्र, शिक्षा-प्रणाली में प्रमुख हितधारक हैं। उच्चतर गुणवत्तायुक्त शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं के लिए जीवंत कैंपस आवश्यक है। इस दिशा में छात्रों को खेल, संस्कृति / कला क्लब, पर्यावरण-क्लब, गतिविधि क्लब, सामुदायिक सेवा परियोजना आदि में शामिल होने के लिए भरपूर अवसर दिए जाएंगे। प्रत्येक शिक्षा संस्थान में तनाव से जूझने और भावनात्मक तारतम्यता बनाने के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा, ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें आवश्यकतानुसार छात्रावास की सुविधाएं बढ़ाना शामिल है। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने संस्थानों में सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे।

छात्रों के लिए वित्तीय सहायता

12.10 छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्य छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इन छात्रों की प्रगति को बढ़ाने, प्रोत्साहित करने और ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अपने छात्रों को महत्वपूर्ण संख्या में फ्रीशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

13. प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय

13.1 उच्चतर शिक्षण संस्थानों की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ कार्यरत संकाय सदस्यों की गुणवत्ता और संलग्नता है। उच्चतर शिक्षा से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में संकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इनकी भर्ती प्रक्रिया में पिछले वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये कदम भर्ती और सेवा काल के दौरान कार्यस्थल में आगे बढ़ने के अवसरों को व्यवस्थित करने, और संकाय सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न समूहों की ओर से न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने से संबंधित हैं। सार्वजनिक संस्थानों के स्थायी संकाय सदस्यों के वेतन भत्तों के स्तरों में भी पर्याप्त वृद्धि की गयी है। संकाय सदस्यों के व्यावसायिक विकास से संबंधित विभिन्न अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं। अकादमिक पेशे की प्रतिष्ठा में विभिन्न सुधारों और हम सभी को सही अर्थों में प्रेरित करने वाले अनुकरणीय संकाय सदस्यों की अच्छी संख्या में मौजूदगी के बावजूद भी, उच्चतर शिक्षा प्रणाली को सफल और समुन्नत होने तथा अपेक्षित उच्चतमस्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उच्चतर शिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों का प्रदर्शन शिक्षण, अनुसंधान और सेवा काल के मामले में, औसत से बहुत कम है। संकाय सदस्यों में प्रेरणा और उत्साह की कमी से संबंधित कारणों को संबोधित किया जाना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक संकाय सदस्य अपने छात्रों, संस्थान और पेशे में प्रगति के लिए पूरे उत्साह के साथ प्रसन्नतापूर्वक जुड़े हैं। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सर्वोत्कृष्ट, प्रेरित और सक्षम संकाय सदस्यों को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति अपनी ओर से निम्न कदमों की अनुशंसा करती है।

13.2 सबसे बुनियादी कदम के रूप में सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालयों, ब्लैकबोर्ड, कार्यालय, शिक्षण सामग्रियाँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और सुखद कक्षा वातावरण और परिसर जैसी आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से युक्त होंगे। हर कक्षा में नवीनतम शैक्षणिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच होनी चाहिए जो सीखने के बेहतर अनुभवों को सक्षम बनाती है।

13.3 शिक्षण का अतिरिक्त बोझ नहीं होगा, छात्र – शिक्षक अनुपात भी बहुत अधिक नहीं होगा, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया एक सुखद गतिविधि बनी रहे, छात्रों से चर्चा करने, शोध करने, और विश्वविद्यालय से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। प्रत्येक संकाय सदस्य की नियुक्ति एकल संस्थान में की

जाएगी और विभिन्न संस्थानों में इनका सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा जिससे कि वे अपने संस्थान और वहाँ के लोगों के प्रति सही मायनों में तत्पर, संलग्न और प्रतिबद्ध महसूस कर सकें।

13.4 संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर पाठ्यपुस्तकों के चयन तथा असाइनमेंट और आकलन की प्रक्रियाओं को निर्मित करने के साथ ही साथ अपने स्वयं के पाठ्यक्रम संबंधी और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को रचनात्मक रूप से निर्मित करने की स्वतन्त्रता दी जाएगी। संकाय सदस्यों को रचनात्मक शिक्षण, शोध, और उनके अपने अनुसार बेहतर कार्य के लिए प्रेरित और सशक्त किया जाना उन्हें उत्कृष्ट और रचनात्मक कार्यों को करने की ओर प्रेरित करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होगा।

13.5 उत्कृष्ट कार्यों को उपयुक्त पुरस्कार, पदोन्नति, कार्यों की सराहना के साथ ही साथ संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं में उचित स्थान सुनिश्चित करके बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ ही उन संकाय सदस्यों की जवाबदेही भी तय की जाएगी जो कि निर्धारित बुनियादी मानदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे।

13.6 उत्कृष्टता को बढ़ावा देने से जुड़े स्वायत्त संस्थानों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की भर्ती से संबंधित प्रक्रियाएँ और मानदंड स्पष्ट रूप से पारिभाषित, स्वतंत्र और पारदर्शी होंगे। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखते हुए भी उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए एक 'कार्यकाल-ट्रैक' प्रणाली यानी कि उपयुक्त प्रोबेशन अवधि को जोड़ा जाएगा। अत्यंत प्रभावी अनुसंधानों और योगदानों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक फास्ट-ट्रैक पदोन्नति प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। कार्यों के उचित मूल्यांकन, 'कार्यकाल' (यानी परीक्षा के बाद स्थायी नियुक्ति) निर्धारण, पदोन्नति, वेतन में वृद्धि, मान्यता आदि सहित, सहकर्मियों द्वारा समीक्षा, छात्र समीक्षा, शिक्षण और शिक्षण-शास्त्र में नवाचार, शोध की गुणवत्ता और प्रभाव, व्यावसायिक विकास से जुड़ी गतिविधियाँ और संस्थान तथा समाज से संबन्धित कार्य के अन्य विभिन्न रूपों और उनके प्रभावों के उचित आकलन के लिए मापदण्डों को समाहित करती प्रणालियों को सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा विकसित किया जाएगा और इन्हें संस्थानों की संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।

13.7 उत्कृष्टता और नवाचारों को बढ़ावा देने वाले उत्कृष्ट और उत्साही संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं की जरूरत आज के समय की मांग है। एक संस्था और उसके संकाय सदस्यों की सफलता के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त संस्थानिक नेतृत्व का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्चतर अकादेमिक और सेवा क्रेडेंशियल्स के साथ ही साथ नेतृत्व और प्रबंध कौशल को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न संकाय सदस्यों की समय रहते ही पहचान की जाएगी, और फिर उन्हें नेतृत्व से जुड़े विभिन्न पदों से गुजारते हुए प्रशिक्षित किया जाएगा। संस्थानों में नेतृत्व से जुड़े पद रिक्त नहीं रहेंगे, बल्कि नेतृत्व में परिवर्तन के दौरान एक निश्चित ओवरलैपिंग समयावधि का प्रावधान सभी संस्थानों में होना चाहिए, जिससे कि संस्थानों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। संस्था के नेतृत्वकर्ता ऐसी उत्कृष्टता की संस्कृति के निर्माण को ध्यान में रखेंगे जो कि सभी संकाय सदस्यों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के नेतृत्वकर्ताओं को उत्कृष्ट और नवोन्मेषी शिक्षण, शोध, संस्थागत और सामुदायिक कार्यों की ओर प्रेरित और प्रोत्साहित करे।

14. उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश

14.1 उच्चतर शिक्षा के अनुभवजन्य क्षेत्रों में प्रवेश ऐसी अपार संभावनाओं के द्वार खोल सकता है जो व्यक्तियों और साथ ही साथ समुदायों को भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकाल सकता है। इसी कारण सभी के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। यह नीति एसईडीजी पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित करती है।

14.2 डायनेमिक्स और शिक्षा प्रणाली से एसईडीजी के बाहर हो जाने से जुड़े बहुत सारे कारण भी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में समान हैं। इसलिए, विद्यालयी शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समता, समानता और समावेश से जुड़ा दृष्टिकोण एक समान होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ स्थायी सुधार सुनिश्चित करने के लिए इससे जुड़े सभी चरणों में निरंतरता होनी चाहिए। अतः उच्चतर शिक्षा में समता, समानता और समावेश के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत पहलों को स्कूली शिक्षा के लिए भी देखा जाना चाहिए।

14.3 इन समूहों के बाहर हो जाने से जुड़े कई पहलू हैं जो स्वयं में कारण और प्रभाव दोनों हैं और उच्चतर शिक्षा से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं या फिर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इन्हें उच्चतर शिक्षा में विशेष रूप से दूर किया जाना चाहिए, और इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा के अवसरों की जानकारी का अभाव, उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के दौरान के समय में शामिल आर्थिक अवसरों की हानि, आर्थिक बाधाएँ, प्रवेश प्रक्रियाएँ, भौगोलिक बाधाएँ, भाषायी अवरोध, बहुत अधिक उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों की सीमित रोजगार क्षमता और विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त सहायता तंत्र की कमी से जुड़ी चुनौतियों को शामिल किया जाना चाहिए।

14.4 इस प्रयोजनार्थ, सभी सरकारों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उच्चतर शिक्षा विशिष्ट अपनाए जाने वाले कुछ अतिरिक्त कदम इस प्रकार हैं:

14.4.1 सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम :

- क. एसईडीजी की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधि का निर्धारण;
- ख. उच्चतर जीईआर तथा एसईडीजी के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण;
- ग. उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर-संतुलन को बढ़ावा देना;
- घ. विकास की ओर उन्मुख जिलों में उच्चतर गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षण संस्थान बनाकर और बड़ी संख्या में एसईडीजी लिए हुए विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाकर पहुँच को सुधारना;

- ड. उच्चतर गुणवत्ता युक्त ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों का निर्माण और विकास करना जो स्थानीय / भारतीय भाषाओं में या द्विभाषी रूप से शिक्षण कराएं;
- च. सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में एसईडीजी को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना;
- छ. एसईडीजी के बीच उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करना;
- ज. बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण और विकास।

14.4.2 सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

- क. उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से जुड़ी लागत और इस दौरान हुई आर्थिक अवसरों की हानि को कम करना;
- ख. सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना;
- ग. उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार करना
- घ. प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाना;
- ङ. पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना;
- च. उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोजगारपरक बनाना;
- छ. भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना;
- ज. यह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित इमारतें और अन्य बुनियादी सुविधाएं व्हीलचेयर सुलभ और दिव्यांगजनों के अनुकूल हों;
- झ. वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रिज-कोर्स निर्मित करना;
- ञ. ऐसे सभी विद्यार्थियों को उपयुक्त सलाह और परामर्श कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक, भावनात्मक और अकादेमिक सहायता तथा सलाह प्रदान करना;
- ट. पाठ्यक्रम सहित उच्चतर शिक्षण संस्थानों के सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं और विद्यार्थियों को जेंडर और जेंडर-पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित करना;
- ठ. भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ बने सभी नियमों को सख्ती से लागू करना;
- ड. एसईडीजी से बढ़ती भागीदारी को सुनिश्चित करने से जुड़े विशिष्ट योजनाओं को शामिल करते संस्थागत विकास योजनाओं का निर्माण करना, जिनमें उपरोक्त बिन्दु शामिल हों लेकिन इन्हीं तक सीमित न हो।

15. अध्यापक शिक्षा

15.1 अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ ही साथ, बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ

ही साथ उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अद्यतन प्रगति के साथ ही साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार, और परंपराओं जनजातीय परंपराओं सहित के प्रति भी जागरूक रहें।

15.2 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा आयोग (2012) के अनुसार, स्टैंड-अलोन टीईआई, जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है, अध्यापक शिक्षा के प्रति लेशमात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके स्थान पर ऊंचे दामों पर डिग्रियों को बेच रहे हैं। इस दिशा में अब तक किए गए विनियामक प्रयास न तो सिस्टम में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक पाए हैं, और न ही गुणवत्ता के लिए निर्धारित बुनियादी मानकों को ही लागू कर पाए हैं, बल्कि इन प्रयासों का इस क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अतः इस सेक्टर और इसकी नियामक प्रणालियों में महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के द्वारा पुनरुद्धार की तात्कालिक आवश्यकता है जिससे कि गुणवत्ता के उच्चतर मानकों को निर्धारित किया जा सके और शिक्षक शिक्षा प्रणाली में अखंडता, विश्वसनीयता, प्रभाविता और उच्चतर गुणवत्ता को बहाल किया जा सके।

15.3 शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आवश्यक नैतिकता और विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार को सुनिश्चित करने और फिर इसके द्वारा एक सफल विद्यालयी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, नियामक प्रणाली को उन निम्न स्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) के खिलाफ उल्लंघन के लिए एक वर्ष का समय दिये जाने के पश्चात, कठोर कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो बुनियादी शैक्षिक मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष 2030 तक, केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़, बहु-विषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे।

15.4 चूंकि, अध्यापक शिक्षा के लिए बहु-विषयक / बहु-विषयक इनपुट के साथ ही साथ उच्चतर गुणवत्तायुक्त विषयवस्तु और शैक्षणिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, अतः इसे ध्यान में रखते हुए सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु-विषयी संस्थानों में ही आयोजित किया जाना चाहिए। इसके लिए, सभी बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों के साथ-साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय और बड़े बहु-विषयक महाविद्यालय का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहाँ ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना और विकास करें, जो कि शिक्षा में अत्याधुनिक अनुसंधानों को अंजाम देने के साथ ही साथ मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिकाविज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला, संगीत, इतिहास और साहित्य के साथ-साथ विज्ञान और गणित जैसे अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित विभागों के सहयोग से भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए बी.एड. कार्यक्रम भी संचालित करेंगे। इसके साथ ही साथ वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी क्योंकि उन्हें भी 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा।

15.5 वर्ष 2030 तक बहु-विषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। यह 4-वर्षीय

एकीकृत बी.एड. शिक्षा और इसके साथ ही एक अन्य विशेष विषय जैसे भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, रसायनविज्ञान, अर्थशास्त्र, आदि में एक समग्र ड्युअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र के शिक्षण के साथ ही साथ शिक्षक-शिक्षा में समाजशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान, भारत से जुड़े ज्ञान और इसके मूल्यों / लोकाचार / कला / परंपराएं और भी बहुत कुछ शामिल होगा। 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. प्रदान करने वाला प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान, किसी एक विषय विशेष में पहले से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षण करना चाहते हैं, के लिए अपने परिसर में 2-वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी डिजाइन कर सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होंने किसी विशेष विषय में 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, के लिए 1-वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी ऑफर किया जा सकता है। इन 4-वर्षीय, 2-वर्षीय और 1-वर्षीय बी.एड. कार्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवारों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की स्थापना की जाएगी।

15.6 अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान, शिक्षा और इससे संबंधित विषयों के साथ ही साथ विशेष विषयों में विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास सघन जुड़ाव के साथ काम करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्कूलों और स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा, जहाँ भावी शिक्षक अन्य सहायक गतिविधियों जैसे सामुदायिक सेवा, वयस्क और व्यावसायिक शिक्षा, आदि में सहभागिता के साथ शिक्षण का कार्य करेंगे।

15.7 शिक्षक शिक्षा के लिए एकसमान मानकों को बनाए रखने के लिए, पूर्व-सेवा शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षणों के माध्यम से होगा, और देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जाएगा।

15.8 शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्ष्य होगा। हर किसी के लिए पीएच-डी. धारक होना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन शिक्षण/फील्ड / शोध के अनुभवों को महत्ता प्रदान की जाएगी। सीधे सीधे विद्यालयी शिक्षा से जुड़ने वाले सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों (जैसे, मनोविज्ञान, बालविकास, भाषाविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान) के साथ ही साथ साथ विज्ञान शिक्षा, गणित शिक्षा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा और भाषा शिक्षा जैसे कार्यक्रमों से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त संकाय सदस्यों को शिक्षक शिक्षा संस्थानों में आकर्षित और नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि शिक्षकों की बहु-विषयी शिक्षा को और उनके अवधारणात्मक विकास को मज़बूती प्रदान की जा सके।

15.9 सभी नए पीएच-डी. प्रवेशकर्ताओं, चाहे वे किसी भी विषय में प्रवेश लें, से अपेक्षित होगा कि वे अपनी डोक्टोरल प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनके द्वारा चुने गए पीएच-डी विषय से संबंधित शिक्षण/ शिक्षा/ अध्यापन/लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम लें। उनकी डॉक्टरेट प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें शैक्षणिक प्रक्रियाओं, पाठ्यक्रम निर्माण, विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली, और संचार जैसे क्षेत्रों का अनुभव प्रदान किया जाएगा, क्योंकि संभव है कि इनमें से कई शोध विद्वान अपने चुने हुए विषयों के संकाय सदस्य

या सार्वजनिक प्रतिनिधि / संचारक बनेंगे। पीएच-डी छात्रों के लिए शिक्षण सहायक और अन्य साधनों के माध्यम से अर्जित किए गए वास्तविक शिक्षण अनुभव के न्यूनतम घंटे भी तय होंगे। देशभर के विश्वविद्यालयों में संचालित पीएच-डी. कार्यक्रमों का इस उद्देश्य के लिए पुनरुन्मुखीकरण किया जाएगा।

15.10 कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवारत सतत व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण मौजूदा संस्थागत व्यवस्था और जारी पहलों के माध्यम से ही जारी रहेगा; हालांकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक समृद्ध शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका सुदृढीकरण और विस्तार किया जाएगा। शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयं/दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम समय के भीतर अधिक शिक्षकों को मुहैया कराया जा सके।

15.11 सलाह (मेंटरिंग) के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को स्थापित किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ / सेवानिवृत्त उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को जोड़ा जाएगा, इनमें वे संकाय सदस्य भी शामिल होंगे जिनमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता है और जो विश्वविद्यालय / कॉलेज शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श / व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होंगे।

16. व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन

16.1 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के अनुमान के अनुसार 19-24 आयुवर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत (5% से कम) लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की; जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में अत्यंत अधिक 96% पर यह संख्या काफी अधिक है। ये संख्या भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को पूरी स्पष्टता से रेखांकित करती हैं।

16.2 व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कम संख्या होने के पीछे एक प्रमुख कारण यह तथ्य है कि अतीत में व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा 11-12 और कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षा के ड्रॉपआउट्स पर केंद्रित थी। इसके अलावा, व्यावसायिक विषयों के साथ 11वीं-12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के पास अक्सर उच्चतर शिक्षा में अपने चुने हुए व्यवसाय क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग नहीं होता है। सामान्य उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश मानदंड भी व्यावसायिक शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिज़ाइन नहीं किए गए थे, फलस्वरूप वे अपने ही देश के अन्य लोगों के सापेक्ष 'मुख्य धारा की शिक्षा' या 'अकादेमिक शिक्षा' से वंचित रह जा रहे थे। इसने व्यावसायिक शिक्षा के विषयों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सीधे-सीधे आगे बढ़ने के रास्तों को पूरी तरह से बंद ही कर दिया, और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे अभी वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) की घोषणा के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया गया है।

16.3 व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से कम महत्व की शिक्षा माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यह मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो मुख्यधारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यह एक ऐसी धारणा है जो आज भी जस की तस बनी हुई है, और विद्यार्थियों द्वारा चुने गए विकल्पों को प्रभावित करती है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है और इससे निपटने के इस तथ्य को पुनर्कल्पित किए जाने की आवश्यकता है कि भविष्य में छात्रों के समक्ष व्यावसायिक शिक्षा की पेशकश किस प्रकार की जाती है।

16.4 इस नीति का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करना है, और इसके लिए आवश्यक होगा कि समस्त शिक्षण संस्थान, जैसे - स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करें, और इसकी शुरुआत आरंभिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करने से हो जो कि फिर सुचारु रूप से उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक, कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक जाए। इस तरह से व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और अन्य कई व्यवसायों से इस प्रकार परिचित हो। ऐसा करने के परिणामस्वरूप वो श्रम की महत्ता और भारतीय कलाओं और कारीगरी सहित अन्य विभिन्न व्यवसायों के महत्व से परिचित होगा।

16.5 वर्ष 2025 तक, स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा जिसके लिए लक्ष्य और समयसीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी। यह सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य संख्या 4.4 के साथ संगतता रखते है, और भारत के जनसंख्या-रूपी संसाधन के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने में मदद करेगा। जीईआर के लक्ष्यों को तय करते वक़्त व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। व्यावसायिक क्षमताओं का विकास और 'अकादेमिक' या अन्य क्षमताओं का विकास साथ-साथ होगा। अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए, माध्यमिक विद्यालय, आईटीआई पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों आदि से साथ संपर्क और सहयोग करेंगे। स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएं भी स्थापित और सृजित की जाएंगी, जहाँ अन्य स्कूल भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। उच्चतर शिक्षा संस्थान स्वयं ही या फिर उद्योगों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे। वर्ष 2013 में शुरू की गई डिग्री बी.वोक पूर्व की तरह ही जारी रहेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम अन्य सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें 4-वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम भी शामिल रहेगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करने की भी अनुमति होगी। 'लोक विद्या', अर्थात् भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान से जुड़े विषयों को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। जहाँ भी संभव हो, ओडीएल मोड के माध्यम से भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने की संभावना तलाश की जाएगी।

16.6 अगले दशक में व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के फोकस एरिया का चुनाव कौशल अंतर विश्लेषण (स्किल गैप एनालिसिस) और स्थानीय अवसरों के आधार पर किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पहल की देखरेख के लिए उद्योगों के सहयोग से, व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यावसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (एनसीआईवीई) का गठन करेगा।

16.7 सबसे पहले इस प्रक्रिया को आरंभ करने वाले संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि वे नवाचार के माध्यम से ऐसे मॉडल और प्रणालियों की खोज करें जो कि सफल हों और फिर उन्हें एनसीआईवीई द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से अन्य संस्थानों के साथ साझा करें, ताकि व्यावसायिक शिक्षा की पहुँच को विस्तार देने में सहायता मिल सके। व्यावसायिक शिक्षा और अप्रेंटिसशिप प्रदान करने वाले विभिन्न मॉडलों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा भी प्रयोग में लाया जाएगा। उद्योगों के साथ साझेदारी के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

16.8 राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को प्रत्येक विषय व्यवसाय / रोजगार के लिए अधिक विस्तारपूर्वक निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा, भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ जोड़ा जाएगा। यह फ्रेमवर्क पूर्ववर्ती शिक्षा की आवश्यकता के लिए आधार प्रदान करेगा। इसके माध्यम से, ड्रॉपआउट हो चुके बच्चों के व्यावहारिक अनुभव को फ्रेमवर्क के प्रासंगिक स्तर के साथ जोड़कर उन्हें पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ा जाएगा। क्रेडिट आधारित यह फ्रेमवर्क, छात्रों को 'सामान्य' से व्यावसायिक शिक्षा तक जाने को सुगम बनाएगा।

17. नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त अकादेमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना

17.1 एक बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को विकसित करने और बनाए रखने में ज्ञान सृजन और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिससे समाज का उत्थान होता है और लगातार राष्ट्र को और भी अधिक ऊँचाइयों तक ले जाने में इससे प्रेरणा मिलती है। निःसंदेह, पूरे इतिहास में सबसे समृद्ध सभ्यताओं (जैसे भारत, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और ग्रीस) से लेकर आधुनिक सभ्यताओं (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इजरायल, दक्षिण कोरिया और जापान) तक, ऐसे समाज थे और हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिक और भौतिक संपदा को मुख्यतः नए ज्ञान के लिए प्रख्यात एवं आधारभूत योगदान द्वारा प्राप्त किया है- जैसे विज्ञान के साथ-साथ कला, भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में -जिसने न केवल अपनी सभ्यताओं को बल्कि दुनियाभर की सभ्यताओं को परिष्कृत और उन्नत बनाया है।

17.2 अनुसंधान का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र आज दुनिया में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के साथ शायद पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकी गतिशीलता और प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी, एक डिजिटल बाजार का विस्तार, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि, इस तरह के परिवर्तन हैं। यदि भारत को इन विषम क्षेत्रों में एक नेतृत्वकर्ता बनना है और वास्तव में अपने विशाल प्रतिभा पूल को फिर से एक प्रमुख ज्ञान समाज बनने की क्षमता प्राप्त कराना है तो आने वाले वर्षों और दशकों में, राष्ट्र को अपनी अनुसंधान क्षमताओं—संभावनाओं को सभी विषयों (डिसिप्लेन्स) में उत्पादन के साथ एक महत्वपूर्ण विस्तार की आवश्यकता होगी। आज, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और प्रौद्योगिकीय विकास के लिए शोध का महत्व पहले से कई अधिक है।

17.3 इस पक्ष के इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद, भारत में वर्तमान समय में अनुसंधान और नवाचार निवेश संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.8%, इज़राइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% की तुलना में जीडीपी का केवल 0.69% है।

17.4 आज भारत को सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, जैसे कि अपने सभी नागरिकों के लिए पीने के पानी की स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बेहतर परिवहन-गुणवत्ता वायु, बिजली और बुनियादी चीजों की पहुँच आदि। इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और समाधानात्मक रवैये और क्रियान्वयन की जरूरत होगी जो न केवल शीर्ष-विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित हों बल्कि सामाजिक विज्ञान और मानविकी तथा राष्ट्र के विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयामों की गहरी समझ पर भी आधारित हों। इन चुनौतियों का सामना करने और इनके समाधान खोजने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर स्तरीय अंतर-विषयक अनुसंधान करने की स्वयं की क्षमता का होना महत्वपूर्ण होगा। स्वयं के शोध करने की क्षमता किसी देश को अत्यधिक आसानी से अन्य देशों से अनुसंधानों को आयात करने और उनमें से अनुकूल शोध को अपनाने के योग्य बनाता है।

17.5 इसके अतिरिक्त, सामाजिक समस्याओं के हल निकालने के लिहाज़ से मूल्यवान होने के साथ-साथ, किसी देश की पहचान, उसकी प्रगति, आध्यात्मिक और बौद्धिक संतुष्टि और रचनात्मकता को भी उसके इतिहास, भाषा, कला और संस्कृति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नवाचारों के साथ-साथ कला और मानविकी के क्षेत्रों में अनुसंधान किसी देश की प्रगति और प्रबुद्धता हेतु अति महत्वपूर्ण है।

17.6 भारत में शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार, बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जो उच्चतर शिक्षा से जुड़े हुए हैं। पूरे इतिहास में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से मिलने वाले साक्ष्यों से पता चलता है कि उच्चतर शिक्षा के स्तर पर सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाएं उस वातावरण में होती हैं जहाँ अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक मजबूत संस्कृति रही है; इसके साथ ही, दुनिया के श्रेष्ठ अनुसंधान बहु-विषयी विश्वविद्यालयों में हुए हैं।

17.7 भारत में विज्ञान और गणित से लेकर कला, साहित्य, स्वर विज्ञान और भाषा से लेकर चिकित्सा और कृषि तक के विषयों में अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है। अब समय की मांग है कि भारत जल्द से जल्द एक मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान-समाज के रूप में अपनी खोयी हुई स्थिति को शीघ्र ही पुनः प्राप्त करे और मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान समाज तथा दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में 21 वीं सदी में अनुसंधान और नवाचार का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहे।

17.8 अतः यह नीति भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता और उनकी मात्रा को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को लागू करती है। नीति में स्कूली शिक्षा में निश्चित बदलाव शामिल हैं जैसे सीखने की खोज और खोज-आधारित शैली, वैज्ञानिक पद्धति और तार्किक चिंतन पर बल इनमें शामिल है। छात्र हितों और प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए स्कूलों में करियर परामर्श, उच्चतर शिक्षा का संस्थागत पुनर्गठन जो विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा दें, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में बहु-विषयी और समग्र शिक्षा पर बल, स्नातक पाठ्यक्रम में अनुसंधान और इंटरशिप का समावेश, संकाय कैरियर प्रबंधन प्रणाली जो अनुसंधान पर समुचित बल दे, प्रशासनिक और विनियामक परिवर्तन जो शिक्षकों की और संस्थागत स्वायत्तता और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले हों। ऊपर बताए सभी पहलू देश में एक शोध मानसिकता को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

17.9 इन विभिन्न तत्वों पर सहक्रियात्मक तरीके से कार्य करने के लिए यह नीति एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना को प्रस्तावित करती है जिससे राष्ट्र में गुणवत्तायुक्त अनुसंधान को सही रूप में विकसित और उत्प्रेरित किया जा सके। एनआरएफ का व्यापक लक्ष्य हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। विशेष रूप से, एनआरएफ योग्यता-आधारित एवं पियर रिव्यू पर आधारित शोध निधि का एक विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा, जो उत्कृष्ट शोध के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन के माध्यम से देश में अनुसंधान की संस्कृति विकसित करने में मदद करेगा। राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अनुसंधान को स्थापित करने साथ इन्हें विकसित करने का कार्य करेगा जहाँ अनुसंधान संभावनाएं वर्तमान में सीमित ह। एनआरएफ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सभी बहु-विषयकों में अनुसंधान को फंड देगा। सफल अनुसंधानों को मान्यता दी जाएगी और प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ उद्योग और निजी / परोपकारी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

17.10 ऐसे संस्थान जो वर्तमान में किसी स्तर पर अनुसंधान को निधि प्रदान करते हैं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईई), जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के साथ-साथ विभिन्न निजी और परोपकारी संगठनों से वे अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र

रूप से निधिगत अनुसंधान जारी रखेंगे। हालांकि, एनआरएफ सघन रूप से अन्य फंडिंग एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और विज्ञान, इंजीनियरिंग, और अन्य सक्षम अकादेमियों के साथ काम करेगा। इसके साथ ही इससे जुड़े अपेक्षित उद्देश्यों और प्रयासों में तालमेल और दोहराव की कमी को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। एनआरएफ स्वतंत्र रूप से सरकार के एक रोटेटिंग बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के बहुत ही बेहतरीन शोधकर्ता और आविष्कर्ता शामिल होंगे।

17.11 एनआरएफ की प्राथमिक गतिविधियां इस प्रकार रहेंगी :

- (क) सभी प्रकार के और विभिन्न विषयों में, प्रतिस्पर्धी और पियर रिव्यू किए गए शोध प्रस्तावों के लिए फंड देना
- (ख) शिक्षा संस्थानों में विशेषतः विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में जहाँ अभी अनुसंधान शैशवावस्था में हैं, इन संस्थानों को परामर्श प्रदान करके अनुसंधान शुरू करना, विकसित करना और उसके लिए सुविधा देना
- (ग) शोधार्थियों और सरकार की संबंधित शाखाओं तथा उद्योगों के बीच संपर्क बनाने एवं समन्वयन का काम करना, जिससे शोधार्थियों को लगातार अति तात्कालिक राष्ट्रीय अनुसंधान मुद्दों के बारे में बताया जा सके और जिससे नीति निर्माता भी अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम सफलताओं के प्रति जागरूक रहें। इससे इन सफलताओं को सर्वश्रेष्ठ तरीके से नीति और/अथवा उसके क्रियान्वयन में दर्ज किया जा सकेगा
- (घ) उत्कृष्ट अनुसंधान और उनकी प्रगति को पहचानना ।

18. उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन

18.1 दशकों से उच्चतर शिक्षा का विनियमन बहुत सख्त रहा है; जिसे बहुत कम प्रभाव के साथ विनियमित करने का प्रयास किया गया है। विनियामक प्रणाली का कृत्रिम और विघटनकारी स्वभाव बहुत ही बुनियादी समस्याओं से प्रभावित रहा है— जैसे कुछ ही निकायों में शक्ति का अत्यधिक केंद्रीयकरण, इन निकायों के बीच स्व-हितों का टकराव होता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही की कमी व्याप्त रही है। उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने और इसे कामयाब करने के लिए नियामक प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है।

18.2 उपर्युक्त मुद्दों को हल करने के लिए, उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में यह सुनिश्चित करना होगा कि विनियमन, प्रत्यायन, फंडिंग और शैक्षणिक मानकों के निर्धारण जैसे विशेष कार्य, विशिष्ट, स्वतंत्र और सशक्त संस्थाओं/व्यवस्थाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। यह सिस्टम में चेक-एंड-बैलेंस बनाने, निकायों के आपसी हितों में टकराव को कम करने और कुछ निकायों में शक्तियों के अत्यधिक केन्द्रीयकरण को खत्म करने के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चारों सांस्थानिक व्यवस्थाएं जो इन चार आधारभूत कार्यों को करती हैं स्वतंत्र रूप से अपना काम करने के साथ-साथ साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक तारतम्यता के साथ काम करें। इन चार संरचनाओं को एक प्रमुख संस्था,

भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के तहत चार स्वतंत्र व्यवस्थाओं के रूप में स्थापित किया जाएगा।

18.3 एचईसीआई का पहला अंग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद (एनएचईआरसी) होगा - यह उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए एक साझा और सिंगल पॉइंट रेगुलेटर की तरह काम करेगा जिसमें शिक्षक शिक्षा शामिल है किन्तु चिकित्सीय एवं विधिक शिक्षा शामिल नहीं है, और इस तरह नियामक प्रक्रिया में दोहराव और अव्यवस्था को समाप्त करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यवस्था के भीतर वर्तमान में अनेकों विनियामक संस्थान उपस्थित हैं। इस एकल बिंदु विनियमन को सक्षम करने के लिए मौजूदा अधिनियमों की पुनर्संरचना और निरसन और विभिन्न मौजूदा नियामक निकायों के पुनर्गठन की आवश्यकता होगी। एनएचईआरसी को 'लचीले लेकिन सख्त' और सुविधात्मक तरीके से संस्थानों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि कुछ महत्वपूर्ण मामले - विशेष रूप से वित्तीय इमानदारी, सुशासन और सभी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन वित्त संबंधी मसलों का स्व-प्रकटीकरण, ऑडिट, प्रक्रियाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, संकाय / कर्मचारी, पाठ्यक्रम और शैक्षिक प्रतिफलों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। यह सूचना सभी उच्चतर-शिक्षा संस्थानों द्वारा अपनी वेबसाइट पर और सार्वजनिक वेबसाइटों जो कि एनएचईआरसी द्वारा संचालित की जाती हैं, पर मुहैया करवाई जाएंगी और समय-समय पर इन सूचनाओं को अद्यतन और सटीक रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। सार्वजनिक की गयी सूचनाओं से संबंधित हितधारकों और अन्य लोगों द्वारा किसी भी शिकायत या गुहार को एनएचईआरसी द्वारा सुना जाएगा और इसका हल किया जाएगा। एक निश्चित समय-अंतराल पर प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान में रैंडम तरीके से दिव्यांग छात्रों सहित चुने गए छात्रों के मूल्यवान फीडबैक ऑनलाइन लिए जाएंगे।

18.4 ऐसे विनियमन को सक्षम बनाने की प्राथमिक प्रक्रिया प्रत्यायन होगी। इसलिए, एचईसीआई का दूसरा अंग एक 'मेटा-अक्क्रेडिटिंग' निकाय होगा, जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) के नाम से जाना जाएगा। संस्थाओं का प्रत्यायन मुख्यतः कुछ बुनियादी नियम-कायदों, सार्वजनिक स्व-प्रकटन, मजबूत गवर्नेंस, और परिणामों के आधार पर होगा। साथ ही यह पूरी प्रक्रिया मान्यता देने वाले संस्थानों के एक स्वतंत्र समूह द्वारा पूरी की जाएगी और एनएसी द्वारा इस सबकी निगरानी की जाएगी और इसका संचालन किया जाएगा। एनएसी द्वारा एक समुचित संख्या में संस्थानों को मान्यता देने के अधिकार हेतु कार्य किये जाएंगे। कम समय में ही ग्रेडेड मान्यता देने के लिए एक मजबूत प्रणाली को स्थापित किया जाएगा, जो सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वायत्तता, स्व-प्रशासन, और गुणवत्ता के तय मानकों को हासिल करने के लिए चरणबद्ध बेंचमार्क तय करेगी। परिणामस्वरूप, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान अपनी-अपनी संस्थान विकास योजना (आईडीपी) के जरिए अगले 15 वर्षों में मान्यता के उच्चतमस्तर को प्राप्त करने का उद्देश्य तय करेंगे और इस तरह ये संस्थान एक स्व-संचालित डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों/क्लस्टर की तरह बनने के लिए प्रतिबद्ध बनेंगे। आगे चलकर यह प्रक्रिया वैश्विक मानकों के अनुसार एक द्विआधारी प्रक्रिया बन जाएगी।

18.5 एचईसीआई का तीसरा अंग उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) का गठन किया जाएगा जो पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चतर शिक्षा के फंडिंग और वित्तपोषण का कार्य करेगा जिसमें संस्थानों द्वारा विकसित आईडीपी और इनके क्रियान्वयन के जरिए प्राप्त की गई उन्नति शामिल है। एचईजीसी को छात्रवृत्ति के वितरण के लिए और नए फोकस क्षेत्रों को शुरू करने और बहु-विषयी क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता कार्यक्रमों के प्रस्तावों के साथ उनके विस्तार के लिए विकासात्मक निधियों का कार्य भार सौंपा जाएगा।

18.6 एचईसीआई का चौथा विभाग सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी) होगा, यह उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम तय करेगा, जिन्हें ' स्नातक परिणामों ' के नाम से जाना जाएगा । जीईसी द्वारा एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) तैयार किया जाएगा जो कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से संगत होगा ताकि व्यवसायिक शिक्षा को उच्चतर-शिक्षा आसानी से समन्वित किये जाने में आसानी हो। इस तरह के सीखने के परिणामों के संदर्भ में एनएचईक्यू एफ द्वारा अग्रणी उच्चतर शिक्षा योग्यता का निर्देशन किया जाएगा जो एक डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र के रूप में होगा। इसके अलावा, जीईसी, एनएचईक्यूएफ के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर, समानक आदि मुद्दों के लिए समानुरूप और सुविधाजनक मानदंड स्थापित करेगा । जीईसी उन विशिष्ट कौशल की पहचान करेगा जो छात्रों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान 21 वीं शताब्दी के कौशल के साथ पूर्ण विकसित शिक्षार्थियों को तैयार करने के उद्देश्य से प्राप्त करना चाहिए।

18.7 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), वेटेनरी काउंसिल ऑफ इंडिया (वीसीआई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), आर्किटेक्चर काउंसिल (सीओए), फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) आदि का पुनर्गठन व्यावसायिक मानक सेटिंग निकायों (पीएसएसबी) के रूप में किया जाएगा; वे उच्चतर शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उन्हें जीईसी के सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये निकाय, पीएसएसबी के रूप में पुनर्गठन के बाद, जीईसी के सदस्यों के रूप में पाठ्यक्रम संरचना, शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने और उनके डोमेन / अध्ययन के विषय के शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के बीच समन्वय करना जारी रखेंगे। जीईसी के सदस्यों के रूप में, वे पाठ्यक्रम के ढांचे को निर्दिष्ट करने में मदद करेंगे, जिसके आधार उच्चतर शिक्षा संस्थान अपना स्वयं का पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार, पीएसएसबी बिना किसी नियामक भूमिका के लर्निंग और प्रैक्टिस के विशेष क्षेत्रों में मानकों या अपेक्षाओं को निर्धारित करेगा। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान यह तय करेंगे कि उनके शैक्षणिक कार्यक्रम अन्य विचारों के बीच किस तरह से तय मानकों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यदि आवश्यक हो तो वे पीएसएसबी/मानक-सेटिंग निकायों से सहयोग लेने में भी समर्थ होंगे।

18.8 इस तरह की संरचना विभिन्न भूमिकाओं के बीच आपसी हितों के टकराव को समाप्त करते हुए; प्रत्येक की भूमिका एवं कार्यों को एक दूसरे से अलग करने के सिद्धांत को कायम करेगी। इसका उद्देश्य कुछ बुनियादी मसलों पर ध्यान देते हुए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाना भी है। इससे जुड़ी

जिम्मेदारियां और जवाबदेही उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अनुरूप होगी। सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच अपेक्षानुरूप किसी तरह का भेद नहीं किया जाएगा।

18.9 इस तरह के परिवर्तन के लिए मौजूदा संरचनाओं और संस्थानों के लिए यह आवश्यकता होगी कि वे खुद को सुदृढ़ कर सकें और तरह-तरह की विकास क्रमिकता से गुजर सकें। कार्यों के पृथक्करण का मतलब होगा कि एचईसीआई के तहत प्रत्येक अंग को एक नई एकल भूमिका पर ले जाया जाएगा जो नई नियामक योजना में प्रासंगिक, सार्थक और महत्वपूर्ण है।

18.10 विनियमन के लिए सभी स्वतंत्र संरचनाओं का कार्यकरण नियमन (एनएचईआरए) मान्यता (एनएसी), निधियन (एचईजीसी) और अकादेमिक मान्यता (जीईसी) एक वृहद और स्वायत्त निकाय (एचईसीआई) सार्वजनिक प्रकटीकरण नीति पर आधारित होगा और अपने कार्यों दक्षता, और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए और मानव इंटरफेस कम करने के लिए अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे। बुनियादी सिद्धांत यह होगा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से पहचान- मुक्त और पारदर्शी नियामक हस्तक्षेप किया जा सके। कड़े कदम के साथ कठोर अनुपालन उपायों को सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें अनिवार्य जानकारी के गलत प्रकटीकरण के लिए दंड की सिफारिश भी शामिल है, ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को न्यूनतम मानदंडों और मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। एचईसीआई खुद इसके चारों अंगों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करेगा। एचईसीआई एक स्वतंत्र निकाय होगा जिनमें प्रासंगिक क्षेत्रों में काम कर रहे सत्यनिष्ठ, प्रतिबद्ध उच्चतर श्रेणी के विशेषज्ञ होंगे जिनके पास सार्वजनिक सेवाओं में योगदान देने का विशिष्ट अनुभव होगा। एचईसीआई का भी खुद का अपना एक छोटा, स्वतंत्र निकाय होगा जिसमें उच्चतर शिक्षा में प्रसिद्ध सामाजिक सरोकारों वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो एचईसीआई की सत्यनिष्ठा और प्रभावी कार्यकुशलता को संचालित करेंगे और इसकी निगरानी करेंगे। एचईसीआई के भीतर कार्य निष्पादन हेतु उपयुक्त प्रक्रिया का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अधिनिर्णय भी शामिल है।

18.11 नए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्थापित करना भी बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये जन सेवा के भाव से दीर्घावधि के लिए वित्तीय सहायता के साथ स्थापित किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान को अपने संस्थानों का विस्तार करने के लिए मदद मिलेगी, और इससे बड़ी संख्या में छात्रों और संकायों के साथ-साथ विषयों और कार्यक्रमों का विस्तार हो सकेगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों का गुणवत्तापूर्ण एवं उच्चतर—शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करने के उद्देश्य से उनके लिए सार्वजनिक परोपकारी साझेदारी मॉडल भी शुरू किए जा सकते हैं।

शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना

18.12 नियंत्रण एवं संतुलन से युक्त विविध तंत्र, उच्चतर शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोक पाएंगे। यह नियामक अभिकरण की प्रमुख प्राथमिकता होगी। सभी शिक्षण संस्थान लाभ के लिए नहीं संस्था पर लागू लेखापरीक्षा और प्रकटीकरण के मानक व्यवस्था का पालन करेंगे। यदि कोई अधिशेष होगा तो उसे शिक्षा क्षेत्र में पुनर्विवेश किया जाएगा। इन सभी वित्तीय मामलों का पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण होगा, जिसमें आम जनता के लिए शिकायत-निवारण तंत्र की सहायता ली जाएगी। एनएसी द्वारा विकसित प्रत्यायन प्रणाली इस प्रणाली पर एक पूरक जांच प्रदान करती है, और एनएचईआरसी इसे अपने नियामक उद्देश्य के प्रमुख आयाम के रूप में देखेगा।

18.13 सार्वजनिक और निजी सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को इस नियामक व्यवस्था में बराबर माना जाएगा। नियामक व्यवस्था शिक्षा में निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा। सभी विधायी अधिनियमों के लिए सामान्य राष्ट्रीय दिशानिर्देश होंगे जिनसे निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये सामान्य न्यूनतम दिशानिर्देश ऐसे सभी अधिनियमों को निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने में समर्थ बनाएंगे और इस प्रकार निजी और सार्वजनिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए सामान्य मानकों को नियत करेंगे। इन सामान्य दिशानिर्देशों में सुशासन, वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा, शैक्षिक परिणाम और प्रकटीकरण की पारदर्शिता शामिल होगी।

18.14 परोपकार और जन हितैषी मंशा रखने वाले निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को फीस निर्धारण के प्रगतिशील शासन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए, उनके प्रत्यायन के आधार पर, फीस की एक उच्चतर सीमा को तय करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाएगा ताकि निजी संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यद्यपि तय नियमों और वृहद् नियामक व्यवस्थाओं के आलोक में, अधिकाधिक छात्रों को फ्रीशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित सभी फीस और शुल्क पारदर्शी रूप से और पूरी तरह से बताए जाएंगे, और किसी भी छात्र के नामांकन के दौरान इस फीस/शुल्कों में कोई मनमानी वृद्धि नहीं होगी। शुल्क निर्धारण की ये व्यवस्था उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ कुछ हद तक निवेश की भरपाई सुनिश्चित करनी होगी।

19. उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व

19.1 यह प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व ही है जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्टता और नवाचार की संस्कृति के निर्माण में सक्षम बनाता है। भारत सहित दुनियाभर में सभी विश्वस्तरीय संस्थानों की सामान्य विशेषता वास्तव में मजबूत स्वशासन और संस्थागत लीडरों की उत्कृष्ट योग्यता आधारित नियुक्ति रही है, जिन्होंने ऐसी संस्कृति के निर्माण और पोषण को संभव बनाया।

19.2 ग्रेडेड प्रत्यायन और ग्रेडेड स्वायत्तता की एक उपयुक्त प्रणाली के माध्यम से, 15 वर्षों में एक चरणबद्ध तरीके से, भारत के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य नवप्रवर्तन और उत्कृष्टता का अनुशीलन करने वाले स्वतंत्र स्वशासी संस्थान बनना होगा। उच्चतमगुणवत्ता का नेतृत्व सुनिश्चित करने और उत्कृष्टता की संस्थागत संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उपाय किए जाएंगे। इस तरह के कदम के लिए तैयार संस्था को उपयुक्त ग्रेडेड प्रत्यायन प्राप्त होने पर योग्य, सक्षम और समर्पित व्यक्तियों जिनमें सिद्ध क्षमताएं और प्रतिबद्धता की एक मजबूत भावना होगी, के समूह से मिलकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) स्थापित किया जाएगा। किसी संस्था के बीओजी को किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त संस्था को संचालित करने, संस्था के प्रमुख सहित सभी नियुक्तियां करने और शासन के संबंध में सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। ऐसे व्यापक विधान होंगे जो पहले के अन्य विधान के किसी भी उल्लंघनकारी प्रावधानों को बदल देंगे जिसमें बीओजी के गठन, नियुक्ति, कामकाज के नियमों, नियमों और विनियमों और बीओजी की भूमिका और जिम्मेदारियां शामिल हैं। बोर्ड के नए सदस्यों की पहचान बोर्ड द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी; और नए सदस्यों का चयन बीओजी द्वारा ही किया जाएगा। सदस्यों का चयन करते समय इकिटी के विचारों का भी ध्यान रखा जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि इस प्रक्रिया के दौरान सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन, समर्थन और सलाह दी जाएगी और इनका उद्देश्य वर्ष 2035 तक स्वायत्त बनना तथा ऐसे सशक्त बीओजी का गठन करना होगा।

19.3 बीओजी सभी संगत रिकॉर्ड के पारदर्शी स्व-प्रकटन के माध्यम से हितधारकों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी) के माध्यम से एचईसीआई द्वारा अनिवार्य सभी नियामक दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

19.4 संस्थानों में सभी नेतृत्वपदों और संस्थान प्रमुखों के लिए उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों को चुना जाएगा जिन्होंने जटिल परिस्थितियों में प्रबंधन करने के साथ प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमताओं का प्रदर्शन किया हो। किसी भी उच्चतर शिक्षण संस्थान के प्रमुख में संवैधानिक मूल्यों और संस्था की समग्र दृष्टि के साथ-साथ एक मजबूत सामाजिक प्रतिबद्धता, टीमवर्क में विश्वास, विविधता, विभिन्न लोगों के साथ काम करने की क्षमता, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। बीओजी द्वारा गठित एक कुशल विशेषज्ञ समिति (ईईसी) के नेतृत्व में एक कठोर, निष्पक्ष, योग्यता आधारित और क्षमता आधारित प्रक्रिया के माध्यम से चयन बीओजी द्वारा किया जाएगा। एक उपयुक्त संस्कृति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्यकाल की स्थिरता महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ नेतृत्व के उत्तराधिकार की योजना बनाई जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी संस्था की प्रक्रियाओं को परिभाषित करने वाले अच्छे व्यवहार नेतृत्व में बदलाव के कारण समाप्त न हों; नेतृत्व में परिवर्तन पर्याप्त ओवर लैप के साथ किये जाएंगे, और सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने के लिए पद खाली नहीं रहेंगे। उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ताओं की पहचान की जाएगी और उन्हें जल्दी तैयार किया जाएगा, जो नेतृत्व की भूमिका में एक सीढ़ी-दर-सीढ़ी आगे बढ़ेंगे।

19.5 चरणबद्ध तरीके से पर्याप्त धन, वैधानिक सशक्तिकरण और स्वायत्तता प्रदान किए जाने के साथ, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान, संस्थागत उत्कृष्टता, अपने स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव और वित्तीय इमानदारी और जवाबदेही के उच्चतममानकों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगे। प्रत्येक संस्थान एक कार्यनीतिक संस्थागत विकास योजना बनाएगा जिसके आधार पर संस्थान अपनी पहलों को विकसित करेंगे, अपनी प्रगति का आकलन करेंगे और उसमें निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचेंगे, जो आगे की सार्वजनिक निधियन के लिए आधार बन सकते हैं। आईडीपी, बोर्ड के सदस्यों, संस्थागत लीडरों, संकाय, छात्रों और कर्मचारियों की संयुक्त भागीदारी के साथ तैयार किया जाएगा।

भाग III. अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे

20. व्यावसायिक शिक्षा

20.1 पेशेवरों को तैयार करने से जुड़ी शिक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पाठ्यक्रम में नैतिकता और सार्वजनिक उद्देश्य के महत्व का समावेश हो, और इसके साथ ही साथ उस विषय विशेष की शिक्षा और व्यावहारिक अभ्यास की शिक्षा को भी शामिल किया जाए। अन्य समस्त उच्चतर शिक्षा से जुड़े विषयों की तरह ही इसके केंद्र में भी तार्किक और अंतःविषयी सोच, विमर्श, चर्चा, अनुसंधान और नवाचार को शामिल किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यावसायिक विकास से जुड़ी शिक्षा बाकी विषयों से कटी या अलग-थलग ना रहे।

20.2 इस प्रकार व्यावसायिक विकास की शिक्षा समग्र उच्चतर शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन जाएगी। स्टैंड-अलोन कृषि विश्वविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, तकनीकी विश्वविद्यालयों और अन्य-विषयों के स्टैंड-अलोन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य अपने आप को एक बहु-विषयक संस्थान के रूप में विकसित करना होना चाहिए जो कि एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा मुहैया करवाए। व्यावसायिक या सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थान वर्ष 2030 तक समेकित रूप से दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान या संस्थान-समूह बनने के लक्ष्य के साथ कार्य करेंगे।

20.3 कृषि शिक्षा और इससे संबद्ध विषयों को पुनर्जीवित किया जाएगा। यद्यपि देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का प्रतिशत 9 है लेकिन कृषि और संबद्ध विज्ञान विषयों में नामांकन उच्चतर शिक्षा के कुल नामांकन के 1% से भी कम है। कुशल स्नातकों और तकनीशियनों, नवीन अनुसंधान और तकनीकी तथा कार्य प्रक्रियाओं से जुड़े बाज़ार आधारित विस्तार के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि और संबद्ध विषयों की क्षमता और गुणवत्ता दोनों को बेहतर किया जाय। सामान्य शिक्षा के साथ जुड़ते कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि और पशुचिकित्सा विज्ञान से जुड़े पेशेवरों की तैयारी में तेजी से वृद्धि की जाएगी। कृषि शिक्षा की प्रक्रिया को ऐसे व्यावसायिक व्यक्तियों के विकास के लिए परिवर्तित किया जाएगा जो कि स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान, और उभरती हुई तकनीकों को समझ सकें और उसका उपयोग कर सकें, और इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि भूमि की गिरती

उत्पादन शक्ति, जलवायु परिवर्तन, हमारी बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता, आदि को लेकर जागरूक हों। यह आवश्यक है कि कृषि शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों से स्थानीय समुदाय सीधे-सीधे लाभान्वित हों, इसका एक तरीका हो सकता है कृषि प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करना ताकि प्रौद्योगिकीय-इन्क्यूबेशन और इसके प्रसार और टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा मिल सके।

20.4 विधिक शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है, साथ ही इस क्षेत्र से संबन्धित बेहतरीन प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों और नयी तकनीकों को अपनाया जाएगा जिससे कि सभी के लिए और सही समय पर न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों से संवर्धित एवं उनके आलोक में बनाया जाना चाहिए और लोकतन्त्र, कानून के शासन और मानवाधिकारों के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विधिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के साथ-साथ साक्ष्य-आधारित तरीके से, विधिक विचार प्रक्रिया के इतिहास, न्याय के सिद्धांतों, न्यायशास्त्र के अभ्यास और अन्य संबंधित विषयों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। विधिक शिक्षा की पेशकश करने वाले राज्य संस्थानों को भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के लिए द्विभाषी शिक्षा की पेशकश पर विचार करना चाहिए जिसमें एक भाषा अंग्रेजी और दूसरी उस राज्य की भाषा हो जिसमें यह विधिक शिक्षा संस्था स्थित है।

20.5 स्वास्थ्य शिक्षा को पुनर्कल्पित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि शैक्षिक कार्यक्रमों की अवधि, संरचना और डिजाइन, स्नातकों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के अनुरूप हो सकें। प्राथमिक देखभाल और माध्यमिक अस्पतालों में काम करने के लिए मुख्य रूप से अच्छी तरह से परिभाषित मापदंडों पर छात्रों का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह देखते हुए कि हमारे लोग स्वास्थ्य सेवा में बहुलतावादी विकल्पों का प्रयोग करते हैं, हमारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली को एकीकृत होना चाहिए – जिसका अर्थ है कि, एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) की बुनियादी समझ होनी चाहिए, और ऐसा ही अन्य सभी प्रकार की चिकित्सा से संबन्धित विद्यार्थियों के विषय में भी लागू होगा। सभी प्रकार की हेल्थकेयर शिक्षा में निवारक स्वास्थ्य देखभाल (प्रीवेंटिव हेल्थकेयर) और सामुदायिक चिकित्सा (कम्युनिटी मेडिसिन) पर अधिक जोर दिया जाएगा।

20.6 तकनीकी शिक्षा में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम शामिल हैं, उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, होटल प्रबंधन और कैटरिंग आदि जो भारत के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में न केवल कई दशकों तक पूरी तरह से योग्य व्यक्तियों की मांग जारी रहेगी, बल्कि इन क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उद्योगों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच घनिष्ठ सहयोग की भी अधिक आवश्यकता होगी। इसके अलावा, समस्त मानवीय उद्यमों और प्रयासों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव से तकनीकी शिक्षा और अन्य विषयों के बीच अंतर समाप्त होने की संभावना बढ़ती जा रही है। इस प्रकार, तकनीकी शिक्षा भी बहु-विषयक शिक्षण संस्थानों

और कार्यक्रमों के भीतर पेश की जाएगी और अन्य विषयों के साथ गहराई से जुड़ने के अवसरों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करेगी। भारत को स्वास्थ्य, पर्यावरण और दीर्घकालिक स्वस्थ जीवन में इनके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ, जिन्हें युवाओं के लिए रोजगार संवर्धन हेतु अवर स्नातक शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा, अत्याधुनिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि जीनोमिक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, न्यूरोसाइंस के साथ ही साथ तेजी से प्रमुखता हासिल कर रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 3-डी मशीनिंग, बड़े डेटा विश्लेषण, और मशीन लर्निंग क्षेत्रों में पेशेवरों को तैयार करने में भी अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

21. प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखना

21.1 बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और जीविकोपार्जन का अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। साक्षरता और बुनियादी शिक्षा किसी व्यक्ति के वैयक्तिक, नागरिक, आर्थिक और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों की एक नवीन दुनिया को खोल देती है जो व्यक्ति को निजी और पेशेवराना, दोनों ही स्तरों पर आगे बढ़ने में मदद करती है। समाज और देश के स्तर पर साक्षरता और बुनियादी शिक्षा एक ऐसी शक्ति के रूप में काम करती है जो विकास हेतु किये जा रहे अन्य सभी प्रयासों की सफलता को कई गुना बढ़ा देती है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किसी देश की साक्षरता दर और उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी में उच्चतर सहसंबंध होता है।

21.2 साथ ही, एक समुदाय का गैर-साक्षर होने के कारण असंख्य नुकसान हैं, जिनमें बुनियादी वित्तीय लेनदेन न कर पाना; प्रभारित मूल्य पर खरीदे गए माल की गुणवत्ता/मात्रा की तुलना करना; नौकरियों, ऋण, सेवाओं, आदि के लिए आवेदन करने के लिए फ़ॉर्म भरना; समाचार मीडिया में सार्वजनिक परिपत्रों और लेखों को समझना; व्यापार को संप्रेषित और संचालित करने के लिए पारंपरिक और इलेक्ट्रॉनिक मेल का उपयोग करना; अपने जीवन और पेशे को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट और अन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करना; दवाइयों, सड़क आदि पर दिशाओं और सुरक्षा निर्देशों को समझना; बच्चों को उनकी शिक्षा में मदद करना; भारत के नागरिक के रूप में किसी के मूल अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पता होना; साहित्य के कार्यों की सराहना करने; और साक्षरता की आवश्यकता से जुड़े मध्यम या उच्चतर उत्पादकता वाले क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर पाने में असमर्थता शामिल है। यहाँ सूचीबद्ध क्षमताएं उन परिणामों की सांकेतिक सूची है जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए नवाचारी उपायों के रूप में अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है।

21.3 भारत एवं विश्वभर में हुए व्यापक शोध अध्ययन और विश्लेषण स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संगठनात्मक संरचना, उचित योजना, पर्याप्त वित्तीय सहायता और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का उच्चतर गुणवत्तापूर्ण क्षमता संवर्धन के साथ-साथ स्वयंसेवा और सामुदायिक भागीदारी और एकजुट होना, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों की सफलता के प्रमुख कारक हैं। स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं पर आधारित साक्षरता कार्यक्रम के परिणामस्वरूप न सिर्फ समुदाय के वयस्कजनों की साक्षरता में वृद्धि होती

है बल्कि इससे समुदाय में सभी बच्चों की शिक्षा हेतु मांग भी बढ़ती है। साथ ही सकारात्मक सामाजिक बदलाव और न्याय के लिए समुदाय की भागीदारी में भी बढ़ोतरी होती है। वर्ष 1988 में जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई तो यह मुख्यतः लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी और सहयोग पर आधारित था, जिसके फलस्वरूप देश में 1991-2011 के दशक के दौरान महिलाओं के बीच साक्षरता सहित सम्पूर्ण साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और तत्कालीन सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श भी शुरू हुआ।

21.4 प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुदृढ़ एवं नवाचारी सरकारी पहलकदमियों, खासकर समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाना तथा प्रौद्योगिकी के सुचारु और लाभकारी एकीकरण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा ताकि 100% साक्षरता के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति शीघ्र हो सके।

21.5 सबसे पहले एनसीईआरटी के एक नए और सु-समर्थित घटक संगठन द्वारा एक उत्कृष्ट प्रौढ़ शिक्षण पाठ्यचर्या ढांचा विकसित किया जाएगा जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए समर्थित हो ताकि साक्षरता, संख्यात्मकता बुनियादी शिक्षण, व्यावसायिक कौशल आदि के लिए उत्कृष्ट पाठ्यचर्या बनाने में एनसीईआरटी की मौजूदा विशेषज्ञता के प्रति अनुरूपता विकसित और उससे सामंजस्य रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या ढांचा तैयार होगा। इस पाठ्यचर्यात्मक ढाँचे में कम से कम निम्न पांच प्रकार के कार्यक्रम शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक के परिणाम स्पष्ट रूप से परिभाषित किये जाएंगे (क) बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (ख) महत्वपूर्ण जीवन कौशल (जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, शिशु पालन एवं शिक्षा और परिवार कल्याण), (ग) व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोजगार प्राप्ति के मद्देनज़र), (घ) बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के समकक्ष) एवं (ङ) सतत शिक्षा (जैसे कला, विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति, खेल, मनोरंजन आदि के अलावा स्थानीय शिक्षार्थियों की रूचि अथवा लाभ की दृष्टि से अन्य विषयों, उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशलों पर अधिक उन्नत सामग्री, पर प्रौढ़ शिक्षा कोर्स)। ऐसा करते हुए यह ध्यान भी रखा जायेगा कि कई मामलों में वयस्कों को, बच्चों के साथ इस्तेमाल किये जाने वाले तरीकों और सामग्री की जगह, भिन्न प्रकार की शिक्षण-अधिगम पद्धतियों और सामग्री की आवश्यकता होगी।

21.6 दूसरा, उपयुक्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सभी इच्छुक प्रौढ़ों को प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन अधिगम प्राप्त हो सके। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल स्कूल के घंटों के बाद और सप्ताहांत पर स्कूल / स्कूल परिसरों का उपयोग, प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय स्थान, जो जहाँ तक संभव हो आईसीटी से सुसज्जित होंगे और अन्य सामुदायिक भागीदारी और संवर्धन गतिविधियों के लिए किया जाना होगा। स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए और अन्य सामुदायिक और स्वयंसेवी गतिविधियों के लिए अवसंरचना का साझाकरण, भौतिक और मानव, दोनों संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ-साथ इन चार प्रकार की शिक्षा और उससे परे के बीच तालमेल बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन कारणों से, उच्चतर शिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक

प्रशिक्षण केन्द्रों आदि जैसे , आदि अन्य सार्वजनिक संस्थानों के भीतर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को भी शामिल किया जा सकता है।

21.7 तीसरा, प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचे में वर्णित सभी पांच प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा के लिए परिपक्व शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों / शिक्षकों / प्रेरकों की आवश्यकता होगी। मौजूदा प्रशिक्षकों को प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में शिक्षण गतिविधियों को व्यवस्थित करने और नेतृत्व करने के साथ-साथ स्वयंसेवक प्रशिक्षकों और ट्यूटर्स के साथ समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय-, राज्य- और जिला-स्तरीय संसाधन सहायता संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। समुदाय से योग्य सदस्यों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के समुदाय से जुड़ने के मिशन के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थानों से भी, को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे लघु अवधि के प्रशिक्षण कोर्स करें और स्वैच्छिक कार्यकर्ता के बतौर या तो व्यापक स्तर पर प्रौढ़ साक्षरता प्रशिक्षक के रूप में या फिर निजी शिक्षक/ट्यूटर के रूप में काम करें। राष्ट्र के लिए की गयी इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जायेगा। राज्य, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सामुदायिक संगठनों के साथ भी काम करेंगे।

21.8 चौथा, समुदाय के सदस्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग लें, यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किये जायेंगे। जो सामाजिक कार्यकर्ता समुदायों में जा कर गैर-नामांकित एवं स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों का पता लगाते हैं और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं, उनसे भी ऐसे अभिभावकों, किशोरों और अन्य इच्छुक लोगों के आंकड़े इकट्ठे करने का अनुरोध किया जायेगा जो प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों (शिक्षार्थी अथवा प्रशिक्षक /ट्यूटर के बतौर) में रुचि रखते हों; इसके उपरान्त सामाजिक/ परामर्शदाता कार्यकर्ता इन लोगों की सूचना स्थानीय प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को देंगे एवं उन्हें इससे जोड़ेंगे। विज्ञापनों और घोषणाओं और गैर-सरकारी संगठनों और अन्य स्थानीय संगठनों की गतिविधियों एवं विभिन्न पहलकदमियों के माध्यम से भी प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों का व्यापक प्रचार किया जायेगा।

21.9 पांचवां, समुदाय एवं शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकों तक पहुँच और उपलब्धता बेहतर करना आवश्यक है। यह नीति अनुशंसा करती है कि सभी समुदाय एवं शिक्षण संस्थान – विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसी पुस्तकों की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे जो कि सभी शिक्षार्थियों – जिसमें निशक्तजन एवं विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी भी शामिल हैं, की आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करते हों। केंद्र एवं राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि पूरे देश में सभी की – जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोगों के साथ साथ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले भी शामिल हैं, पुस्तकों तक पहुँच हो व पुस्तकों का मूल्य सभी के खरीद सकने की सामर्थ्य के अन्दर हो। सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की एजेंसियां / संस्थान पुस्तकों की गुणवत्ता एवं आकर्षण बेहतर बनाने की रणनीति बनाने पर काम करेंगी। पुस्तकों की ऑनलाइन उपलब्धता बेहतर बनाने एवं डिजिटल पुस्तकालय को अधिक व्यापक बनाने हेतु कदम उठाये जायेंगे। समुदायों एवं शिक्षण संस्थानों में जीवंत पुस्तकालयों को बनाने एवं उनका सफल सञ्चालन सुनिश्चित करने के लिए, यथोचित संख्या में

पुस्तकालय स्टाफ की उपलब्धता हो एवं उनके व्यावसायिक विकास के लिए उचित करियर मार्ग बनाने एवं करियर प्रबंधन डिजाइन करने की आवश्यकता है। अन्य प्रयासों में शामिल होंगे – विद्यालयों के पुस्तकालयों को समृद्ध करना, वंचित क्षेत्रों में ग्रामीण पुस्तकालयों एवं पठन कक्षों की स्थापना करना, भारतीय भाषाओं में पठन सामग्री उपलब्ध कराना, बाल-पुस्तकालय एवं चल-पुस्तकालय खोलना, पूरे भारत में और विषयों पर सामाजिक पुस्तक क्लबों की स्थापना व शिक्षण संस्थानों और पुस्तकालयों में आपसी सहयोग बढ़ाना।

21.10 अंततः उपरोक्त सभी पहलों को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाएगा। सरकारी और परोपकारी पहलों के साथ-साथ क्राउडसोर्सिंग और प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी-आधारित विकल्प, जैसे ऐप, ऑनलाइन कोर्स/मॉड्यूल, उपग्रह-आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें, और आईसीटी से सुसज्जित पुस्तकालय और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे। कई मामलों में, गुणवत्तापूर्ण प्रौढ़ शिक्षा का संचालन ऑनलाइन या मिश्रित मोड में किया जा सकता है।

22. भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन

22.1 भारत संस्कृति का समृद्ध भण्डार है – जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है और यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परम्पराओं, भाषाई अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के स्थलों इत्यादि में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। भारत में भ्रमण, भारतीय अतिथि सत्कार का अनुभव लेना, भारत के खूबसूरत हस्तशिल्प एवं हाथ से बने कपड़ों को खरीदना, भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ना, योग एवं ध्यान का अभ्यास करना, भारतीय दर्शनशास्त्र से प्रेरित होना, भारत के अनुपम त्यौहारों में भाग लेना, भारत के वैविध्यपूर्ण संगीत एवं कला की सराहना करना और भारतीय फिल्मों को देखना आदि ऐसे कुछ आयाम हैं जिनके माध्यम से दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रतिदिन इस सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित होते हैं, इसका आनन्द उठाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। यही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा है जो भारत के पर्यटन स्लोगन के अनुसार भारत को वास्तव में “अतुल्य ! भारत” बनाती है। भारत की इस सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार, देश की उच्चतर प्राथमिकता होना चाहिए क्योंकि यह देश की पहचान के साथ-साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

22.2 भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन न सिर्फ राष्ट्र बल्कि व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चों में अपनी पहचान और अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों में विकसित करना ज़रूरी है। बच्चों में अपने सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परंपरा की भावना और ज्ञान के विकास द्वारा ही एक सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान बच्चों में निर्मित किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है।

22.3 संस्कृति का प्रसार करने का सबसे प्रमुख माध्यम कला है। कला- सांस्कृतिक पहचान, जागरूकता को समृद्ध करने और समुदायों को उन्नत करने के अलावा व्यक्तियों में संज्ञानात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने तथा व्यक्तिगत प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। व्यक्तियों की प्रसन्नता/कल्याण, संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक पहचान वह महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके लिए सभी प्रकार की भारतीय कलाएँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा से आरम्भ करते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए।

22.4 भाषा, निःसंदेह, कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। विभिन्न भाषाएँ, दुनिया को भिन्न तरीके से देखती हैं इसलिए, मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता है या उसे किस प्रकार ग्रहण करता है यह उस भाषा की संरचना से तय होता है। विशेष रूप से, किसी संस्कृति के लोगों का दूसरों के साथ बात करना जैसे परिवार के सदस्यों, प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों, समकक्षों, अपरिचित आदि भाषा से प्रभावित होता है तथा बातचीत के तौर-तरीकों को भी प्रभावित करती है। लहज़ा, अनुभवों की समझ और एक ही भाषा के व्यक्तियों की बातचीत में अपनापन, यह सभी संस्कृति का प्रतिबिम्ब और दस्तावेज़ हैं। अतः संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है। साहित्य, नाटक, संगीत, फ़िल्म आदि के रूप में कला की पूरी तरह सराहना करना बिना भाषा के संभव नहीं है। संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा।

22.5 दुर्भाग्य से, भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को 'लुप्तप्राय' घोषित किया है। विभिन्न भाषाएँ विलुप्त होने के कगार पर हैं विशेषतः वे भाषाएँ जिनकी लिपि नहीं है। जब किसी समुदाय या जनजाति के, उस भाषा को बोलने वाले वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु होती है तो अक्सर वह भाषा भी उनके साथ समाप्त हो जाती है; और प्रायः इन समृद्ध भाषाओं/संस्कृति की अभिव्यक्तियों को संरक्षित या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई या उपाय नहीं किए जाते हैं।

22.6 इसके अलावा, वे भारतीय भाषाएँ भी, जो आधिकारिक रूप से लुप्तप्राय की सूची में नहीं हैं- जैसे आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएँ वे भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाएँ प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बने रहना चाहिए – जिसमें पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, वीडियो, नाटक, कविताएँ, उपन्यास, पत्रिकाएँ आदि शामिल हैं। भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भण्डार को आधिकारिक रूप से लगातार अपडेट अद्यतन होते रहना चाहिए और उसका व्यापक प्रसार भी करना चाहिए ताकि समसामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं में चर्चा की जा सके। दुनियाभर के देशों द्वारा – अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियाई, जापानी आदि भाषाओं में इस प्रकार की अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री बनाने और दुनिया की अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद किया जाता है

तथा शब्दभंडार को लगातार अद्यतन किया जाता है। परंतु, अपनी भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद के लिए ऐसी अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री और शब्दकोश बनाने के मामले में भारत की गति काफ़ी धीमी रही है।

22.7 इसके अतिरिक्त, कई उपाय करने के पश्चात् भी देश में भाषा सिखाने वाले कुशल शिक्षकों की अत्यधिक कमी रही है। भाषा शिक्षण में भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि वह अधिक अनुभव-आधारित बने और उस भाषा में बातचीत और अन्तःक्रिया करने की क्षमता पर केन्द्रित हो न कि केवल भाषा के साहित्य, शब्दभंडार और व्याकरण पर। भाषाओं को अधिक व्यापक रूप में बातचीत और शिक्षण-अधिगम के लिए प्रयोग में लिया जाना चाहिए।

22.8 स्कूली बच्चों में भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, कई पहलों की चर्चा अध्याय 4 में की जा चुकी है जिसमें – सभी स्कूली स्तरों पर संगीत, कला और हस्तकौशल पर बल देना; बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूला का जल्द क्रियान्वयन, साथ ही जब संभव हो मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षण तथा अधिक अनुभव-आधारित भाषा शिक्षण ; उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, हस्तकलाकारों एवं अन्य विशेषज्ञों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षक के रूप में स्कूलों से जोड़ना; पाठ्यचर्या, मानविकी, विज्ञान, कला, हस्तकला और खेल में पारंपरिक भारतीय ज्ञान का समावेशन करना, जब भी ऐसा करना प्रासंगिक हो; पाठ्यचर्या में अधिक लचीलापन, विशेषकर माध्यमिक स्कूल में और उच्चतर शिक्षा में, ताकि विद्यार्थी एक आदर्श संतुलन कायम रखते हुए अपने लिए कोर्स का चुनाव कर सकें जिससे वे स्वयं के सृजनात्मक, कलात्मक, सांस्कृतिक एवं अकादमिक आयामों का विकास कर सकें आदि शामिल है।

22.9 उच्चतर शिक्षा एवं उससे आगे की शिक्षा के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बाद में उल्लिखित प्रमुख पहलों को संभव बनाने के लिए आगे भी कई कदम उठाये जायेंगे। पहला, ऊपर उल्लिखित सभी कोर्स को विकसित करना एवं उनका शिक्षण, शिक्षकों एवं संकाय की उत्कृष्ट टीम का विकास करना होगा। भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शनशास्त्र आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को देश भर में शुरू किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा, साथ ही इन विषयों में (दोहरी डिग्री चार वर्षीय बी. एड. सहित) डिग्री कोर्स विकसित किए जाएंगे। ये विभाग एवं कार्यक्रम, विशेष रूप से उच्चतर योग्यता के भाषा शिक्षकों के एक बड़े कैडर को विकसित करने में मदद करेगा, साथ ही साथ कला, संगीत, दर्शनशास्त्र एवं लेखन के शिक्षकों को भी तैयार करेगा जिनकी देश भर में इस नीति को क्रियान्वित करने हेतु तुरंत आवश्यकता होगी। एनआरएफ इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु वित्त मुहैया कराया जाएगा। स्थानीय संगीत, कला, भाषाओं एवं हस्त-शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र जहाँ अध्ययन कर रहे हों वे वहाँ की संस्कृति एवं स्थानीय ज्ञान को जान सकें, उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों एवं हस्त-शिल्प में कुशल व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान, प्रत्येक स्कूल और स्कूल

कॉम्प्लेक्स यह प्रयास करेगा कि कलाकार वहीं निवास करें जिससे कि छात्र कला, सृजनात्मकता तथा क्षेत्र/देश की समृद्धि को बेहतर रूप से जान सकें।

22.10 अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के और अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा और / या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाया जाएगा ताकि पहुँच और सकल नामांकन अनुपात दोनों में बढ़ोत्तरी हो सके, इसके साथ ही सभी भारतीय भाषाओं की मजबूती, उपयोग एवं जीवन्तता को प्रोत्साहन मिल सके; मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने और/ या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाने के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा एवं बढ़ावा दिया जाएगा। चार वर्षीय बीएड दोहरी डिग्री कार्यक्रम को दो भाषाओं में चलाने से भी मदद मिलेगी, जैसे कि देश भर के विद्यालयों में विज्ञान को दो भाषाओं में पढ़ाने वाले विज्ञान और गणित शिक्षकों के कैंडर के प्रशिक्षण में।

22.11 उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनुवाद और विवेचना, कला और संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व, कलाकृति संरक्षण, ग्राफ़िक डिजाईन एवं वेब डिजाईन के उच्चतर गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम एवं डिग्रियों का सृजन भी किया जाएगा। अपनी कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करना, कलाकृतियों का संरक्षण करना, संग्रहालयों और विरासत या पर्यटन स्थलों को चलाने के लिए उच्चतर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का विकास करना जिससे पर्यटन उद्योग को भी काफी मजबूती मिल सके।

22.12 यह नीति इस बात को स्वीकारती है कि शिक्षार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ छात्रों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने जैसी सरल गतिविधियों को शामिल करना होगा जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों की विविधता, संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान की समझ और सराहना होगी। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तहत इस दिशा में देश के 100 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी, जहाँ शिक्षण संस्थान छात्रों को इन क्षेत्रों के बारे में ज्ञानवर्धन करने के लिए स्थलों और उनके इतिहास, वैज्ञानिक योगदान, परंपराओं, स्वदेशी साहित्य और ज्ञान आदि का अध्ययन करने के लिए भेजेंगे।

22.13 उच्चतर शिक्षा में कला, भाषा और मानविकी के क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम बनाने से ऐसे रोजगार के ऐसे गुणवत्तापूर्ण अवसर भी पैदा होंगे जो इन योग्यताओं का प्रभावकारी उपयोग कर पायेंगे। अभी भी हजारों की संख्या में अकादमियां, संग्रहालय, कला वीथिकाएँ और धरोहर स्थल हैं जिनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। जैसे ही योग्य व्यक्तियों से रिक्त पदों को भरा जाएगा, एवं अधिक कलाकृतियों को जुटाया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा, इसके अतिरिक्त संग्रहालय (जिनमें आभासी (वर्चुअल) संग्रहालय / ई-संग्रहालयों सहित), वीथिकाएँ और धरोहर स्थल हमारी विरासत और भारत के पर्यटन उद्योग को संरक्षित रख पाएँगी।

22.14 भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित अपने प्रयासों का विस्तार करेगा, जिससे सर्वसाधारण को विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाला अधिगम सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके। इसके लिए एक इंस्टिट्यूट ऑफ़ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रीटेशन (आईआईटीआई) की स्थापना की जायेगी। इस प्रकार का संस्थान देश के लिए महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करेगा साथ ही अनेक बहु-भाषी भाषा और विषय विशेषज्ञ तथा अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा जिससे सभी भारतीय भाषाओं को प्रसारित और प्रचारित करने में मदद मिलेगी। आईआईटीआई को अपने अनुवाद और व्याख्या करने के प्रयासों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करेगा। आईआईटीआई समय के साथ स्वाभाविक रूप से उन्नति करेंगे और जैसे जैसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की मांग बढ़ेगी, संस्थान को उच्चतर शिक्षण संस्थानों सहित, देश भर के विभिन्न स्थानों में खोला जा सकेगा ताकि अनुसंधान विभाग के साथ सहभागिता सुगम हो सके।

22.15 संस्कृत भाषा के वृहद् एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक प्रकृति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा - स्कूलों में त्रि-भाषा फार्मूला के तहत एक विकल्प के रूप में, साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा में भी। इसे पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से एवं अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोलशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नाटक विधा, योग आदि से जोड़ा जाएगा। अतः इस नीति के बाकी हिस्से से संगतता रखते हुए, संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्चतर शिक्षा के बड़े बहुविषयी संस्थान बनने की दिशा में अग्रसर होंगे; वे संस्कृत विभाग जो संस्कृत एवं संस्कृत ज्ञान व्यवस्था के शिक्षण एवं उत्कृष्ट अंतरविषयी अनुसंधान का संचालन करते हैं उन्हें सम्पूर्ण नवीन बहु-विषयी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के भीतर स्थापित / मजबूत किया जाएगा। यदि छात्र चाहे तो संस्कृत उच्चतर शिक्षा का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में चार वर्षीय बहु-विषयक बी.एड. डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जायेगी।

22.16 भारत इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा, और उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, संरक्षित करने, अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने के मजबूत प्रयास करेगा, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं गया है। इसी प्रकार से सभी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों, जिनमें शास्त्रीय भाषाओं एवं साहित्य पढ़ाया जा रहा है, उनका विस्तार किया जाएगा। अभी तक उपेक्षित रहे लाखों अभिलेखों के संग्रह, संरक्षण, अनुवाद एवं अध्ययन के दृढ़ प्रयास किये जायेंगे। देश भर के संस्कृत एवं सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया जाएगा, छात्रों के नए बैच को बड़ी संख्या में अभिलेखों एवं अन्य विषयों के साथ उनके अंतर्संबंधों के अध्ययन का समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। शास्त्रीय भाषा के संस्थान अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध होने या उनमें विलय का प्रयास करेंगे ताकि एक सुदृढ़ एवं गहन बहुविषयी कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संकाय काम कर सके एवं छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, भाषाओं को समर्पित विश्वविद्यालय भी

बहुविषयी बनेंगे; जहाँ प्रासंगिक होगा वे शिक्षा एवं उस भाषा में बी.एड. दोहरी डिग्री प्रदान करेगी ताकि उस भाषा के उत्कृष्ट भाषा शिक्षक तैयार हो सकें। इसके अलावा, यह भी प्रस्तावित है कि भाषाओं के लिए एक नया संस्थान स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के परिसर में एक पाली, फारसी, एवं प्राकृत भाषा के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। जिन संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में भारतीय कला, कला इतिहास एवं भारत विद्या का अध्ययन किया जा रहा है वहाँ भी इसी प्रकार के कदम उठाये जायेंगे। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधानों को एनआरएफ द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

22.17 शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किए जाएंगे। प्रौद्योगिकी एवं क्राउडसोर्सिंग, लोगों की व्यापक भागीदारी के साथ, इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

22.18 भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जायेगी जिनमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल रहेंगे ताकि नवीन अवधारणाओं का सरल किन्तु सटीक शब्द भण्डार तय किया जा सके, तथा नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोष जारी किया जा सके (विश्व में कई भाषाओं अन्य कई भाषाओं के सफल प्रयासों के सटश)। इन शब्दकोशों के निर्माण के लिए ये अकादमियां एक दुसरे से परामर्श लेंगी, कुछ मामलों में आम जनता के सर्वश्रेष्ठ सुझावों को भी लेंगी। जब भी संभव हो, साझे शब्दों को अंगीकृत करने का प्रयास भी किया जाएगा। ये शब्दकोष व्यापक रूप से प्रसारित किये जायेंगे ताकि शिक्षा, पत्रकारिता, लेखन, बातचीत आदि में इस्तेमाल किया जा सके एवं किताब के रूप में तथा ऑनलाइन उपलब्ध हों। अनुसूची 8 की भाषाओं के लिए इन अकादमियों को केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अथवा उनके साथ मिलकर स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार व्यापक पैमाने पर बोली जाने वाली अन्य भारतीय भाषाओं की अकादमी केंद्र अथवा/और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जायेंगी।

22.19 सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित समृद्ध स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सभी भारतीय भाषाओं एवं और उनसे संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति का, वेब आधारित प्लेटफार्म/पोर्टल/विकीपीडिया के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। प्लेटफार्म पर विडियो, शब्दकोष, रिकॉर्डिंग एवं अन्य सामग्री होगी जैसे लोगों द्वारा भाषा बोलना (विशेषकर बुजुर्गों द्वारा), कहानियां सुनाना, कविता पाठ करना, नाटक खेलना, लोक गायन एवं नृत्य करना आदि। देश भर के लोगों को इन प्रयासों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिससे वो इन प्लेटफार्म/पोर्टल/विकीपीडिया पर प्रासंगिक सामग्री जोड़ सकेंगे। विश्वविद्यालय एवं उनकी शोध टीम एक दूसरे के साथ तथा देश भर के समुदायों के साथ काम करेंगी ताकि इन प्लेटफार्म को और समृद्ध किया जा सके। संरक्षण के इन प्रयासों तथा इनसे जुड़े अनुसंधान परियोजनाओं, उदाहरण के लिए इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान आदि को एनआरएफ द्वारा वित्तीय सहायता दी जायेगी।

22.20 स्थानीय मास्टर्स तथा / या उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु के लोगों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की जायेगी। भारतीय भाषाओं का संवर्धन एवं प्रसार तभी संभव है जब उन्हें नियमित तौर पर प्रयोग किया जाए तथा शिक्षण-अधिगम के लिए प्रयोग किया जाए। भारतीय भाषाओं में, विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कविताओं एवं गद्य के लिए पुरस्कार की स्थापना जैसे प्रोत्साहन के कदम उठाये जायेंगे ताकि सभी भारतीय भाषाओं में जीवंत कवितायें, उपन्यास, पाठ्य पुस्तकें, कथेतर साहित्य का निर्माण एवं पत्रकारिता जैसे अन्य कार्य सुनिश्चित किये जा सकें। भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोज़गार अर्हता के मानदंडों के एक हिस्से के तौर पर शामिल किया जाएगा।

23. प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण

23.1 भारत, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष जैसे अन्य अत्याधुनिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान पूरे देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में मदद कर रहा है। इस रूपांतरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी भी शैक्षिक प्रक्रिया एवं परिणामों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रकार, सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच द्विदिश संबंध है।

23.2 तकनीक को समझने एवं इस्तेमाल करने वाले शिक्षक व उद्यमियों, जिनमें छात्र उद्यमी भी शामिल हैं की वास्तविक रचनात्मकता के साथ-साथ प्रौद्योगिकी विकास की तीव्र दर को देखते हुए यह निश्चित है कि प्रौद्योगिकी, शिक्षा को कई मायनों में प्रभावित करेगी, जिनमें से वर्तमान में सिर्फ कुछ के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन, स्मार्ट बोर्ड, हस्त संचालित कंप्यूटिंग उपकरण, छात्रों के विकास के लिए एडेप्टिव कंप्यूटर टेस्टिंग, और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा न केवल यह परिवर्तन होगा कि छात्र क्या सीखता है वरन् यह भी परिवर्तन होगा कि वो कैसे सीखता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में भविष्य में भी प्रौद्योगिकी एवं शैक्षिक दोनों दृष्टि से व्यापक शोध की आवश्यकता होगी।

23.3 शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के सभी प्रकार के प्रयोग व एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा एवं अंगीकृत किया जाएगा, बशर्ते कि वृहद् स्तर पर लागू करने से पहले इनका प्रासंगिक सन्दर्भों में ठोस एवं पारदर्शी ढंग से आंकलन किया गया हो। विद्यालयी एवं उच्चतर शिक्षा दोनों क्षेत्र में शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) का निर्माण किया जाएगा। एनईटीएफ का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने और किसी क्षेत्र विशेष में उसके उपयोग से संबन्धित निर्णयों को सुगम बनाना होगा। एनईटीएफ यह कार्य, शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों, केंद्रीय और राज्य सरकारों व अन्य हितधारकों को, नवीनतम ज्ञान व अनुसन्धान के साथ ही साथ सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को एक-दूसरे से साझा करने और परामर्श के अवसर प्रदान करके करेगा। एनईटीएफ के निम्नलिखित कार्य होंगे:

- क. प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप में केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र एवं प्रमाण आधारित परामर्श उपलब्ध कराना;
- ख. शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक एवं संस्थागत क्षमता का निर्माण;
- ग. इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी कार्यों की परिकल्पना करना; और
- घ. अनुसंधान एवं नवाचार के लिए नई दिशाओं को स्पष्ट करना ।

23.4 शैक्षिक प्रौद्योगिकी के तीव्रता से परिवर्तित हो रहे क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए एनईटीएफ विविध स्रोतों से, जिनमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आविष्कार को और उस प्रौद्योगिकी को प्रयोग करने वाले लोग सम्मिलित हैं, से प्राप्त प्रमाणिक डेटा के नियमित प्रवाह को बनाए रखेगा और शोधकर्ताओं के विविध वर्ग के साथ मिलकर इस डेटा का विश्लेषण करेगा। ज्ञान एवं उसके प्रयोग तथा इस दिशा में सतत नए सृजन को बढ़ावा देने के लिए, एनईटीएफ अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी शोधकर्ताओं, उद्यमियों और प्रौद्योगिकी को उपयोग में ला रहे व्यक्तियों के विचारों से लाभान्वित होने के लिए कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करेगा।

23.5 प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण-अधिगम और आंकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, शिक्षकों की तैयारी एवं व्यावसायिक विकास में सहयोग करना, शैक्षिक पहुँच को बढ़ाना, शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन एवं प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित करना जिसमें प्रवेश, उपस्थिति, मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाएं आदि सम्मिलित हैं।

23.6 उपरोक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी स्तरों पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत से शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे और उन्हें उपलब्ध करवाये जायेंगे। ऐसे सभी सॉफ्टवेयर सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों, तथा दिव्यांग विद्यार्थियों समेत सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। सभी राज्यों तथा एनसीईआरटी, सीआईईटी, सीबीएसई, एनआईओएस एवं अन्य निकायों / संस्थानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित शिक्षण एवं अधिगम संबंधी ई-कंटेंट दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ई-कंटेंट का उपयोग शिक्षकों के व्यावसायिक सम्बन्धी विकास के लिए किया जा सकता है। दीक्षा के साथ साथ अन्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों के संवर्धन एवं प्रसार हेतु सीआईईटी को मजबूत बनाया जाएगा। स्कूलों में शिक्षकों के लिए उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि शिक्षक अपने शिक्षण-अधिगम अभ्यासों में ई-सामग्री को उपयुक्त रूप से शामिल कर सकें। प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्लेटफॉर्म, जैसे दीक्षा/स्वयम, सम्पूर्ण स्कूली और उच्चतर शिक्षा में समन्वित किये जाएंगे, और इसमें उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग / समीक्षाएं शामिल होंगी, ताकि कंटेंट विकासकर्ता प्रयोक्ता अनुकूल और गुणवत्ता पूर्ण कंटेंट बना सकें।

23.7 संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को अनिवार्यतः रूप से रूपांतरित करने में तेज़ी से उभरती परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब 1986/1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनायी गयी

थी, तब इंटरनेट के वर्तमान क्रांतिकारी प्रभावों का अनुमान लगाना कठिन था। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की इन तीव्र और युगांतरकारी परिवर्तनों का सामना करने की असमर्थता इस तेजी से प्रतिस्पर्धी होती दुनिया में हमें (व्यक्तिगत रूप से और एक राष्ट्र के रूप में) खतरनाक और हानिकारक स्थिति की ओर ले जा रही है। उदाहरण के लिए, आज जब कंप्यूटर ने तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान के मामले में मनुष्य को काफी पीछे छोड़ दिया है, तब भी हमारी शिक्षा व्यवस्था, उच्चतर स्तर की दक्षताओं के विकास के स्थान पर, अपने विद्यार्थियों पर शिक्षण के सभी स्तरों पर ऐसे ज्ञान का अत्यधिक बोझ डालती रहती है।

23.8 इस नीति को ऐसे समय में तैयार किया गया है जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) 3डी/7डी वर्चुअल रिएल्टी जैसी निश्चित परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी का विकास रहा है। जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित पूर्वानुमानों की लागत कम होती जाएगी, वैसे-वैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुशल पेशेवरों की बराबरी करने लगेगी व उनसे भी आगे निकल जाएगी और डॉक्टर जैसे अन्य पेशेवरों के लिए, पूर्वानुमान लगाने के कामों में मूल्यवान सहायक सिद्ध होगी। एआई की परिवर्तन ला पाने की क्षमता स्पष्ट है जिस पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए शिक्षा व्यवस्था को तैयार रहना होगा। एनईटीएफ के स्थायी कार्यों में से एक, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को उनकी क्षमता व परिवर्तन लाने की अनुमानित समय सीमा के आधार पर वर्गीकृत करना और समय-समय पर इन विश्लेषणों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इन सूचनाओं के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय औपचारिक रूप से ऐसी प्रौद्योगिकी को चिह्नित करेगा जिनके उद्भव के लिए शिक्षा प्रणाली से प्रतिक्रिया आवश्यक होगी।

23.9 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से नवीन परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के प्रतिक्रियास्वरूप, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान का प्रारम्भ या विस्तार किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के संदर्भ में, एनआरएफ त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपना सकता है: (क) कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान को आगे बढ़ाना, (ख) एप्लिकेशन आधारित अनुसंधान का विकास और प्रयोग, तथा (ग) स्वास्थ्य, कृषि व जलवायु संकट जैसे वैश्विक संकटों की चुनौतियों का सामना करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के प्रयासों को प्रारंभ करना।

23.10 उच्चतर शिक्षण संस्थान न सिर्फ परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे बल्कि अत्याधुनिक क्षेत्रों में आरंभिक निर्देशात्मक सामग्री और पाठ्यक्रम (ऑनलाइन पाठ्यक्रमों सहित) भी तैयार करने के साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उनके प्रभाव का आकलन भी करेंगे। जब प्रौद्योगिकी एक स्तर की परिपक्वता प्राप्त कर लेगी, हजारों छात्रों के साथ उच्चतर शिक्षा संस्थान इस प्रकार के शिक्षण और कौशल निर्माण के कामों को बढ़ाने के लिए आदर्श स्थिति में होंगे, जिसमें रोजगारपरक तैयारी के लिए लक्षित प्रशिक्षण के प्रयास भी शामिल होंगे। परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी कुछ नौकरियों को निरर्थक बना देंगी, अतः रोजगार पैदा करने और उन्हें बनाए रखने के लिए स्किलिंग और डि-स्किलिंग के प्रति प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा। संस्थानों को कौशल और उच्चतर शिक्षा के साथ एकीकृत किये जा सकने वाले प्रशिक्षण देने के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत

भागीदारों को मंजूरी देने की स्वायत्तता होगी, जिसे कौशल और उच्चतर शिक्षण संबंधी रूपरेखाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा।

23.11 विश्वविद्यालयों का उद्देश्य मशीन लर्निंग जैसे मूल क्षेत्रों/ कोर एरिया, बहु-विषयक क्षेत्रों “कृत्रिम बुद्धिमत्ता + X” और व्यावसायिक क्षेत्रों (जैसे स्वास्थ्य, कृषि, विधि) में पीएचडी और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करना होगा। ये स्वयं जैसे मंचों की सहायता से इन क्षेत्रों में आधिकारिक पाठ्यक्रमों को विकसित कर उनका प्रसार कर सकते हैं। शीघ्रता से अपनाने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान आरंभ में इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को पारंपरिक शिक्षण के स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सहायता प्रदान करने के लिए कम विशेषज्ञता की मांग वाले क्षेत्रों, जैसे डेटा एनोटेशन, इमेज क्लासिफिकेशन और स्पीच ट्रांसक्रिप्शन, में लक्षित प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। स्कूली विद्यार्थियों को भाषा सिखाने के प्रयासों को भारत की विविध भाषाओं के लिए स्वाभाविक भाषा प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ जोड़ा जाएगा।

23.12 जैसे जैसे परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियाँ उभर रही हैं, स्कूली और अग्रिम शिक्षा इनके अत्यंत शक्तिशाली प्रभावों के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाने में सहायता करेगी और इसके साथ ही इससे संबंधित मुद्दों को भी हल करेगी। इन प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों पर एक सुविचारित सार्वजनिक सहमति बनाने के लिए यह जागरूकता आवश्यक है। विद्यालय स्तर पर अध्ययन हेतु चर्चा नैतिक व समसामयिक मुद्दों में एनईटीएफ़ /एमएचआरडी द्वारा चिह्नित अत्यंत प्रभावशाली प्रौद्योगिकियों पर चर्चा को भी शामिल किया जाएगा। सतत शिक्षा हेतु उचित निर्देशात्मक एवं विमर्शात्मक सामग्री भी तैयार की जाएगी।

23.13 कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रौद्योगिकी के लिए डाटा एक महत्वपूर्ण ईंधन के समान है, और गोपनीयता के मुद्दों पर, डाटा-संधारण, डाटा-संरक्षण आदि से जुड़ी सुरक्षा, कानून और मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना अति आवश्यक है। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग से जुड़े नैतिक मुद्दों को उठाना भी आवश्यक है। शिक्षा इन मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अन्य परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी जैसे स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा, जल संरक्षण, संवहनीय खेती, पर्यावरण संरक्षण और अन्य हरित उपाय आदि जो हमारे जीवन जीने तथा छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं इन पर भी शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाएगा।

24. ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा - प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना

24.1 नई परिस्थितियाँ और वास्तविकताओं के लिए नई पहलें अपेक्षित हैं। संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों में हाल ही में वृद्धि को देखते हुए यह ज़रूरी हो गया है कि जब भी और जहाँ भी शिक्षा के पारंपरिक और विशेष साधन संभव न हों वहाँ हम गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार

हों। इस संबंध में, नई शिक्षा नीति, 2020 प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित है। यह निर्धारित करने के लिए कि ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करते हुए हम कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं, सावधानीपूर्वक और उपयुक्त रूप से तैयार किया गया अध्ययन करना होगा। साथ ही, सभी को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने से संबंधित वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रियान्वित आईसीटी -आधारित पहलों को अनुकूल और विस्तारित करना होगा।

24.2 तथापि, ऑनलाइन / डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक डिजिटल इंडिया अभियान और किफ़ायती कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता जैसे ठोस प्रयासों के माध्यम से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता। यह जरूरी है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए।

24.3 प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास चाहिए। पहले से ही यह माना नहीं जा सकता कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से चलने वाली एक ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होगा। अध्यापन में आवश्यक परिवर्तनों के अलावा, ऑनलाइन आकलन के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने में कई चुनौतियां हैं, जिनमें ऑनलाइन परिवेश में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार से संबंधित सीमाएं, नेटवर्क और बिजली के व्यवधान से जूझना और अनैतिक प्रथाओं को रोकना शामिल हैं। कुछ प्रकार के पाठ्यक्रम / विषय, जैसे प्रदर्शन कला और विज्ञान व्यावहारिक ऑनलाइन / डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में सीमाएं हैं, जिन्हें नवीन उपायों के साथ कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है। इसके अलावा, जब तक ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधि-आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नहीं किया जाता, तब तक यह सीखने के सामाजिक, भावात्मक और साइकोमोटर आयामों पर सीमित फोकस वाली एक स्क्रीन-आधारित शिक्षा मात्र ही बन जाएगी।

24.4 डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव और स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षण-अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी के उभरते हुए महत्व को देखते हुए - यह नीति निम्नलिखित प्रमुख पहलों की सिफारिश करती है:

क. ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन : ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करते हुए उसे शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लाभों का मूल्यांकन करने के लिए और छात्रों को उपकरणों की आदत, ई-कंटेंट का सबसे पसंदीदा प्रारूप आदि जैसे संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए भी इसके साथ साथ प्रमुख अद्यायन संचालित करने के लिए एनईटीएफ़, सीआईईटी, एनआईओएस, इग्नू, आईआईटी, एनआईटी आदि जैसी उपयुक्त एजेंसियों की पहचान की जाएगी। इन पायलट अध्ययनों के परिणामों को सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाएगा और निरंतर सुधार के लिए इनका उपयोग किया जाएगा।

- ख. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर:** भारत के क्षेत्रफल, विविधता, जटिलता और डिवाइस अर्थबोध को हल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खुले, परस्पर, विकसित, सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसका उपयोग कई प्लेटफार्मों और पॉइंट सॉल्यूशंस द्वारा किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के साथ पुराने न हो जाएं।
- ग. ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण:** शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षकों को सहायक उपकरण के एक संरचित, उपयोगकर्ता अनुकूल, विकसित सेट प्रदान करने के लिए स्वयं, दीक्षा जैसे उपयुक्त मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिए दो-तरफ़ा वीडियो और दो-तरफ़ा-ऑडियो इंटरफ़ेस जैसे उपकरण एक वास्तविक आवश्यकता है।
- घ. सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रसार:** कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स और सिमुलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के निर्माण सहित कंटेंट की एक डिजिटल रिपोजिटरी विकसित की जाएगी, जिसमें प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग करने के लिए एक स्पष्ट सार्वजनिक प्रणाली होगी। छात्रों के लिए मनोरंजन आधारित अधिगम हेतु उपयुक्त उपकरण जैसे ऐप, स्पष्ट संचालन निर्देश के साथ कई भाषाओं में भारतीय कला और संस्कृति का एकीकरण आदि भी बनाए जाएंगे। छात्रों को ई-सामग्री का प्रसार करने के लिए एक विश्वसनीय बैकअप तंत्र प्रदान किया जाएगा।
- ङ. डिजिटल अंतर को कम करना:** इस तथ्य को देखते हुए कि अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिसकी डिजिटल पहुँच अत्यधिक सीमित है, मौजूदा जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों को छात्रों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न भाषाओं में 24/7 उपलब्ध कराया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इस पर विशेष बल दिया जाएगा कि जहाँ तक संभव हो, शिक्षकों और छात्रों तक डिजिटल सामग्री उनकी सीखने की भाषा में पहुँचे।
- च. वर्चुअल लैब्स:** वर्चुअल लैब बनाने के लिए दीक्षा, स्वयं और स्वयंप्रभा जैसे मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा ताकि सभी छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण व्यावहारिक और प्रयोग-आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो। एसईडीजी छात्रों और शिक्षकों को पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट जैसे उपयुक्त डिजिटल उपकरण पर्याप्त रूप से देने की संभावना पर विचार किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा।

छ. शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन: शिक्षकों को शिक्षार्थी-केंद्रित अध्यापन में गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि वे ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों और उपकरणों का उपयोग करके उच्चतर गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का स्वयं सृजन करेंगे। ई-सामग्री के साथ साथ छात्रों में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए शिक्षक की भूमिका पर जोर दिया जाएगा।

ज. ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं: उपयुक्त निकाय, जैसे कि प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र अथवा 'परख', स्कूल बोर्ड, एनटीए, और अन्य चिह्नित निकाय मूल्यांकन रूपरेखाओं का निर्धारण करेंगे और कार्यान्वित करेंगे, जिसमें दक्षताओं, पोर्टफोलियो, रुब्रिक्स, मानकीकृत मूल्यांकन और मूल्यांकन विश्लेषण के डिजाइन शामिल होंगे। 21 वीं सदी के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर मूल्यांकन के नए तरीकों का अध्ययन किया जाएगा।

झ. सीखने के मिश्रित मॉडल: डिजिटल शिक्षा व शिक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही, परंपरागत व्यक्तिगत रूप से आमने-सामने सीखने के महत्व को भी पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है। तदनुसार, विभिन्न विषयों के लिए सीखने के विभिन्न मिश्रित प्रभावी मॉडल, उपयुक्त प्रतिकृति के लिए चिह्नित किए जाएंगे।

ञ. मानकों को पूरा करना: जैसे जैसे ऑनलाइन / डिजिटल शिक्षा पर शोध सामने आ रहे हैं, एनईटीएफ़ और अन्य उपयुक्त निकाय ऑनलाइन / डिजिटल शिक्षण-शिक्षण के लिए सामग्री, प्रौद्योगिकी और शिक्षाशास्त्र के मानक स्थापित करेंगे। ये मानक राज्यों, बोर्डों, स्कूलों और स्कूल परिसरों, उच्चतर शिक्षण संस्थानों, आदि द्वारा ई-लर्निंग के लिए दिशानिर्देश तैयार करने में मदद करेंगे।

24.5 विश्व स्तरीय डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक डिजिटल कंटेंट सामग्री और क्षमता का निर्माण करने के लिए एक समर्पित इकाई का सृजन - शिक्षा में प्रौद्योगिकी कोई गंतव्य न होकर एक यात्रा के समान है और नीतिगत उद्देश्यों को लागू करने के लिए विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु क्षमता की आवश्यकता होगी। स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों की ई-शिक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए मंत्रालय में डिजिटल बुनियादी ढांचे, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की जाएगी। चूंकि प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रही है, और उच्चतर गुणवत्ता वाले ई-लर्निंग को वितरित करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है, इसलिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसे समाधान के लिए प्रोत्साहित किया जाना है जो न केवल भारत के आकार, विविधता, इक्विटी की चुनौतियों को हल करें, बल्कि तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकीय बदलावों को ध्यान में रखते हुए विकसित किए जाए, जिसका कुछ भाग प्रत्येक बीतने वाले वर्ष के साथ पुराना होता जाता है। अतः इस केंद्र में प्रशासन, शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन, ई-गवर्नेंस, आदि के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे।

भाग IV. क्रियान्वयन की रणनीति

25. केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण

25.1 इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर एक दीर्घकालिक विज़न, विशेषज्ञता की निरंतर उपलब्धता और संबंधित लोगों द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, यह नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है जो कि ना केवल शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़े मुद्दों पर व्यापक परामर्श और समीक्षा के लिए एक फोरम प्रदान करता है बल्कि इसके कहीं अधिक वृहद् उद्देश्य हैं। एक पुनर्कल्पित और पुनर्जीवित केब मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य स्तर पर सदृश इकाइयों/निकायों के साथ मिलकर देश में शिक्षा के विज़न को लगातार अनवरत रूप से विकसित करने, सुस्पष्टता लाने, उसका आंकलन करने और उसको संशोधित करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। इसे ऐसी संस्थागत रूपरेखाओं को भी लगातार तैयार एवं उनकी समीक्षा करते रहना चाहिए जो इस विज़न को प्राप्त करने में सहायक होंगी।

25.2 अधिगम और शिक्षा पर एक बार फिर ध्यान केन्द्रित करने के लिए यह वांछनीय होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय(एमओई) के रूप में पुनःनामित किया जाए।

26. वित्त पोषण: सभी के लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

26.1 यह नीति शैक्षिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि समाज के भविष्य हेतु युवाओं के लिए उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बेहतर कोई निवेश नहीं होता। दुर्भाग्य से भारत में शिक्षा पर होने वाला सार्वजनिक व्यय कभी भी सरकारी खर्च कभी भी कुल सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक नहीं पहुँच पाया जिसकि 1968 की शिक्षा नीति में अनुशंसा कि गयी थी और जिसको 1986 की शिक्षा नीति और 1992 में नीति समीक्षा में दोहराया गया था। वर्तमान में शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च (केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा) जीडीपी (बजटीय व्यय आवंटन 2017-18 के विश्लेषण के अनुसार) के 4.43% के आस पास है और सरकारी व्यय का केवल 10% शिक्षा पर किया जाता है (इकनोमिक सर्वे 2017-18), यह आंकड़ा अधिकाँश शिक्षित एवं विकासशील देशों से काफी कम है।

26.2 भारत में उत्कृष्टता के साथ शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए तथा देश एवं अर्थव्यवस्था के लिए से जुड़े लाभों की बहुलता के कारण यह शिक्षा नीति, केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा, शिक्षा में निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का समर्थन करती है। केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए जीडीपी के 6% तक जल्द से जल्द पहुँचने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत के भावी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं तकनीकी उन्नति एवं विकास के लिए ज़रूरी, उच्चतर गुणवत्तापूर्ण एवं समतापूर्ण सरकारी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा पर इतना निवेश करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

26.3 विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मदों और संघटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जैसे- सभी तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना, सीखने के संसाधन, पोषण सहायता, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या, शिक्षकों का विकास तथा पिछड़े और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए समतापूर्ण उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए किये जाने वाले सभी प्रमुख प्रयास।

26.4 मुख्यतः बुनियादी सुविधाओं एवं संसाधन सम्बन्धी एकमुश्त खर्चों के अलावा यह नीति एक शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए वित्त पोषण हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण दीर्घकालिक क्षेत्रों की पहचान करती है, जिन पर जोर दिया जाना चाहिए: क) गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान; ख) पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी क्षमता सुनिश्चित करना, ग) सभी स्कूल काम्प्लेक्सों/क्लस्टरों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त संसाधन, घ) भोजन एवं पोषण मुहैया कराना (नाश्ता एवं मध्याह्न भोजन), ङ.) शिक्षक शिक्षा और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास में निवेश, च) उत्कृष्टता को पोषित करने के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सुधार, छ) शोध का विकास और ज) प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन शिक्षा का व्यापक उपयोग।

26.5 शिक्षा के क्षेत्र के लिए सीमित मात्रा में उपलब्ध वित्त भी अमूमन जिला/संस्थान के स्तर पर समय पर व्यय नहीं किया जाता, जिससे उस राशि के लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अतः आवश्यकता उपयुक्त नीतिगत परिवर्तनों द्वारा उपलब्ध बजट के उपयोग में दक्षता बढ़ाने की है। वित्तीय प्रशासन एवं प्रबंधन इस बात पर ध्यान देगा कि निधियाँ आसानी से, समय पर एवं उचित मात्रा में उपलब्ध हों और उसका व्यय ईमानदारी से किया जाए। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संशोधित और सुव्यवस्थित किया जाएगा ताकि संवितरण तंत्र के कारण अधिक मात्रा में अव्ययित शेष न रह सके। सरकारी संसाधनों के कुशल उपयोग और धन की पार्किंग से बचने के लिए जीएफआर, पीएफएमएस एवं 'सही समय पर' आवंटन से संबंधित प्रावधान को लागू करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए जारी किया जाएगा। राज्य / उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रदर्शन-आधारित वित्त पोषण का तंत्र तैयार किया जा सकता है। इसी प्रकार एसईडीजी के लिए निर्धारित धन के इष्टतम आवंटन और उपयोग के लिए कुशल तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नवीन नियामक व्यवस्था, जिसमें भूमिकाओं का विभाजन एवं पारदर्शी स्व-प्रकटीकरण, संस्थानों का सशक्तिकरण एवं स्वायत्तता, उत्कृष्ट एवं योग्य विशेषज्ञों की प्रमुख पदों पर नियुक्ति आदि शामिल है, से वित्त के आसान, त्वरित एवं पारदर्शी प्रवाह में मदद मिलेगी। ।

26.6 यह नीति शिक्षा क्षेत्र में निजी परोपकारी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने और समर्थन देने की अनुशंसा करती है। विशेष रूप से, बजटीय समर्थन के अतिरिक्त जो अन्यथा उन्हें प्रदान किया गया होता है। कोई भी सार्वजनिक संस्थान शैक्षिक अनुभवों को बढ़ाने के लिए निजी परोपकारी धन जुटाने की दिशा में पहल कर सकता है।

26.7 इस नीति में शिक्षा के व्यावसायीकरण के मुद्दे से कई मोर्चों पर निपटने का प्रयास किया गया है, जिसमें 'सरल किन्तु कठोर' नियमन दृष्टिकोण भी शामिल है, जो वित्त, प्रक्रियाओं, कार्यपद्धति, उपलब्ध पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों में पूरी पारदर्शिता के साथ स्व-प्रकटीकरण; सार्वजनिक शिक्षा में पर्याप्त निवेश, सरकारी तथा निजी सभी संस्थानों में अच्छे प्रशासन और तंत्र पर जोर देता है। इसी तरह, जरूरतमंद अथवा योग्य वर्गों को प्रभावित किए बिना उच्चतर लागत वसूली के अवसरों का भी पता लगाया जाएगा।

27. क्रियान्वयन

27.1 किसी भी नीति की प्रभावशीलता उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। ऐसे क्रियान्वयन के लिए, कई निकायों द्वारा समन्वित एवं व्यवस्थित तरीके से बहुत सी पहल करनी होंगी और कई कदम उठाने की ज़रूरत होगी। इसलिए इस नीति के क्रियान्वयन को कई निकायों, जिनमें एमएचआरडी, केब, केंद्र एवं राज्य सरकारें, शिक्षा सम्बन्धी मंत्रालय, राज्यों के शिक्षा विभाग, बोर्ड्स, एनटीए, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा के नियामक निकाय, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षण संस्थान शामिल हैं, द्वारा शिक्षा में शामिल सभी निकायों में योजना को लेकर आपसी समन्वयन व तालमेल के माध्यम से इसके भाव एवम प्रयोजन अनुसार सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया जायेगा।

27.2 क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे : पहला, नीति की भावना और प्रयोजन क्रियान्वयन हेतु सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। दूसरा, नीतिगत पहलों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नीति के हर बिंदु में कई कदम हैं और प्रत्येक चरण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह अगले चरण के क्रियान्वयन का आधार बनता है। तीसरा, प्राथमिकीकरण द्वारा काम को एक ऐसे क्रमबद्ध तरीके से किया जाना संभव होगा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और अति-आवश्यक कार्य पहले किए जाएँ ताकि एक मजबूत नींव तैयार हो सके। चौथा, क्रियान्वयन की व्यापकता महत्वपूर्ण होगी; यह नीति एक व्यापक नज़रिया, समग्रता रखती है जिसके अवयव आपस में जुड़े हुए हैं, अतः टुकड़ों में प्रयास करने के बजाय समग्र दृष्टिकोण रखते हुए क्रियान्वयन करने से ही वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। पाँचवाँ, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अतः इसमें केंद्र और राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक योजना निर्माण, संयुक्त निगरानी और समन्वयपूर्ण क्रियान्वयन की जरूरत होगी। छठा, संतोषजनक निष्पादन के लिए मानव, संरचनागत और वित्तीय संसाधनों को समय से जुटाना अहम बिंदु है। आखिर में, क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले विविध उपायों के बीच परस्पर जुड़ाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और समीक्षा सभी पहलों के एक-दूसरे से प्रभावी जुड़ाव को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जरूरी होगी। इसमें कुछ ऐसे कार्यों में निवेश शामिल है (उदाहरण के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा का बुनियादी ढाँचा) जो ना सिर्फ एक मजबूत नींव बनाने की दृष्टि से जरूरी हैं बल्कि भावी कार्यक्रमों और कार्यों के बाधारहित संचालन के लिए भी आवश्यक हैं।

27.3 सम्बद्ध मंत्रालयों के समन्वय से एवं उनसे परामर्श करके केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विषयवार क्रियान्वयन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा जो इस नीति के उद्देश्यों को चरणबद्ध और स्पष्ट

रूप से प्राप्त करने के लिए उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार एक विस्तृत क्रियान्वयन योजना तैयार करेंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्यों द्वारा निर्दिष्ट टीमों के द्वारा प्रत्येक क्रियान्वयन बिंदु के लिए रखे गए लक्ष्यों के अनुसार नीति की प्रति वर्ष संयुक्त समीक्षा की जायेगी और केब के साथ साझा की जाएगी। 2030-40 के दशक तक सम्पूर्ण नीति क्रियान्वयन अवस्था में आ चुकी होगी और उसके बाद एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी।

प्रयुक्त संकेताक्षरों की सूची

एबीसी	अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट
एआई	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एसी	ऑटोनोमस डिग्री ग्रान्टिंग कॉलेज
ईसी	प्रौढ़ शिक्षा केंद्र
एपीआई	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस
आयुष	आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध और होम्योपैथी
बीएड	बैचलर ऑफ एजुकेशन
बीईओ	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
बीआईटीई	ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन
बीओए	बोर्ड ऑफ असेसमेंट
बीओजी	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
बीआरसी	ब्लॉक संसाधन केंद्र
बी.वोक.	बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन
सीएबीई	सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन
सीबीसीएस	चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीआईईटी	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी
सीएमपी	कॅरियर प्रबंधन और प्रगति
सीओए	वास्तुकला परिषद
सीपीडी	सतत व्यावसायिक विकास
सीआरसी	क्लस्टर संसाधन केंद्र
सीडब्ल्यूएसएन	चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स
डीई	परमाणु ऊर्जा विभाग
डीबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

डीईओ	जिला शिक्षा अधिकारी
डीआईईटी	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
दीक्षा	डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग
डीएसई	स्कूल शिक्षा निदेशालय
डीएसटी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
ईसीसीई	अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन
ईईसी	प्रख्यात विशेषज्ञ समिति
जीसीईडी	ग्लोबल सिटिजनशिप एजुकेशन
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीईसी	सामान्य शिक्षा परिषद
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियम
एचईसीआई	भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग
एचईजीसी	उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद
एचईआई	उच्चतर शिक्षा संस्थान
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीएचआर	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईडीपी	संस्थागत विकास योजना
इग्नू	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
आईआईएम	भारतीय प्रबंध संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटीआई	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन
आईएसएल	भारतीय सांकेतिक भाषा
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
एमएड	मास्टर ऑफ एजुकेशन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

एमबीबीएस	बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी
एमईआरयू	बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय
एमएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमओई	शिक्षा मंत्रालय
एमओओसी	मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एम फिल	मास्टर ऑफ़ फिलोसोफी
एमडब्ल्यूसीडी	महिला और बाल विकास मंत्रालय
एनएसी	राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद
एनएस	नेशनल अचीवमेंट सर्वे
एनसीसी	नेशनल कैडेट कोर
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीएफ़	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा
एनसीएफ़एसई	स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा
एनसीआईवीई	व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति
एनसीपीएफ़ईसीसीई	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शिक्षण-शास्त्र
एनसीटीई	नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन
एनसीवीईटी	नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग
एनईटीएफ	राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनएचईक्यूएफ	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क
एनएचईआरसी	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद
एनआईओएस	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

एनपीई	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनपीएसटी	शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक
एनआरएफ	नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
एनएसक्यूएफ़	राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
एनटीए	नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओडीएल	ओपन और डिस्टेंस लर्निंग
परख (PARAKH)	समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण
पीसीआई	फार्मोसी काउंसिल ऑफ इंडिया
पीएफ़एमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएचडी	डॉक्टर ऑफ़ फिलोसोफी
पीएसएसबी	प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड
पीटीआर	छात्र शिक्षक अनुपात
आर एंड आई	रिसर्च एंड इनोवेशन
आरसीआई	भारतीय पुनर्वास परिषद
आरपीडब्ल्यूडी	विकलांग व्यक्तियों के अधिकार
एसएसएस	स्टेट अचीवमेंट सर्वे
एससी	अनुसूचित जाति
एससीडीपी	स्कूल परिसर / क्लस्टर विकास योजनाएं
एससीईआरटी	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एससीएफ	राज्य पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क
एससीएमसी	स्कूल परिसर प्रबंधन समिति
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसडीपी	स्कूल विकास योजना
एसईडीजी	सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह,
एसईजेड	स्पेशल एजुकेशन जोन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

एसआईओएस	राज्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
एसएमसी	स्कूल प्रबंधन समिति
एसक्यूएएफ	स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसएसएस	सरल मानक संस्कृत
एसएसएसए	राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीईएम	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित
एसटीएस	संस्कृत के माध्यम से संस्कृत
स्वयम	स्टडी वेब्स ऑफ़ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स
टीईआई	शिक्षक शिक्षा संस्थान
टीईटी	शिक्षक पात्रता परीक्षा
यू-डीआईएसई	एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
वीसीआई	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद
